DICGC

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

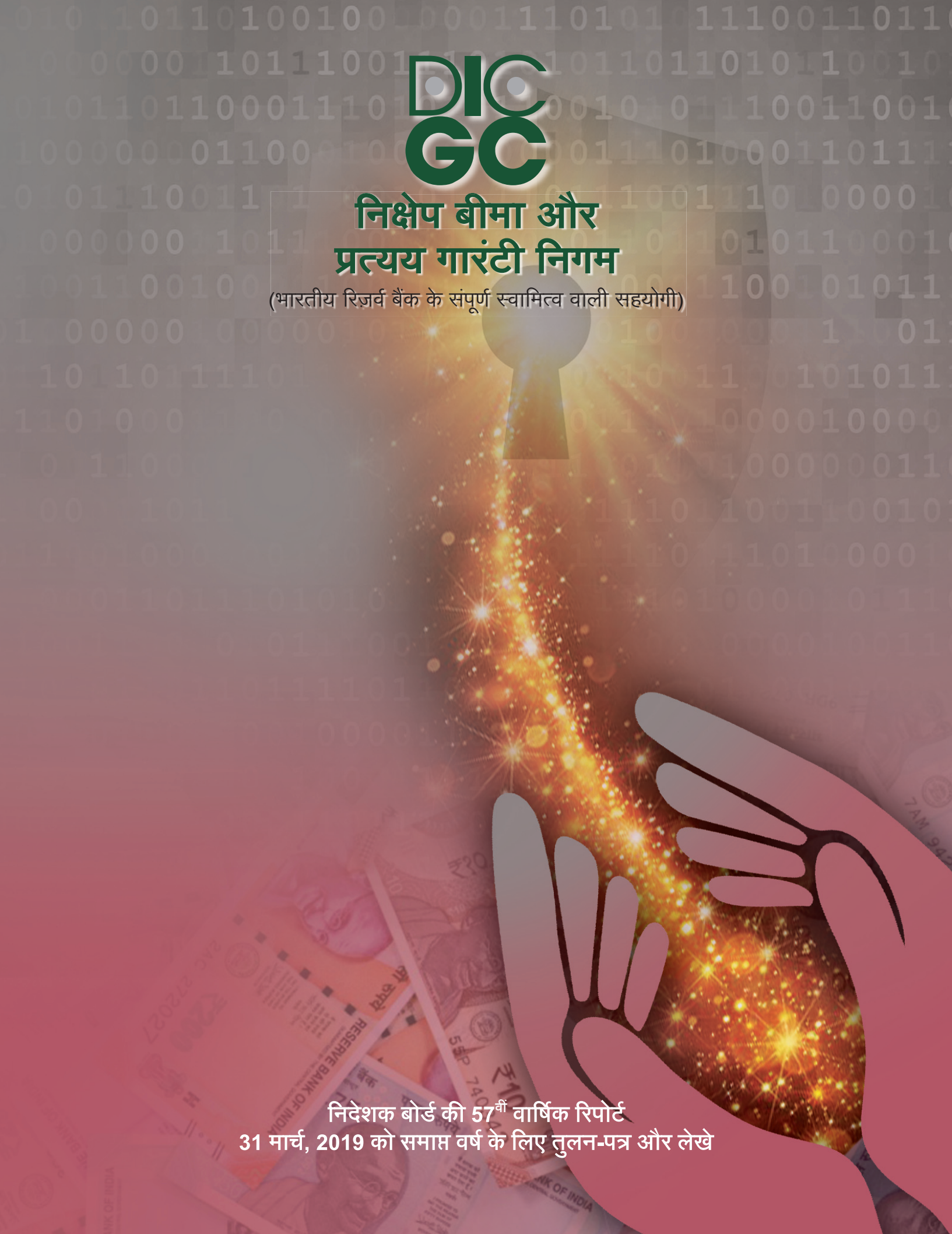

निदेशक बोर्ड की 57वीं वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

1	प्रेषण पत्र	i-ii
2	निदेशक मंडल	iii
3	संगठन तालिका	iv
4	निगम के संपर्क सूत्र	v
5	निगम के प्रमुख अधिकारी	vi
6	संक्षेपाक्षर	vii
7	विशेषताएं	viii-xi
8	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-5
9	प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	6-11
10	निदेशकों की रिपोर्ट	12-21
11	निदेशकों की रिपोर्ट के संबंध में संलग्नक	22-47
12	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	48-49
13	तुलन-पत्र और लेखे	50-64

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/514/01.01.016/2019-20 20 जून, 2019

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई - 400 001

महोदय,

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम. रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/513/01.01.016/2019-20 20 जून, 2019

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
जीवन दीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

2. ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख / तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम. रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री. बी. पी. कानुनगो **उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (08.12.2017 से)

निदेशक

श्रीमती मालविका सिन्हा **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (05.06.2018 से)
डॉ. शशांक सक्सेना **निदेशक** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग,** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (12.06.2008 से)
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला **अध्यक्ष,** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित। (08.03.2019 से)

संगठन तालिका

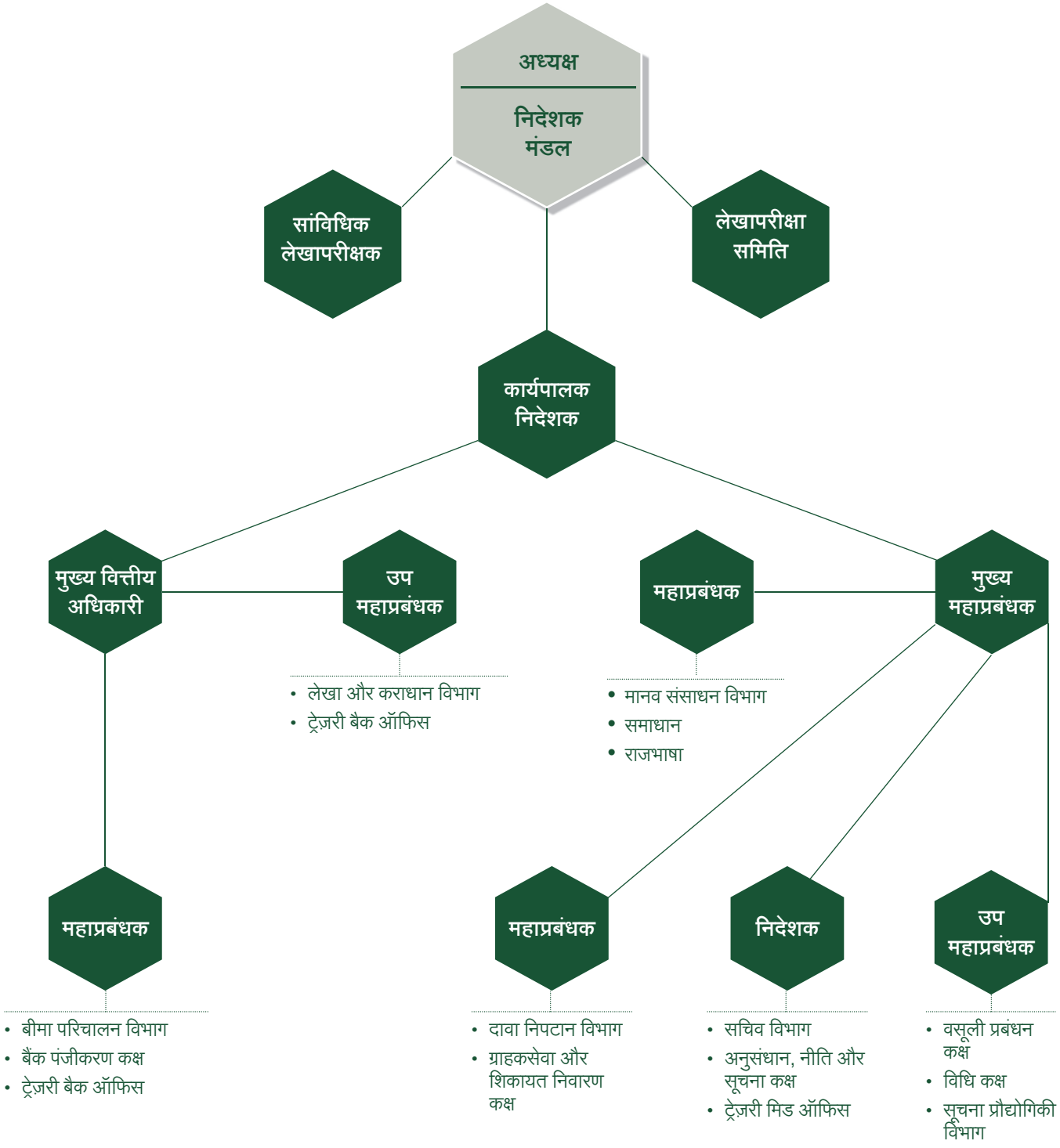
अध्यक्ष
निदेशक मंडल
सांविधिक लेखापरीक्षक
लेखापरीक्षा समिति
कार्यपालक निदेशक
मुख्य वित्तीय अधिकारी
उप महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
मुख्य महाप्रबंधक
• लेखा और कराधान विभाग
• ट्रेज़री बैक ऑफिस
• मानव संसाधन विभाग
• समाधान
• राजभाषा
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
निदेशक
उप महाप्रबंधक
• बीमा परिचालन विभाग
• बैंक पंजीकरण कक्ष
• ट्रेज़री बैक ऑफिस
• दावा निपटान विभाग
• ग्राहकसेवा और शिकायत निवारण कक्ष
• सचिव विभाग
• अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष
• ट्रेज़री मिड ऑफिस
• वसूली प्रबंधन कक्ष
• विधि कक्ष
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

निगम के संपर्क सूत्र

फैक्स सं. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

टेलीफोन संख्या

022-2308 4121 सामान्य
022-2306 2161 प्रीमियम
022-2302 1624 दावे
022-2306 2162 आरएमसी
022-2301 1991 सूचना का अधिकार (आरटीआई)
022-2301 9570 ग्राहक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक,
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई - 400 008.
भारत

(i)	कार्यपालक निदेशक	malvikasinha@rbi.org.in	022-2261 1080
(ii)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	sonjoysethee@rbi.org.in	022-2301 9603
(iii)	मुख्य महाप्रबंधक	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(iv)	महाप्रबंधक	mkrupanandam@rbi.org.in	022-2302 1146
(v)	महाप्रबंधक	ritasarkar@rbi.org.in	022-2301 9633
(vi)	महाप्रबंधक	latharadhakrishnan@rbi.org.in	022-2301 9645
(vii)	निदेशक	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(viii)	उप महाप्रबंधक	dknalband@rbi.org.in	022-2302 8205
(ix)	उप महाप्रबंधक	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाईट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी*

कार्यपालक निदेशक

श्रीमती मालविका सिन्हा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री संजोय सेठी

मुख्य महाप्रबंधक

श्री वी. जी. वी. चलपती

महाप्रबंधक

श्री एम. कृपानन्दम

श्रीमती रीटा सरकार मोरिया

सुश्री लता राधाकृष्णन

सचिव और निदेशक

श्री एम. रामय्या

उप महाप्रबंधक

श्री डी. के. नालबंद

श्री दीपक नारंग

मुख्य लोक सूचना अधिकारी

श्री एम. रामय्या

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखा परीक्षक

मेसर्स वी. शंकर अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
2-सी, कोर्ट चेम्बर्स,
35, न्यू मरीन लाइन्स,
मुंबई 400 020, भारत

* 31 जुलाई 2019 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एएफएस	:	बिक्री के लिए उपलब्ध
एजीएम	:	वार्षिक आम बैठक
एएमसी	:	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
एआरसीसी	:	सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक
एएस	:	लेखांकन मानक
बीओजे	:	बैंक ऑफ जापान
सीए	:	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीडीआईसी	:	कनाडा जमा बीमा निगम
सीईएसटीएटी	:	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	:	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीएफओ	:	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीपीपीवाय	:	पिछले वर्ष की समान अवधि
डीजीएस	:	जमा गारंटी योजना
डीआईसी	:	निक्षेप बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईसीजे	:	डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ जापान
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
ईडी	:	कार्यपालक निदेशक
ईयू	:	यूरोपीय संघ
एफडीआईसी	:	संघीय निक्षेप बीमा निगम
एफआईएमएमडीए	:	निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
जीएएपी	:	सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीओआई	:	भारत सरकार
जीएसटी	:	वस्तु एवं सेवा कर
आईएडीआई	:	इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स

आईएएसएस	:	एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर समाधान
आईसीएआई	:	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईडीआईसी	:	इंडोनेशियाडिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
आईएफआर	:	निवेश उतार चढ़ाव रिजर्व
आईएमएफ	:	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमजी	:	निवेश प्रबंधन दिशानिर्देश
आईओडी	:	बीमा परिचालन विभाग
आईआरएमसी	:	निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति
जेआरसीएस	:	सहकारी समितियों के संयुक्त पंजीयक
केडीआईसी	:	केन्या डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
केडीआईसी	:	कोरिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र बैंक
पीबी	:	भुगतान बैंक
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के पंजीयक
आरएमसी	:	जोखिम प्रबंधन कक्ष
आरएमएफ	:	जोखिम प्रबंधन ढांचा
आरओ	:	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	:	तत्काल सकल भुगतान
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
एसएफबी	:	छोटे वित्त बैंक
एसएलजीएस	:	लघु ऋण गारंटी योजना
टीएएफसीयूबी	:	सहकारी शहरी बैंकों का कार्य दल
यूटी	:	संघ शासित प्रदेश
यूटी	:	केंद्र शासित प्रदेश
वीएआर	:	जोख़िम मूल्य

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में $	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2016-17	2017-18	2018-19
1 पूँजी *	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 निक्षेप बीमा								
(i) निक्षेप बीमा निधि **	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	701.5	814.3	937.5
(ii) बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,125	2,109	2,098
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,03,531	1,12,020	1,20,051
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	30,509	32,753	33,700
(v) कुल खातों की संख्या (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	649.5	1,884.8	1,940.9	2,174
(vi) पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में)	6	32.8	158.1	339.5	619.5	1,737.2	1,775	2,000
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	–	0.01	0.03	1.8	14.9	50.3	50.8	51.2

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं।

$ 1992-93 के बाद से मार्च के अंत के अनुसार।

परिचालन विशेषताएं - II : निक्षेप बीमा

(₹ बिलियन में)

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
राजस्व विवरण						
प्रीमियम आय	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29	73.12
निवेश आय	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32	33.90
निवल दावे	(1.52)^	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)	(0.93)
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89	91.52
करोत्तर राजस्व अधिशेष	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96	60.72
तुलन पत्र						
निधि शेष (बीमांकिक)	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07	50.68
निधि अधिशेष	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46	355.49
दावे संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	0.04	2.22	2.52	3.14	3.92
निष्पादन मैट्रिक्स						
1. दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	11	12	23	28	25	15
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	1,425	2,075*	634	269	4,856	678
3. कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24	0.22
(इसमें सेः कुल प्रीमियम आय की तूलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12	0.12

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

^ इसमें से ₹ 0.37 बिलियन दावों का निपटान है और ₹ 1.89 बिलियन प्रावधानों के प्रत्यावर्तन के कारण है।

* 2003 में एक बैंक के विपंजीकरण के कारण तीव्र बढ़ोत्तरी, इसके दावे का 2017 में निपटान हुआ है।

विशेषताएं - III

चार्ट I: बीमाकृत और पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

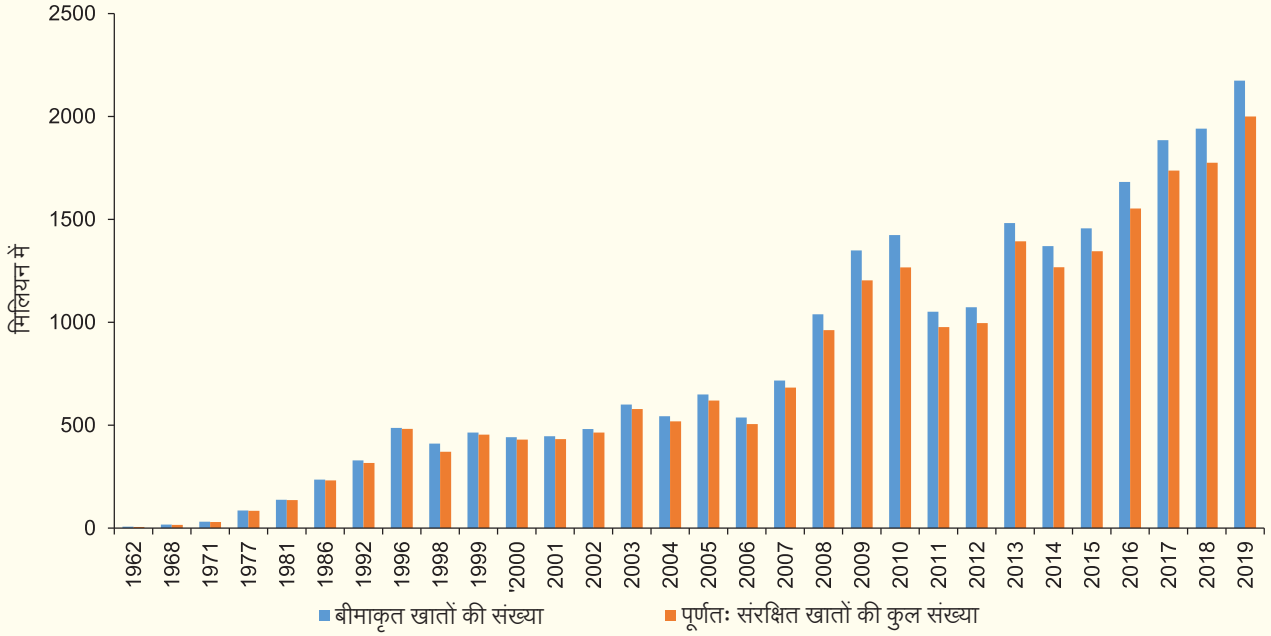

नोटः 2010-2011 से प्रदर्शित आंकड़े रिर्पोटिंग के नए प्रारूप के अनुसार हैं।

विशेषताएं - IV

चार्ट II: कुल निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

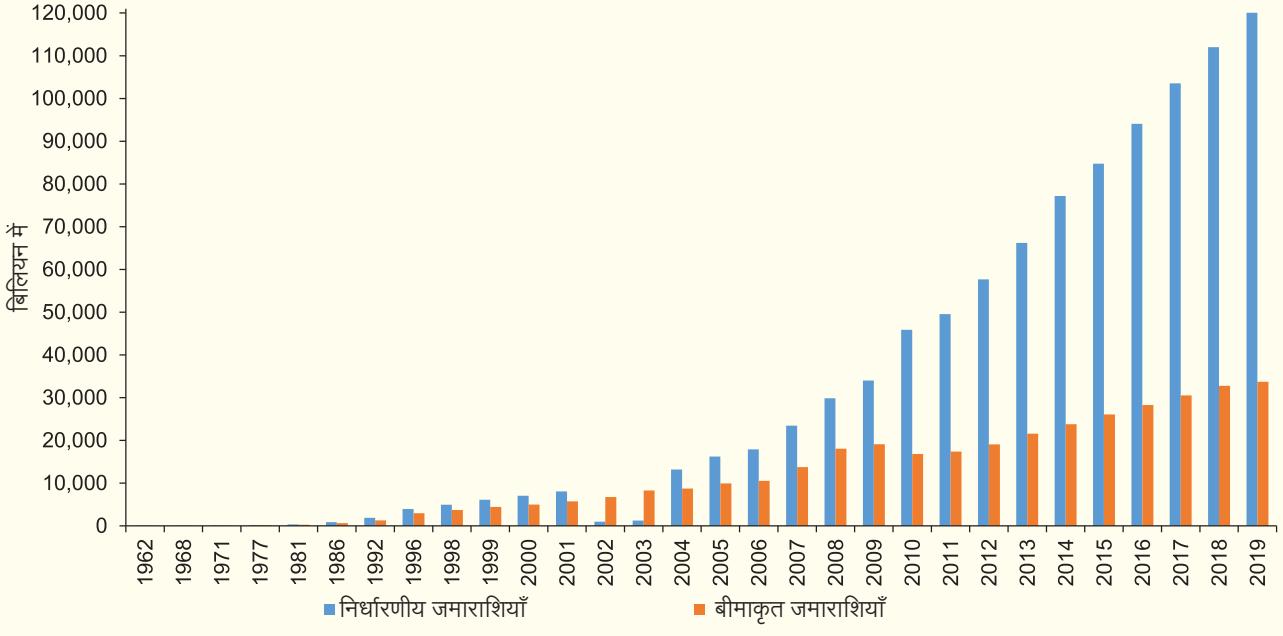

नोटः 2009-10 से प्रदर्शित आंकड़े रिर्पोटिंग के नए प्रारूप के अनुसार हैं।

चार्ट III: बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार

(31 मार्च 2019)

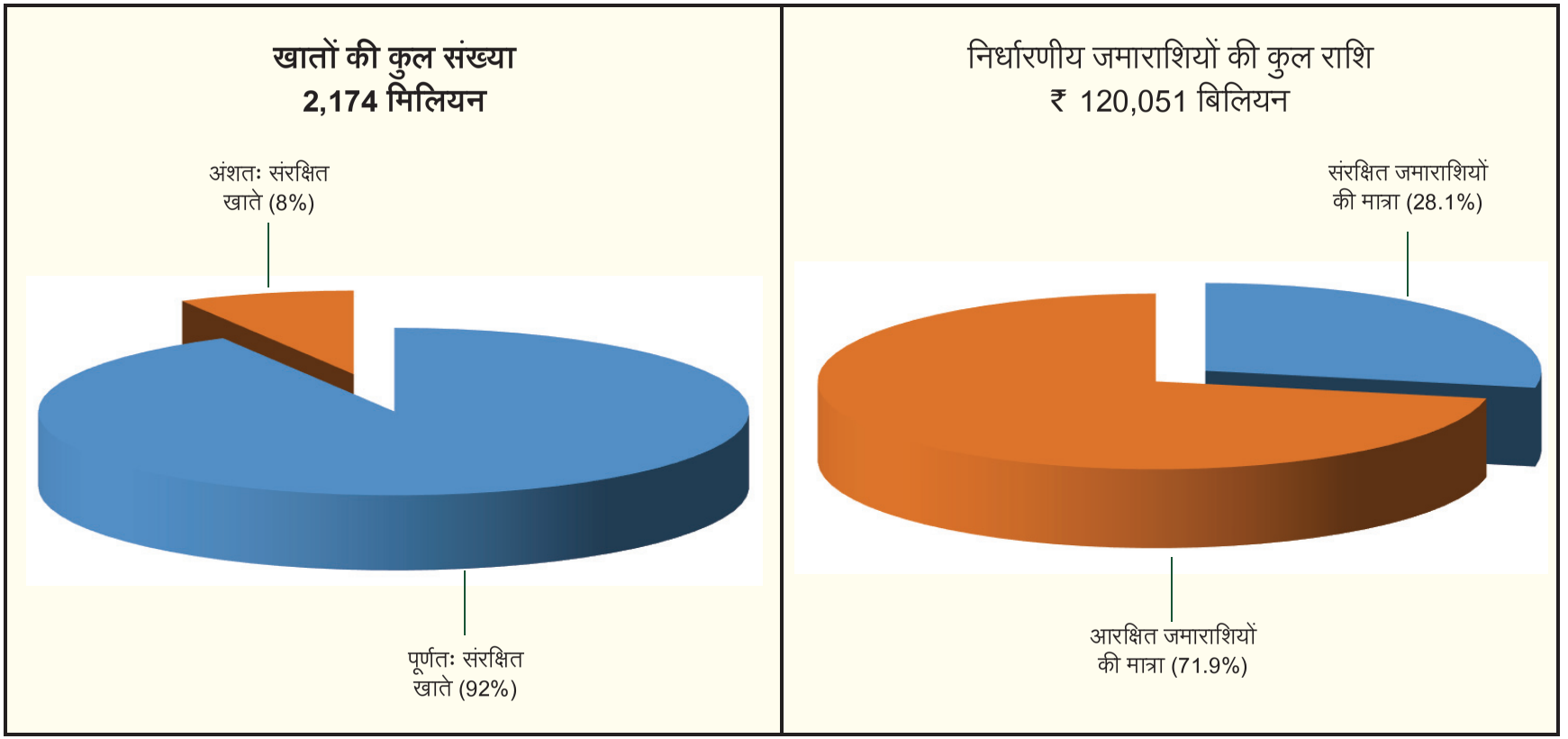

नोटः आंकड़े रिपोर्टिंग के नए प्रारूप के अनुसार हैं।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961" के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके बाद वर्ष 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना सभी कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत "पात्र सहकारी बैंकों" का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी समर्थन प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित **सभी वाणिज्य बैंक,** स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघुवित्त बैंक और भुगतान बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र **सहकारी बैंकों** को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनःनिर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।

(iii) डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 13(ए) के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से 3 महीनों के अंदर निगम को उसका पंजीकरण करना होगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे *अर्थात्,* निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलतः ₹1500 तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5000/-

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक(छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष(छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)] से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यतः निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल (लापता) जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।.

(11) निपटाए गए दावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : *अर्थात्* (i) जमा बीमा निधि (डीआइएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ);

(iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहली दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है।

निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम,1961 में यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही 1 अक्तूबर, 2011 से निगम प्रीमियम पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई, 2017 की प्रभावी तारीख से वस्तु एवं सेवाकर देने के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

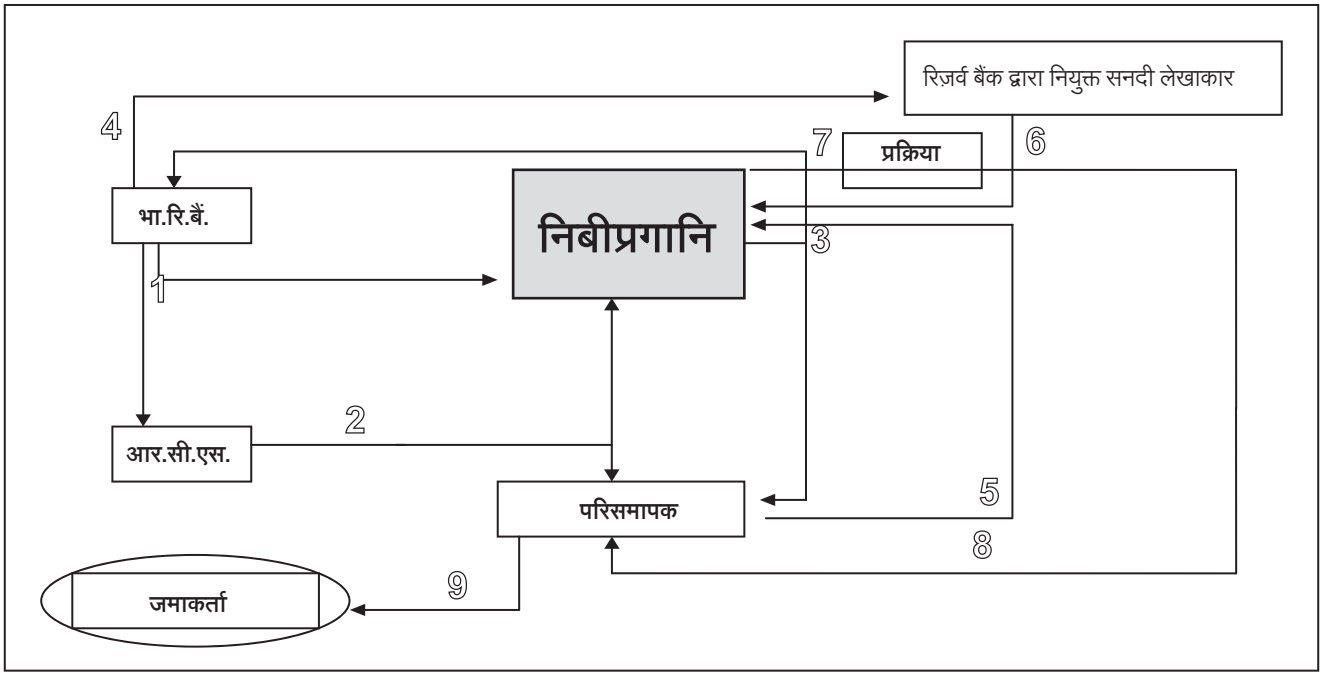

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता हे और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है और रिज़र्व बैंक से दावा सूची का ऑनसाइट सत्यापन करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अनुरोध करता है।
4. रिज़र्व बैंक सनदी लेखाकार की नियुक्ति करता है और निबीप्रगानि दावा सूची की जाँच करने के लिए सनदी लेखाकार हेतु संक्षिप्त विवरण और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है।
5 परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु दावा सूची प्रस्तुत करता है (साफ्ट और हार्ड प्रति दोनों रूप में)।
6. बाह्य लेखापरीक्षक दावा सूची संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
7. कंप्यूटर के माध्यम से दावा सूची का संसाधन किया जाता है और भुगतान सूची तैयार की जाती है।
8. समेकित भुगतान परिसमापक को जारी किया जाता है और अपूर्ण / संदिग्ध दावों के संबंध में जानकारी मांगी जाती है।
9. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करता है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

जमा बीमा एजेंसियों की निवेश नीति – चुनिन्दा देशों की कार्यपद्धति

1. जमा बीमा एजेंसियों की निवेश नीतियां काफी हद तक सुरक्षा और तरलता से प्रेरित होती हैं। सभी क्षेत्र आमतौर पर कानून व्यवस्था में व्यापक मापदंड निर्धारित करते हैं जिनके भीतर एक जमा बीमाकर्ता की संपत्ति का निवेश किया जा सकता है। इसी कानूनी ढांचे के भीतर ही जमा बीमाकर्ता का नियामक मण्डल निवेश की कार्यनीति निर्धारित करता है। निवेश की कार्यनीति अनिवार्य रूप से जोखिम चयन और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। पूंजी संरक्षण और तरलता पर जोर दिया जाना जमा बीमा निधियों की निवेश नीतियों की विशेषता है। सामान्यतया निधियां कम जोखिम वाली व अत्यधिक तरल संपत्तियों में नियोजित की जाती हैं। अधिकांश एफएसबी सदस्य क्षेत्रों में निवेश सरकारी या केंद्रीय बैंक उपकरणों तक सीमित हैं (मिरयामी काहंदर - सारिकोस्की, 2017)। आईएडीआई मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार, जमा बीमाकर्ता पर निधियों के बेहतर निवेश और प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। जमा बीमाकर्ता के पास अपनी निधियों के लिए एक परिभाषित निवेश नीति है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है जैसे, निधि पूंजी का संरक्षण और तरलता का रखरखाव; और यह कि पर्याप्त जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं, आंतरिक नियंत्रण और प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली व्यवस्थित हैं। सभी क्षेत्रों में जमा बीमा निधि (डीआईएफ) रखने के प्राथमिक उद्देश्य हैं: (1) जमा का बीमा करना और बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं की रक्षा करना और (2) विफल बैंकों का समाधान करना। सामान्यतया, डीआईएफ बीमाकृत बैंकों से प्रीमियम आय और निवेश पर अर्जित ब्याज के माध्यम से संचित होता है। भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले चुनिंदा क्षेत्र जिनका ध्यान प्रमुख रूप से निधि के नियोजन के लिए प्रयुक्त उपकरण के प्रकार पर केन्द्रित है वहाँ जमा बीमा निधि के आकार, निधि की निवेश पद्धति, निवेश नीति के उद्देश्य, निधि के नियोजन में प्रयुक्त उपकरण और अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है। भारत में जमा बीमा निधि के निवेश के आकलन के लिए यह तुलनात्मक विश्लेषण उपयोगी हो सकता है।

ब्राज़ील

2. ब्राजील में क्रेडिट गारंटी फंड (एफजीसी) और सहकारी गारंटी फंड (एफजीकोऑप) द्वारा जमा बीमा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा परिषद (सीएमएन) और सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील (बीसीबी) द्वारा विनियमित, ये निजी गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं जो निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा तंत्र का प्रबंधन करने के लिए स्थापित की जाती हैं (एफजीसी के मामले में कई वाणिज्यिक, विकास और निवेश बैंक, बचत बैंक, वित्त कंपनियां, बंधक कंपनियां, बचत और ऋण संघ; और एफजीकोऑप के मामले में क्रेडिट यूनियन और सहकारी बैंक) (आईएमएफ, 2018)।

3. एफजीकोऑप : दिसंबर 2017 के अंत तक जमा बीमा निधि का आकार 0.24 बिलियन अमरीकी डॉलर था। एफजीकोऑप की निधि को दोनों सहकारी बैंक, बैंकूब द्वारा प्रबंधित, बैंक सिकरेडी की निगरानी में, एक विशेष निधि के माध्यम से सार्वजनिक बॉन्ड (राष्ट्रीय खजाने) में राष्ट्रीय मौद्रिक परिषद द्वारा अनुमोदित आंतरिक नियमों के अनुसार निवेश किया जाता है। एफजीकोऑप की तरलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाता है जैसे नकदी में उपलब्ध शेष राशि, शुद्ध वित्तीय निवेश और संघीय सरकारी प्रतिभूतियां।

4. एफजीसी : दिसंबर 2017 के अंत तक निधि का आकार 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निधियों को दो रूपों अर्थात नकद और समकक्ष तथा सरकारी बांड में निवेश किया जाता है। नकद और नकद समकक्षों में नकदी और बैंक जमा और दैनिक तरलता और अत्यधिक तरल अल्पकालिक निवेश के साथ सरकारी बांड के अल्पकालिक पुनर्खरीद समझौते जिसकी अधिग्रहण की तारीख से 90 दिनों से अधिक की परिपक्वता अवधि नहीं होती है, शामिल हैं, जो आसानी से

नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं। मूल्यांकन के संबंध में, जब फंड में परिपक्वता तक उन्हें पोर्टफोलियो में रखने की मंशा और वित्तीय क्षमता होती है, अधिगृहीत वित्तीय परिसंपत्तियों (परिपक्वता तक धारित) का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है और इन उपकरणों पर अर्जित किसी भी आय को उस अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें किसी अन्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें बिक्री-केलिए-उपलब्ध श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है।

केनेडा

5. 31 मार्च 2018 तक जमा बीमा निधि का आकार 3.7 बिलियन अमरिकी डॉलर था। सीडीआईसी की निवेश कार्ययोजना दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: पूंजी को संरक्षित करने के लिए क्रेडिट और बाजार जोखिम को सीमित करें; और हस्तक्षेप गतिविधियों के लिए निधीयन स्रोत के रूप में निवेश पोर्टफोलियो का उपयोग करें। सीडीआईसी, कनाडा की सरकार या कनाडा प्रांत द्वारा जारी या तय की गई निश्चित आय प्रतिभूतियों में कनाडियन डॉलर में निवेश करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा प्रतिबंधित है। निवेश पाँच साल की अवधि की न्यूनतम A- की क्रेडिट रेटिंग वाली प्रतिभूतियों तक भी प्रतिबंधित हैं। पांच वर्ष से अधिक की अवधि वाली प्रतिभूतियों की अनुमति नहीं है। 31 मार्च, 2018 तक AAA रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का जोखिम 93 प्रतिशत था, जबकि प्रत्येक AA- और A+ रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का जोखिम 3 प्रतिशत था और AA रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के लिए एक प्रतिशत था। सीडीआईसी की ट्रेजरी गतिविधि वित्त मंत्री द्वारा शीर्ष निगमों के लिए जारी वित्तीय जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करती है। सीडीआईसी की वित्तीय जोखिम नीतियां प्रत्येक योग्य उपकरण में निवेश की जा सकने वाली अधिकतम राशि और अवधि के निर्धारण द्वारा जोखिम को सीमित करती हैं। निवेश प्रतिभूतियों को परिशोधित/ बढ़ी हुई लागत, और अर्जित ब्याज पर वित्तीय स्थिति की समेकित विवरणी में मापा जाता है। 31 मार्च, 2018 तक सीडीआईसी पोर्टफोलियो की अवधि 2.5 वर्ष थी, जबकि भारित औसत परिपक्वता प्रतिफल 1.28 प्रतिशत था।

यूरोपीय संघ

6. यूरोपीय संघ ने जमा बीमा योजनाओं पर निदेश के माध्यम से अपने 28 सदस्य राज्यों में जमा बीमाकर्ताओं के लिए अनुमत निवेश साधनों के सामंजस्य के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। यूरोपीय संघ जमा बीमा निदेश 2014 परिसंपत्तियों को "कम जोखिम और पर्याप्त विविधतापूर्ण तरीके से" निवेश करने के लिए कहता है। सात दिनों के भुगतान की समय सीमा के भीतर परिसमापन संभव करने के लिए निवेश उपकरण का तरल प्रकृति का होना अपेक्षित है। आम तौर पर, निवेश ग्रेड BBB- के अनुरूप साख की आवश्यकता होती है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए यह A- है। परिसंपत्ति वर्गों के संदर्भ में, यह अनुमत निवेश साधनों को निम्नलिखित मदों तक सीमित करता है जैसे नकदी और जमा, सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल, स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए उपकरण, अत्यधिक रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, अत्यधिक रेटेड मुद्रा-बाजार के उपकरण, कवर किए गए बांड और कोई भी अन्य परिसंपत्तियां जो कि अधिकारियों द्वारा 'समान रूप से सुरक्षित और तरल' मानी जाती हैं (मिरयामी कहन्दर - सारिकोस्की, 2017)। यूरोपीय संघ में अधिकतर जमा गारंटी योजनाएं (डीजीएस) सुरक्षित साधनों जैसे कि कोषागार में निवेश करती हैं। यह प्रतिभूतियां समस्त प्रतिभूतियों का 79% है। यूरोपीय संघ में अल्पकालिक और मध्यम अवधि में निवेश की महत्ता यह दर्शाती है कि अधिकांश डीजीएस तरलता के विषय में अधिक चिंतित हैं। (ज़िलिंस्कास एंड गैज़ौस्कास, 2015).

7. आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2018 पर आधारित उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इटली में जमा बीमा निधि का आकार 31 दिसंबर, 2017 तक बैंकों और वित्तीय सहकारी समितियों के लिए क्रमशः 1.14 बिलियन अमरिकी डॉलर और 0.19 बिलियन अमरिकी डॉलर था। फ्रांस में, जमा बीमा निधि का आकार दिसंबर 2017 तक 4.3 बिलियन अमरिकी डॉलर था। जर्मनी में कई जमा बीमा एजेंसियां हैं, जर्मन सहकारी बैंकों की वैधानिक जमा गारंटी योजना का आकार 31 दिसंबर, 2017 तक 2.1 बिलियन अमरिकी डॉलर था। इन देशों में निवेश के प्रकार मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के डीजीएस निर्देश 2014 के अनुसार हैं।

भारत

8. 31 मार्च, 2019 को डीआईएफ का आकार 13.6 बिलियन अमरिकी डॉलर था, अमेरिका, जापान और ब्राजील के बाद मूल्य के अनुसार चौथा सबसे बड़ा। निगम की एक निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी) है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन ढांचे और निवेश प्रबंधन दिशानिर्देश द्वारा निर्देशित है। निवेश की कार्यनीति सुरक्षा, तरलता और रिटर्न के अनुकूलन द्वारा निर्देशित होती है। डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार, अधिशेष निधियों को केवल केंद्र सरकार की अलग-अलग परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। निगम बाजार से उधार नहीं लेता है और तरलता की कोई भी आवश्यकता केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री से पूरी होती हैं। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालांकि, मूल्यह्रास पूरी तरह से प्रदान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक पोर्टफोलियो की अवधि 8.1 वर्ष थी, जबकि परिपक्वता आय की दर 7.5 प्रतिशत थी।

इन्डोनेशिया

9. 30 दिसंबर, 2018 तक इंडोनेशिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के निवेश का कुल मूल्य 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आईडीआईसी की अधिकांश संपत्ति (88. 5 प्रतिशत) सरकारी प्रतिभूतियां हैं। आईडीआईसी कानून के अनुसार सरकार और बैंक इंडोनेशिया द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश का मुख्य उद्देश्य केवल पूंजीगत लाभ नहीं बल्कि एक निर्धारित तरलता स्तर को बनाए रखना है। सभी सरकारी प्रतिभूतियां परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियां थी और उन्हें प्रीमियम/ छूट के परिशोधन के बाद लागत पर प्रस्तुत किया गया था। प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/ छूट के परिशोधन की गणना प्रभावी-ब्याज पद्धति का उपयोग करके की गई थी। पोर्टफोलियो की परिपक्वता आय 7.34 प्रतिशत थी। निधि का 4 से 5 वर्ष के बीच की औसतन भारित अवधि के साथ निष्क्रिय प्रबंधन किया जाता है जो कि लगभग 8 वर्षों की बकाया सरकारी अवधि से कम होती है।

जापान

10. डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ जापान (DICJ) को 1971 में वित्तीय सुरक्षा आवरण प्रदाता के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वित्तीय संस्थानों के असफल होने पर योग्य जमाराशियों की सुरक्षा की जा सके। जापान ने 1990 के दशक में आर्थिक उफान के पतन और जापान के वित्तीय संकट का अनुभव किया। 180 से अधिक वित्तीय संस्थानों की विफलता के समाधान के माध्यम से डीआईसीजे ने जापान की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में भूमिका निभाई है। मार्च 2018 के अंत तक जमा बीमा निधि (डीआईसीजे के मामले में "देयता भंडार") 34.0 बिलियन अमरिकी डॉलर था। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1971 के अनुसार, डीआईसीजे (i) प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा नामित राष्ट्रीय सरकारी बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में; (ii) प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा नामित वित्तीय संस्थानों में रखी जमा में; या (iii) कैबिनेट कार्यालय अध्यादेश और वित्त मंत्रालय के अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यवस्थाओं में निवेश कर सकता है। जापान के जमा बीमा अधिनियम के अनुसार बीओजे के चालू खाते में जमा निवेश योग्य उपकरणों में से एक है। मार्च 2018 के अंत तक डीआईएफ की पूरी राशि बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के चालू खाते में जमा कर दी गई थी। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए लागत विधि (बही मूल्य) का उपयोग किया जाता है।

केन्या

11. 30 जून, 2019 को डीआईएफ का आकार 1.05 बिलियन अमरीकी डॉलर था। कानून के अनुसार, केडीआईसी केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। 30 जून, 2019 तक केडीआईसी की संरचना और उपकरणों में ट्रेजरी बिल (46 प्रतिशत) और ट्रेजरी बॉन्ड (54 प्रतिशत) शामिल हैं। केन्या डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार निगम द्वारा निधि का निवेश केवल (ए) ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बांड या सरकार द्वारा जारी की गई अन्य प्रतिभूतियों या (ख) मंत्री द्वारा समय-समय पर राजपत्र में निर्धारित की गई कोई अन्य प्रतिभूतियों में किया जा सकता है। एक वित्तीय परिसंपत्ति या देयता को शुरू में उचित मूल्य धन (किसी ऐसी मद के लिए जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता) लेनदेन लागत पर मापा जाता है जो सीधे इसके अधिग्रहण या निकास के लिए स्त्रोतजन्य हैं।

मलेशिया

12. दिसंबर 2018 की समाप्ति पर डीआईएफ का आकार 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था। (पेरबादानन इन्श्योरेन्स डिपॉज़िट मलेशिया) पीआईडीएम की निवेश प्रतिभूतियों में विपणन योग्य मलेशियाई सरकारी प्रतिभूति और निवेश प्रकाशन, बैंक नेगारा मलेशिया मौद्रिक नोट और निजी ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। पीआईडीएम अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रिंगित मलेशिया डिनोमिनेटड सेक्यूरिटीस में निवेश करता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए परिपक्वता तक धारित की जाती हैं और जिनका कारोबार नहीं होता है। 2018 में निधि का 93 प्रतिशत से अधिक भाग मलेशिया सरकारी प्रतिभूतियों और इन्वेस्टमेंट इश्यूस में और शेष 7 प्रतिशत निजी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। निवेश प्रतिभूतियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह मूल रूप से मूलधन और ब्याज का भुगतान या बकाया मूल राशि पर लाभ दर्शाते हैं। इन निवेश प्रतिभूतियों को परिशोधित/ बढ़ी हुई लागत पर मापा जाता है। निश्चित या निर्धार्य भुगतान और निश्चित परिपक्वता वाली ये प्रतिभूतियां, खरीद की तारीख से परिपक्वता तिथि तक, किसी भी ज्ञात क्षति को घटाने हुए, प्रभावी प्रतिफल के आधार पर आंकी गई प्रीमियम के परिशोधन या छूट की अभिवृद्धि के लिए समायोजित लागत पर दर्शाई गई हैं। डीआईएफ पर भारित औसत आय की दर 3.24 प्रतिशत थी।

फिलीपींस

13. 31 दिसंबर, 2017 को डीआईएफ का आकार 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। फिलीपींस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपनी जमा बीमा निधि (डीआईएफ) का विवेकपूर्ण निवेश प्रबंधन कार्ययोजना के माध्यम से प्रबंधन करता है। अधिनियम के अनुसार, निगम का निधि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाएगा। 31 दिसंबर, 2017 को पोर्टफोलियो की निवेश आय 4.1 प्रतिशत थी। निवेशों का मूल्यांकन परिशोधन/ बढ़ी हुई लागत और प्रभावी ब्याज पद्धति पर किया जाता है।

रूस/ रशिया

14. 31 दिसंबर, 2018 तक अनिवार्य जमा बीमा निधि का निवेश पोर्टफोलियो 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जमा बीमा एजेंसी ने पुनर्भुगतान, लाभप्रदता और तरलता के सिद्धांतों के आधार पर अस्थायी निष्क्रिय शेष राशि का निवेश किया है। इसमें से 3 प्रतिशत रूसी संघ के संघीय ऋण बांड में, 3 प्रतिशत रूसी संघ के घटक निकायों के बांड में, 7 प्रतिशत कॉरपोरेट बांड में और 87 प्रतिशत बैंक ऑफ रशिया के पास रखे जमा में निवेश किया गया था।

दक्षिण कोरिया

15. केडीआईसी की निधियों में बैंकों, निवेश व्यापारियों और ब्रोकर, जीवन बीमा कंपनियों, गैर-जीवन बीमा कंपनियों, व्यापारी बैंकों, म्यूचुअल बचत बैंकों और ऋण संस्थानों (केवल जमा बीमा निधि बॉन्ड मोचन निधि के मामले में) के लिए अलग-अलग खाते हैं। इन खातों का अलग से प्रबंधन किया जाता है। हालांकि एक ही निधि के भीतर खाते में लेन-देन की अनुमति है, लेकिन जमा बीमा निधि और जमा बीमा निधि बॉन्ड मोचन निधि के बीच लेन-देन निषिद्ध है। 2002 में सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक निधि मोचन योजना के तहत, यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय पुनर्गठन से संबंधित संपत्ति और देनदारियों को 1 जनवरी, 2003 को डीआईएफ बॉन्ड मोचन निधि नामक एक नई निधि स्थापित करने के लिए जमा बीमा निधि (डीआईएफ) से अलग किया जाएगा। डीआईएफ बॉन्ड मोचन निधि का उपयोग वित्तीय पुनर्गठन प्रक्रिया को पूरा करने और संबंधित सार्वजनिक निधियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नया डीआईएफ, जो कि केडीआईसी-बीमित वित्तीय संस्थानों द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम द्वारा वित्त पोषित है, का उपयोग 2003 में और उसके बाद हुई वित्तीय संस्था विफलताओं के समाधान के लिए किया गया है।

16. दिसंबर 2018 की समाप्ति पर डीआईएफ का आकार 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था। निधि प्रबंधन के उद्देश्य हैं: स्थिरता, लाभप्रदता और तरलता सुनिश्चित करना; और जनहित को ध्यान में रखना। निवेश योग्य संपत्तियां कानून द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित हैं और जमा संरक्षण अधिनियम के अनुसार, अधिशेष निधियों का केवल सरकारी बांड और सार्वजनिक बांड, या जमा बीमा समिति द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों; समिति द्वारा नामित बीमित वित्तीय संस्थानों

में जमा; और वित्तीय सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विधियों में निवेश किया जा सकता है। मूल्यांकन के संबंध में, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में लगने वाली खरीदी की कीमत और प्रासंगिक लागत को जोड़कर प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत का अनुमान लगाया जाता है। केडीआईसी प्रतिभूतियों को उनकी प्रकृति और स्वामित्व के उद्देश्य के अनुसार, बिक्री-केलिए-उपलब्ध (एएफएस) वित्तीय परिसंपत्तियों, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वित्तीय संपत्तियों, और सहभागियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत करता है। 2017 में केवल डीआईएफ के पास प्रतिभूतियां थीं और उन सभी को एएफएस वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

संयुक्त राज्य अमरिका

17. 31 दिसंबर, 2018 तक जमा बीमा निधि के तहत बकाया राशि 103.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यूएस ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड में 93.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश डीआईएफ के मूल्य का 90.0 प्रतिशत है। परिपक्वता के संदर्भ में, डीआईएफ का 28 प्रतिशत एक वर्ष के भीतर निवेश किया गया था, जबकि डीआईएफ का 62 प्रतिशत 1-5 वर्षों की परिपक्वता वाली ट्रेजरी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। एफडीआई अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि डीआईएफ फंड को संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुबंधों में निवेश किया जाए या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मूलधन और ब्याज के रूप में आश्वस्त अनुबंधों में किया जाए। ट्रेजरी के सचिव को ऐसे सभी निवेशों को 100,000 डॉलर से अधिक की मंजूरी देनी होगी और एफडीआईसी को डीआईएफ निधि का निवेश केवल यू.एस. ट्रेजरी अनुबंध में करने की मंजूरी दी गई है जो कि विशेष रूप से राजकोषीय सेवा के सरकारी खाता श्रृंखला कार्यक्रम के ट्रेजरी ब्यूरो के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं। यूएस ट्रेजरी प्रतिभूतियों में डीआईएफ के निवेश को बिक्री-केलिए-उपलब्ध (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एएफएस के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियां उचित मूल्य पर दिखाई जाती हैं। अप्राप्त लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय के रूप में दर्शाया जाता है। किसी भी वास्तविक लाभ और हानि को शुद्ध/ निवल आय के घटकों के रूप में आय और निधि शेष के विवरण में शामिल किया जाता है। प्रतिभूतियों पर आय की गणना सुरक्षा की परिपक्वता के आधार पर प्रभावी ब्याज या सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके प्रतिदिन की जाती है। एक साल में ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर आय 1.90 प्रतिशत थी, जबकि 1-5 साल की परिपक्वता सीमा वाली प्रतिभूतियों के संबंध में यह 2.08 प्रतिशत थी।

उपसंहार/ निष्कर्ष

18. निवेश नीतियों के संबंध में चुनिंदा देशों की कार्यपद्धति यह बताती है कि सुरक्षा और तरलता प्रमुख हैं। धन के नियोजन के संबंध में, अधिकांश क्षेत्र पोर्टफोलियो का प्रमुख हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। 103.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की सबसे बड़ी मात्रा में जमा बीमा निधि रखने वाला फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ट्रेजरी प्रतिभूतियों में लगभग 90 प्रतिशत निधि का निवेश करता है। 34 बिलियन अमरीकी डॉलर की फंड की स्थिति के साथ दूसरे स्थान पर स्थित जापान, विश्लेषित क्षेत्रों के बीच एक उल्लेखनीय अपवाद है, जहां कानून द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति के बावजूद संपूर्ण जमा बीमा निधि को सेंट्रल बैंक के पास जमा किया गया था। हालांकि, जमा बीमा योजनाओं पर यूरोपीय संघ 2014 निदेश कई प्रकार के उपकरणों की अनुमति देते हैं, पर साथ ही यह बताता है कि "प्रमुख विविधता सहित कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों" में निवेश किया जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया में कई संस्थान हैं जैसे, बैंक, निवेश व्यापारी और ब्रोकर, जीवन बीमा कंपनियां, गैर-जीवन बीमा कंपनियां, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल बचत बैंक और साख संस्थान । निधियों का निवेश कानून द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक बांड, वित्तीय संस्थानों के पास रखी जमा और पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य तरीकों तक सीमित है। विश्लेषण से सामने आया एक और शैलीगत तथ्य यह बताता है कि प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दैनिक बाज़ार मूल्य के आधार पर और परिशोधित लागत पर किया जाता है। भारत में, उपकरणों के संदर्भ में मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में डीआईएफ की निवेश पद्धति व्यापक रूप से अधिकांश क्षेत्रों में अपनाई गई कार्यपद्धतियों के अनुरूप है।

संदर्भ

जमा बीमा एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट।

यूरोपीय संसद और परिषद के 16 अप्रैल 2014 के जमा बीमा योजनाओं पर निदेश 2014/49/ईयू।

आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2018।

आईएमएफ (2018), ब्राजील का वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन, मई।

मिरयामी कहन्दर- सारीकोस्की (2017), बुरे समय के लिए निवेश : जमा बीमा निधि के लिए एक संतुलित निवेश कार्यनीति कैसे तैयार करें तथा "जमा बीमा प्रणालियाँ: निधीयन, निवेश, जोखिम आधारित योगदान और तनाव परीक्षण में उभरती चुनौतियों को संबोधित करना", जेन पी. नालते और इस्फंड्यार ज़ेड ख़ान, विश्व बैंक।

राईमुंडास जिलिन्सकास और लायोनियस गैजाउसकास (2015), सीमित घरेलू प्रतिभूति बाजारों की शर्तों के तहत जमा गारंटी निधियों की निवेश नीति, एकोनॉमैका, खंड 94(1)।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

1.1 बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण / विपंजीकरण

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,098 है, जिसमें 157 वाणिज्यिक बैंक (7 भुगतान बैंकों और 10 छोटे वित्त बैंकों सहित), 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 3 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) और 1,941 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में निक्षेप बीमा योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पंजीकृत बैंकों की वर्षवार संख्या **संलग्नक I** में दी गई है। 31 मार्च 2019 के अनुसार सहकारी बैंकों के श्रेणी-वार और राज्यवार विवरण, **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 4 वाणिज्यिक बैंकों और 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया और 8 सहकारी बैंकों, 2 वाणिज्यिक बैंकों और 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विपंजीकृत किया गया, जिसके विवरण **संलग्नक III** में दिए गए हैं।

1.2 निक्षेप बीमा योजना का विस्तार

इस समय निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों और छोटे वित्त बैंकों सहित) और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों (यूटी) में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

1.3 बीमाकृत जमाराशियाँ

निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या और जमाराशि की रकम तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ

विवरण		**31 मार्च 2019[1] को**	**31 मार्च 2018[1] को**
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	2,174.0	1,940.9
2	पूर्णतया संरक्षित खाते[2] (मिलियन में)	2,000.0	1,775.0
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	92.0	91.4
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	1,20,051	1,12,020
5	बीमाकृत जमाराशियाँ[3] (₹ बिलियन में)	33,700	32,753
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	28.1	29.2

1 सितंबर 2018 और सितंबर 2017 के जमा आधार अर्थात संदर्भ तारीख से छह महीने पूर्व के आधार पर

2 जमाबीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है

3 ₹ 1 लाख तक के जमाबीमा के लिए पात्र जमाराशि

निक्षेप बीमा के प्रारंभ से जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा **संलग्नक IV** और चार्ट 1 में प्रस्तुत की गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक श्रेणी-वार अलग-अलग आँकड़े **संलग्नक V** में प्रस्तुत किए गए हैं। 31 मार्च 2019 को ₹100,000 का वर्तमान बीमा कवर का स्तर प्रति व्यक्ति आय का 0.8 गुना था।

चार्ट 1: मार्च के अंत के अनुसार जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा का विस्तार

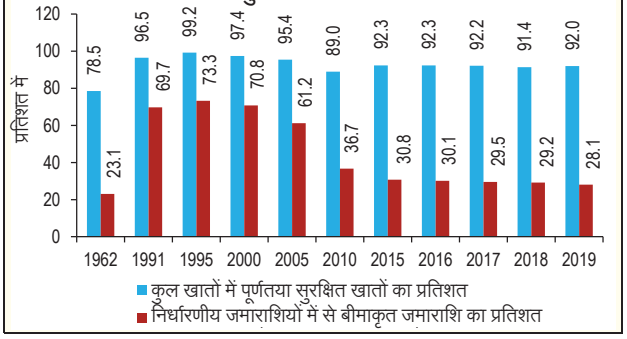

1.4 निक्षेप बीमा प्रीमियम

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष तथा मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम का बैंक श्रेणीवार विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान बैंकों से प्राप्त प्रीमियम में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ बिलियन में)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक *	सहकारी बैंक	कुल
2018-19	111.9	8.5	120.4
2017-18	103.5	7.8	111.3

* : भुगतान बैंक, छोटे वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक

1.4.1 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम1961 , की धारा 15 (3) के अनुसार ,यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान, ब्याज की दंडात्मक दर को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक दर में संशोधन के साथ तीन बार संशोधित किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति संबंधी ब्यौरा सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति

(प्रतिशत में)

से	तक	बैंक दर	दंड स्वरूप ब्याज दर	चूककर्ता बैंको द्वारा देय ब्याज दर
01.04.2018	05.06.2018	6.25	8.00	14.25
06.06.2018	31.07.2018	6.50	8.00	14.50
01.08.2018	06.02.2019	6.75	8.00	14.75
07.02.2019	31.03.2019	6.50	8.00	14.50

1.5 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय है। इसके साथ ही इसमें परिसमापकों / प्रशासकों / अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी राशियों का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस प्रकार निगम प्रतिवर्ष व्यय (मुख्य रूप से दावों से संबंधित) से ज्यादा आय को अंतरित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि का आकार ₹879.9 बिलियन के अधिशेष के सहित (31 मार्च, 2018 के ₹814.3 बिलियन की तुलना में बढ़कर) ₹937.5 बिलियन हो गया है, जिसका आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशि की तुलना में निक्षेप बीमा निधि का अनुपात) 2.78 प्रतिशत है। निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ़) और आरक्षित अनुपात (आरआर) की प्रवृत्तियाँ चार्ट 2 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2: निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

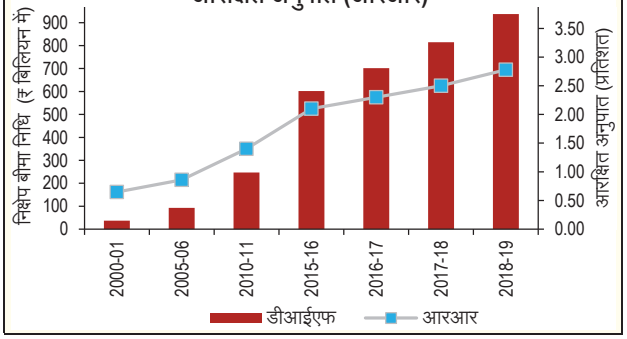

1.6 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2018-19 के दौरान, निगम ने 15 सहकारी बैंकों (6 मुख्य दावे और 21 अनुपूरक दावे) जैसा कि **संलग्नक VI** में दर्शाया गया है से संबंधित ₹370 मिलियन के कुल दावों[4] का निपटान किया। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2018-19 के दौरान विफल बैंकों की राज्य-वार संख्या तथा निपटाए गए दावों की राशि का विवरण चार्ट 3 में दर्शाया गया है। दावा की गई राशि प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बैंकों के लिए थी।

चार्ट 3: 2018-19 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

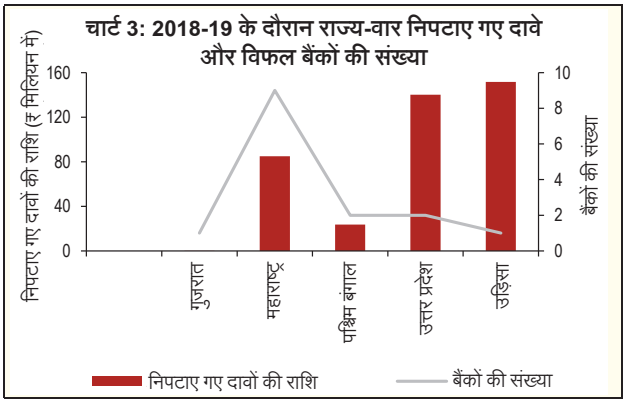

दावों के निपटान हेतु डीआईसीजीसी को सक्षम बनाने के लिए निगम संबंधित आरसीएस तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, निगम ने इस श्रेणी के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले दावों के लिए परिसमापक द्वारा वापस की गई लापता जमाकर्ताओं की अवितरित राशि के लिए ₹904.5 मिलियन का प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्त अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹567.8 मिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे 22 बैंक थे जिनकी आकस्मिक देयता उत्पन्न की गई थी पर दावे अब तक स्पष्ट नहीं हुए थे **(अनुलग्नक VII)**।

परिसमापक से प्राप्त होने के बाद डीआईसीजीसी द्वारा मुख्य दावे के निपटान की औसत अवधि में कमी आई है और यह वर्ष 2017-18 में 12 दिनों से कम होकर 2018-19 में 11 दिन हो गई है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में निर्धारित 2 महिनों की अवधि के भीतर रही।

1.7 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा के आरंभ से 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी। परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से, वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹21.3 मिलियन सहित कुल ₹1,512 मिलियन की संचयी वसूलियाँ प्राप्त हुईं।

योजना के प्रारंभ होने से अब तक 351 सहकारी बैंकों से ₹48,223 मिलियन की संचयी राशि (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ₹370 मिलियन की प्रदत्त राशि सहित) के दावे की राशि का भुगतान / प्रावधान किया गया (चार्ट 4) है। सहकारी बैंकों के मामले में परिसमापकों/ अंतरिती बैंकों से प्राप्त संचयी वसूलियाँ कुल ₹26,071 मिलियन रहीं (वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹953 मिलियन[5] सहित)।

4 तुलन पत्र के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए दो बैंकों के संबंध में शीघ्र दावा निपटान नीति के तहत स्वीकृत दावों के कारण ₹30.5 मिलियन के लिए समायोजित किया गया जबकि अनुलग्नक VI में प्रदान किए गए आंकड़े वर्ष के दौरान समायोजन के बिना स्वीकृत किए गए कुल दावों का उल्लेख करते हैं।

5 तरल निधि समायोजन के तहत रिपोर्ट किए गए ₹286 मिलियन सहित।

चार्ट 4: भुगतान किए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि

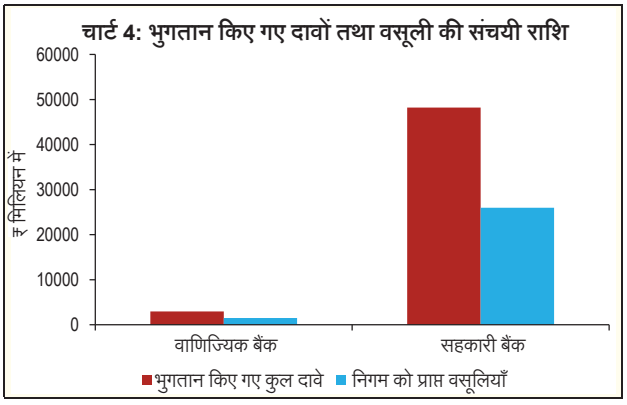

31 मार्च 2019 तक जिन बैंकों के दावे निपटाए गए हैं तथा जिनसे भुगतान प्राप्त किए गए/ बट्टे खाते में डाले गए हैं उनका विवरण **अनुलग्नक VIII** में प्रस्तुत किया गया है। चार्ट 5 में निपटाए गए दावों और परिसमापित बैंकों की संख्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 5: पे-आउट और परिसमापित बैंकों की संख्या

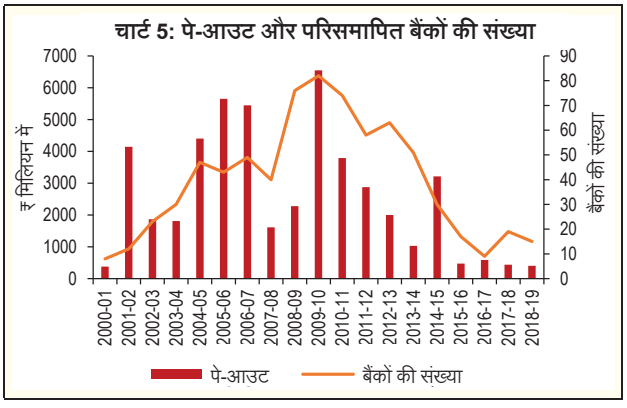

1.8 कोर्ट – मामले

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों तथा अन्य न्यायाधिकरणों (मंचों) में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की संख्या 31 मार्च, 2018 के अनुसार 35 से कम होकर 32 रह गई है। वर्ष के दौरान 8 मामले समाप्त किए गए (2 मामलों का निपटान किया गया और 6 निष्क्रिय मामलों को बंद माना गया) और 5 नए मामले दायर किए गए। 32 लंबित मामलों में से 4 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 28 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं। न्यायालय-वार अलग-अलग आँकड़े चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 6: न्यायालय वार अलग-अलग मामले

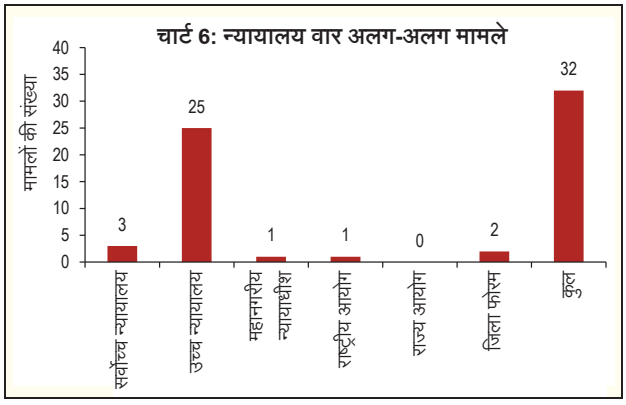

1.9 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹3.72 मिलियन की तुलना में ₹0.24 मिलियन की वसूली की गई। लघु ऋण (एसएसआई) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत पिछले वर्ष की शून्य वसूली के मुकाबले इस वर्ष ₹0.01 मिलियन की वसूली हुई। 31 मार्च, 2019 के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में ऋण गारंटी योजनाओं से संबंधित लंबित अदालती मामलों की संख्या शून्य रही।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण प्रयास / प्रगति

2.1 दावों के त्वरित निपटान हेतु उपाय

कम्प्यूटरीकृत आईएएस मॉड्यूल के तहत दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर परिसमापक, बैंक अधिकारियों, आरसीएस अधिकारियों और कुछ विपंजीकृत बैंकों के सीए के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिसमापकों के लिए आयोजित आईएएसएस मॉड्यूल कार्यशालाओं के लिए संकाय सहायता प्रदान की है। हाल ही में परिसमापित बैंकों के लिए आईएएसएस दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 10 वर्षों से अधिक

पहले (अर्थात 31 दिसंबर, 2008 को या उसके पहले से) परिसमापित बैंकों के संबंध में, डीआईसीजीसी द्वारा जमा बीमा हेतु अज्ञात/ लापता जमाकर्ताओं के लिए किए गए प्रावधानों के निरसन के लिए 7 मार्च, 2019 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। निगम अब परिसमापक द्वारा तैयार किए गए दावों की सूची के सत्यापन के लिए सीए नियुक्त कर रहा है जोकि पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता था।

2.2 वसूली प्रबंधन पर परिसमापकों के साथ कार्यशालाएं और बैठकें

आरसीएस अधिकारियों/ परिसमापकों के बीच सूचना और जागरूकता साझा करने के लिए निम्नलिखित बैठकें / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं:

- वर्ष के दौरान, भा.रि.बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने टीएएफ़सीयूबी की उप-समिति की 27 बैठकें कीं, जिनमें से 13 बैठकों में डीआईसीजीसी के अधिकारियों ने भाग लिया।
- मुख्य दावों को प्रस्तुत नहीं किए जाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीजीएम ने 4 अप्रैल, 2018 को आरसीएस, लखनऊ के कार्यालय का दौरा किया।
- 21 सितंबर, 2018 को आंध्र प्रदेश के एआरसीएस और परिसमापक के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- 8 अक्टूबर, 2018 को अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आरसीएस, जेआरसीएस, परिसमापक के साथ डीआईसीजीसी को विसनगर एनएसबीएल के बकाये के भुगतान पर चर्चा की गई।
- 1 अक्टूबर, 2018 को बेलापुर कार्यालय में विभिन्न परिसमापकों को आईएएसएस – आरएमसी मॉड्यूल फॉर लिक्विडेटर्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 29 जनवरी, 2019 को भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) द्वारा परिसमापकों के लिए एक कार्यशाला के साथ टीएएफ़सीयूबी की उप-समिति की बैठक आयोजित की गई।
- महाराष्ट्र (नागपुर) के परिसमापकों के लिए नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 12 मार्च, 2019 को कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ऊपर वर्णित कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, वसूली को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपक्रम किए गए थे:

- 7 मई, 2018 को सभी आरसीएस को बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा डीआईसीजीसी को बकाया चुकाने के बारे में एक परिपत्र जारी किया गया था।
- उन छह वाणिज्यिक बैंकों को डिमांड नोटिस भेजे गए जिनका राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय हो गया है। अक्टूबर 2018 में बनारस स्टेट बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय) से ₹21.2 मिलियन की वसूली प्राप्त हुई।
- आईएएसएस – परिसमापकों के लिए आरएमसी मॉड्यूल पर दिशानिर्देश सभी आरसीएस कार्यालयों और विभिन्न परिसमापकों के साथ साझा किए गए।

2.3.1 एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर समाधान (आईएएसएस) परियोजना

बीमा परिचालन विभाग (आईओडी) को छोड़कर 1 जुलाई, 2017 से निगम के सभी मॉड्यूल के संबंध में आईएएसएस परियोजना 'लाइव' हो गई है। जीएसटी कार्यक्षमता सहित आईओडी मॉड्यूल भी 1 अक्टूबर, 2018 से 'गो लाइव' का हिस्सा बन गया। छह महीने के लिए समानांतर चलाने के बाद और सितंबर 2018 को समाप्त अवधि के लिए नई आईएएसएस प्रणाली द्वारा उत्पन्न वित्तीय विवरणों को पुरानी ओरियन प्रणाली के साथ समायोजन के बाद पहले की प्रणाली यानी ओरियन को बंद कर दिया गया है। नई प्रणाली के तहत वित्तीय विवरणों को भी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरण अर्थात तुलन पत्र, राजस्व खाता, नकदी प्रवाह विवरण अब आईएएसएस से उत्पन्न किए जा रहे हैं। बैंकों / परिसमापकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए आईएएसएस का पोर्टल 1 अप्रैल, 2019 से परिचालित किया गया है। आईएएसएस मॉड्यूल में डीआई रिटर्न की ऑनलाइन

प्रस्तुति डीआईसीजीसी पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। आईएएसएस मॉड्यूल पर प्रशिक्षण सामाग्री रिकॉर्ड की गई है और इसे डीआईसीजीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है और बैंकों को इसकी सीडी उपलब्ध कराई गई है। ।

भाग III : लेखा-विवरण

3.1 बीमा देयताएं

(क) 2018-19 के दौरान, दावों के निपटान हेतु ₹370 मिलियन (₹435 मिलियन)[6] की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) वर्ष के अंत में निधि शेष (अर्थात् बीमांकिक देयता) ₹57,556 मिलियन (₹53,672 मिलियन) रहा और पिछले वर्ष की समान अवधि (सीपीपीवाई) की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्ज की।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

3.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) में अधिशेष ₹1,91,468 मिलियन (₹1,84,571 मिलियन) था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹6,897 मिलियन (3.7%) की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व अधिशेष में वृद्धि मुख्य रूप से प्रीमियम आय (₹9,150 मिलियन) में वृद्धि और निवेश पर आय (₹8,270 मिलियन) के कारण हुई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि (सीपीपीवाई) में बीमांकिक देयता (₹2,304 मिलियन) की कमी के स्थान पर वर्ष के दौरान हुई निवल दावों में कमी (₹308 मिलियन), वसूली में कमी (₹4,026 मिलियन) बीमांकिक देयता में वृद्धि (₹3,884 मिलियन) से ऑफसेट हुई।

(ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹374 मिलियन (₹343 मिलियन) रहा। अधिक राजस्व अधिशेष का श्रेय निवेश से हुई आय में ₹35 मिलियन की वृद्धि को जाता है जो वसूली में ₹3 मिलियन की कमी से आंशिक रूप से ऑफसेट हुई।

(ग) निवेश पर आय में ₹4 मिलियन की कमी के कारण और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आईएएसएस परियोजना के पूंजीकरण पर मूल्यह्रास, चालू वर्ष में आईएएसएस की एएमसी, अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान, भा.रि.बैं डेटा सेंटर के उपयोग के लिए चुकाए गए किराए और विज्ञापन के कारण सामान्य निधि (जीएफ) में अधिशेष ₹98 मिलियन (₹288 मिलियन) रहा।

3.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष /रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹8,79,952 मिलियन (₹7,60,643 मिलियन), ₹4,832 मिलियन (₹4,599 मिलियन) और ₹5,490 मिलियन (₹5,427 मिलियन) था।

3.4 निवेश

वर्ष के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमशः ₹9,59,284 मिलियन (₹8,36,916 मिलियन), ₹5,045 मिलियन (₹4,813 मिलियन) और ₹6,040 मिलियन (₹5,963 मिलियन) रहा है। वर्ष के अंत में सभी निधियों में अभिमूल्यन हुआ और तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेश का बाज़ार मूल्य क्रमशः ₹9,73,196 मिलियन, ₹5,172 मिलियन और ₹6,158 मिलियन रहा।

3.5 कराधान

3.5.1 आयकर

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष क्रमश: ₹1,31,402 मिलियन (₹118,304 मिलियन), ₹272 मिलियन

6 प्रतिशत में दर्शाए गए आँकड़ों को छोड़कर कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की समरूप स्थिति के आँकड़े दर्शाते हैं।

(₹270 मिलियन) और ₹106 मिलियन (₹175 मिलियन) है। इसी तारीख को निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹1,30,772 मिलियन (₹1,18, 268 मिलियन), ₹249 मिलियन (₹277 मिलियन) तथा ₹134 मिलियन (₹150 मिलियन) था।

3.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम ने इसके अनुपालन में जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया है।

भाग IV : खजाना परिचालन

4.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2019 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹970.4 बिलियन रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष (₹847.7 बिलियन) की तुलना में ₹122.7 बिलियन (14.5 प्रतिशत) की कुल वृद्धि प्रदर्शित हुई। 31 मार्च, 2018 तक पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य ₹ 854.4 बिलियन था, जो 31 मार्च, 2019 तक ₹984.5 बिलियन हो गया, जो ₹130.3 बिलियन (15.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। 31 मार्च, 2018 के 1.04 गुना के मुकाबले 31 मार्च, 2019 को बाज़ार मूल्य बही मूल्य का 1.01 गुना था। वर्ष 2018 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न[7] 8.9 प्रतिशत था।

4.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्यों के आधार पर किया जाता है। निवेश पर लेखांकन नीति के संदर्भ में, शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो मान्य होता है। शुद्ध अभिमूल्यन, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। 31 मार्च 2019 के अनुसार सभी निधियों में शुद्ध अभिमूल्यन हुआ। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व निधि (आईएफआर) का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 2018 को ₹40.13 बिलियन के स्थान पर 31 मार्च, 2019 के अनुसार, मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा परिकलित, ₹45.40 बिलियन की निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) निधि अनुरक्षित थी।

4.3 वर्ष के दौरान उच्च अस्थिरता के बीच प्रतिलाभ में दुतरफा गतिविधि देखी गई। वर्ष की पहली छमाही के दौरान, कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के चलते प्रतिलाभ काफी बढ़ गया (पुराने बीएम 7.17GS2028 ने मार्च, 18 को 7.40% की तुलना में सितंबर के अंत में 8.02% के उच्च स्तर को छुआ)। उभरते बाजार की मुद्राओं में तनाव के कारण लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्गमन से भी प्रतिलाभ पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका-चीन व्यापार विवाद के कारण वैश्विक विकास पर अनिश्चितता ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्गमन में योगदान दिया है। हालाँकि, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित ओएमओ (खरीद) परिचालन, वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा संशोधित न्यून बाजार कर्ज़, स्थिर रुपया और कच्चे तेल की स्थिर कीमतें और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अंतर्वाह इन कारकों से प्रतिलाभ में कमी आई है। फरवरी 2019 में ब्याज दरों में 25 बीपीएस की कमी और अमेरिकी ट्रेजरी के न्यून प्रतिलाभ ने प्रतिलाभ को और कम कर दिया।

भाग V : संगठनात्मक मामले

5.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है।

7 पोर्टफोलियो रिटर्न की गणना डायटज़ विधि का उपयोग करके की जाती है, जैसे। टीडबल्यूआर = [एमवीवी-एमवीबी + आई-सी] / [एमवीबी + (0.5 X सी)], जहां एमवीई/ बी = अंत/ शुरुआत में बाजार मूल्य, I = प्राप्त आय, सी = नए प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

5.1.1 निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.1.2 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अधीन नियुक्त श्री के.के.वोहरा, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्त होने पर 31 मई, 2018 के प्रभाव से निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं हैं। श्रीमती मालविका सिन्हा को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अधीन 5 जून 2018 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(2)(ii) के साथ पठित धारा 6(1)(डी) के अधीन 8 मार्च, 2018 की प्रभावी तारीख से 17 दिसंबर 2019, तक के लिए डॉ. हर्ष कुमार भानवाला को निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2019 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1.	डॉ हर्ष कुमार भानवाला	अध्यक्ष
2.	डॉ. शशांक सक्सेना	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3.	श्रीमती मालविका सिन्हा	निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी स्वीकरण एवं विकास हेतु निगम को दिशा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2011 में एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च 2019 को जिसकी संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. जी.शिवकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री कमलेश विकमसे	सदस्य
3.	श्रीमती मालविका सिन्हा	सदस्य
4.	श्री एस.गणेश कुमार	आमंत्रित
5.	श्री संजोय सेठी	सदस्य

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

5.3 आंतरिक नियंत्रण

5.3.1 बजट नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसेकि बीमाकृत बैंकों का लाईसेंस रद्द करना / परिसमापन करना, स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। 30 सितंबर तक की स्थिति के आधार पर बज़ट में किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी गई है।

5.3.2 समवर्ती लेखापरीक्षा

मेसर्स एम.एम. चितले और कंपनी को वर्ष 2018-19 के लिए निगम के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। मासिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.3.3 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करें और महाप्रबंधक को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने स्टाफ को अद्यतन रखने हेतु निगम उनको विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन कार्यक्रमों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत और विदेश में विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2018-19 के दौरान 34 अधिकारी, 8 श्रेणी III के स्टाफ और 2 श्रेणी IV के स्टाफ सहित कुल 44 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके आलावा अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) तथा अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 6 नामांकन किए गए।

5.5 स्टाफ संख्या

निगम में मुख्य वित्तीय अधिकारी(सीएफओ) को छोड़कर संपूर्ण स्टाफ भा.रि.बैं. से प्रतिनियुक्ति पर है। निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च, 2018 के 61 की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 55 हो गई है। उनका श्रेणीवार विवरण सारिणी 5 में दिया गया है :

सारिणी 5: 31 मार्च 2019 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	*जिसमें*		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	36*	6	1	17	3
श्रेणी III	13	4	0	31	0
श्रेणी IV	6	1	0	17	0
कुल	**55**	**11**	**1**	**20**	**2**

अजा -अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

* कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को छोड़कर

कुल स्टाफ में से श्रेणी I में 65 प्रतिशत, श्रेणी III में 24 प्रतिशत और शेष 11 प्रतिशत श्रेणी IV में थे। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में से 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है।

5.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान निगम द्वारा कुल 72 सूचना का अधिकार संबंधी अनुरोध तथा 5 अपील संबोधित के गई। प्रश्न, जमाकर्ताओं की रक्षा करने में निगम की भूमिका, विफल बैंकों की जमा राशि पर दी गई गारंटी, विफल बैंकों की जानकारी और वितरित राशि से संबंधित थे।

5.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

निगम राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिंदी पत्राचार की स्थिति 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में 97.5 प्रतिशत के मुकाबले 96.7 प्रतिशत रही। निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। इस वर्ष निगम ने 14 सितंबर, 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों के विनियमन और जोखिम प्रबंधन समूह के साथ हिंदी दिवस का आयोजन किया।

5.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम एक सार्वजनिक संस्था है और इसका मुख्य कार्य विफल हुई बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करना है। निगम के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष स्थापित किया गया है।

5.9 जन जागरूकता

निगम जनता को बीमाकृत बैंकों, वेबसाइट, जमा बीमा पर ब्रोशर और पुस्तिकाओं के माध्यम से जमा बीमा के बारे जानकारी प्रदान करता है। निगम भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में आनेवाले बीमाकृत बैंकों के बीच परिचालित करने के लिए जमा बीमा पर मुद्रित सामग्री अग्रेषित करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निर्देश भी दिया गया कि जब भी राज्य में कोई साक्षरता शिविर आयोजित किया जाए, तब उसमें जनता को उक्त सामग्री वितरित की जानी है। प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए कोर सिद्धांतों के सिद्धांत 10 अर्थात सार्वजनिक जागरूकता के अनुपालन के रूप में निगम ने उन जमाकर्ताओं को पत्र भेजे हैं जिनके दावों का निपटान किया गया है। जमा बीमा कवर की उपलब्धता के संबंध में वर्ष के दौरान झारखंड और उत्तराखंड राज्यों में बैंक शाखाओं को स्टिकर भेजे गए थे। परिसमापकों की नियुक्ति और दावों के निपटान समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

डीआईसीजीसी वेबसाइट को यथासमय अद्यतन किया जाता है, जिसमें परिसमापकों के नाम तथा उन बैंकों का विवरण जिनके लिए दावों का निपटान किया गया है शामिल हैं। नए पंजीकृत बैंक, विपंजीकृत बैंक,पंजीकृत बैंकों के नाम /विवरण आदि में बदलाव से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। देय प्रीमियम के आंकड़े, बैंकों के लिए नया जमा बीमा प्रारूप, परिसमापकों को सम्पत्तियों की वसूली के लिए आगे बढ़ाई गई अवधि पर परिपत्र, प्रीमियम भुगतान और संबंधित निर्देश वेबसाईट पर अपलोड किए गए थे।

5.10 आईएडीआई में भूमिका

5.10.1 निगम के कार्यपालक निदेशक ने 15-19 अक्टूबर, 2018 के दौरान बासेल में 17वें एजीएम (वार्षिक सामान्य बैठक) और आईएडीआई के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका शीर्षक था “जमा बीमा और वित्तीय स्थिरता: हाल के वित्तीय विषय”। सम्मेलन में निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी भाग लिया। कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने 25 फरवरी से 01 मार्च, 2019 के दौरान कजाकिस्तान के अल्माटी में 57वीं आईएडीआई ईएक्ससीओ बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। कार्यपालक निदेशक ने 12 से 13 मार्च, 2019 के दौरान टोक्यो, जापान में 11वीं डीआईसीजे गोलमेज़ में भी भाग लिया और "एनालिटिक्स ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड" पर एक प्रस्तुति दी। मुख्य वित्तीय अधिकारी ने 1 से 2 अप्रैल, 2019 के दौरान ताइपी में आयोजित एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी के सीईओ डायलॉग में भाग लिया और ‘इकोनॉमिक आउटलुक एण्ड चेलेंजस टू डिपॉजिट इंश्योरर्स’ पर प्रस्तुति दी।

5.10.2 वर्ष 2017-18 के दौरान आईएडीआई सचिवालय को सदस्य संबंध परिषद समिति की गतिविधियों से संबंधित सामग्री आईएडीआई की वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 में शामिल करने के लिए प्रदान की गई थी। आईएडीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18, आईएडीआई बिजनेस प्लान 2018-21 और आईएडीआई वार्षिक बजट के संबंध में टिप्पणियां और इनपुट प्रदान किए गए थे।

5.10.3 निगम ने आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2018 के लिए जानकारी प्रदान की है और अन्य जमा बीमा एजेंसियों द्वारा आईएडीआई के तत्वावधान में किए गए सर्वेक्षणों में भी भाग लिया है।

5.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स वी. शंकर अय्यर एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वर्ष 2018-19 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

परिचालनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड निगम के स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई

(बी.पी.कानूनगो)
अध्यक्ष

दिनांक: 13 जून, 2019

संलग्नक - I
निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक – स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			वर्ष/अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

संलग्नक - II

ए. बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109
2016-17	100	56	3	1,966	2,125
2015-16	93	56	4	1,974	2,127

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

बी. बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार
(मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	21	47	69
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणांचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	22	4	27
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	6	7
7.	गुजरात	1	18	219	238
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमांचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
11.	झारखंड	1	1	1	3
12.	कर्नाटक	1	21	263	285
13.	केरल	1	14	60	75
14.	मध्य प्रदेश	1	38	49	88
15.	महाराष्ट्र	1	31	496	528
16.	मणिपुर	1	0	3	4
17.	मेघालय	1	0	3	4
18.	मिजोरम	1	0	1	2
19.	नागालैंड	1	0	0	1
20.	उड़ीसा	1	17	9	27
21.	पंजाब	1	20	4	25
22.	राजस्थान	1	29	35	65
23.	सिक्किम	1	0	1	2
24.	तमिलनाडु	1	24	129	154
25.	तेलंगाना	1	1	51	53
26.	त्रिपुरा	1	0	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	1	50	62	113
28.	उत्तराखंड	1	10	5	16
29.	पश्चिम बंगाल	1	17	43	61
	संघशासित क्षेत्र				
1	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
2	अंडमान और नीकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
3	पुडुचेरी	1	0	1	2
4	चंडीगढ़	1	0	0	1
कुल		**33**	**364**	**1,544**	**1,941**

संलग्नक - III
वर्ष 2018-19 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक
ए. पंजीकृत (8)

बैंक का प्रकार	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (4)	1.	जन स्मॉल फाईनान्स बैंक लिमिटेड
	2.	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
	3.	एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड
	4.	कुकमिन बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (4)	1.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
	2.	पंजाब ग्रामीण बैंक
	3.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक
	4.	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक

बी. वपिंजीकृत (19)

बैंक का प्रकार	राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (2)		1.	देना बैंक (बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ विलय)
		2.	विजया बैंक (बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ विलय)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (9)	बिहार	1.	बिहार ग्रामीण बैंक (दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		2.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	गुजरात	1.	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक (बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		2.	देना गुजरात बैंक (बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	कर्नाटक	1	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (कर्नाटक ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		2.	कावेरी ग्रामीण बैंक (कर्नाटक ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	पंजाब	1	पंजाब ग्रामीण बैंक (पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		2	मालवा ग्रामीण बैंक पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
		3	सतलज ग्रामीण बैंक (पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
सहकारी बैंक (8)	आंध्र प्रदेश	1	रामकृष्ण म्यूच्युली एडड कोऑपरेटिव बैंक (कनक महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	गुजरात	1.	श्री लाठी विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (जूनागढ़ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	कर्नाटक	1.	हुंगल को-ऑपरेटिव बैंक (सन्मति सहकारी बैंक लिमिटेड, इछालकरंजी के साथ विलय)
	महाराष्ट्र	1.	सन्मित्र सहकारी बैंक (सूरत पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		2.	नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
	राजस्थान	1.	अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
		2.	भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
	उत्तर प्रदेश	1.	ब्रह्मव्रत कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक

संलग्नक - IV
जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की (संख्या मिलियन में) *	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (बिलियन ₹)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (कुल बिलियन ₹)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2018-19	2,000	2,174	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	1,775	1,941	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	1,737	1,885	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	1,553	1,681	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000 तथा 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 से अधिक नहीं थीं।

नोट : 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

संलग्नक - V
बैंकवार श्रेणी : बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2018-19	I. Cवाणज्यिकि बैंक (i to vii)	106	27,674	1,07,776	25.7
	i भारतीय स्टेट बैंक	1	8,130	25,074	32.4
	ii सरकारी क्षेत्र	18	14,114	46,937	30.1
	iii विदेशी बैंक	46	166	5,586	3.0
	iv निजी बैंक	21	5,209	29,888	17.4
	v भुगतान बैंक	7	9	9	100.0
	vi लघु वित्तीय बैंक	10	42	275	15.2
	vii स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4	7	57.1
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51	2,251	3,783	59.5
	III. सहकारी बैंक	1941	3,775	8,492	44.5
	कुल (I+II+III)	**2,098**	**33,700**	**1,20,051**	**28.1**
2017-18	I. वाणिज्यिक बैंक (i to v)	104	26,894	1,00,600	26.7
	i भारतीय स्टेट बैंक समूह	1	7,267	23,140	31.4
	ii सरकारी क्षेत्र	20	14,792	46,987	31.4
	iii विदेशी बैंक	45	146	4,661	3.1
	iv निजी बैंक	35	4,686	25,806	18.1
	v स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	3	6	50.0
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56	2,112	3,440	61.4
	III. सहकारी बैंक	1,949	3,747	7,980	46.9
	कुल (I+II+III)	**2,109**	**32,753**	**1,12,020**	**29.2**
2016-17	I. वाणिज्यिक बैंक (i to v)	103	25,015	92,994	26.9
	i भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	7,169	21,224	33.8
	ii सरकारी क्षेत्र	21	13,509	44,500	30.4
	iii विदेशी बैंक	44	136	5,062	2.7
	iv निजी बैंक	29	4,198	22,202	18.9
	v स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	3	6	50.0
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56	1,885	3,041	62.0
	III. सहकारी बैंक	1,966	3,608	7,496	48.1
	कुल (I+II+III)	**2,125**	**30,508**	**103,531**	**29.5**

संलग्नक - VI
2018-19 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र (9)			
1	जामखेड़ मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)	मुख्य	6,119	52,055.2
2	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड(मुख्य दावा)*	मुख्य	-	2,946.9
3	श्री छत्रपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(मुख्य दावा)*	मुख्य	-	27,601.0
4	दी मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धुले	अनुपूरक (1)	109	1,396.0
5	इंदिरा श्रमिक महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापूर	अनुपूरक (2)	3	13.2
6	दी नागपूर महिला नागरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (1)	2	8.6
7	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड गाधींगलज महाराष्ट्र	अनुपूरक (5)	94	843.4
8	दी मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (1)	1	41.4
9	भूसावल पीपल्स सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (1)	1	5.9
	कुल (महाराष्ट्र)	मुख्य (3), अनुपूरक (11)	**6,329**	**84,911.6**
	पश्चिम बंगाल (2)			
1	बाड़ानगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (5)	124	954.2
2	कसूंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (4)	814	22,746.1
	कुल (पश्चिम बंगाल)	मुख्य(0), अनुपूरक (9)	**938**	**23,700.3**
	उत्तर प्रदेश (2)			
1	मिर्जापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (मुख्य दावा)	मुख्य	15,188	71,640.0
2	पायोनीर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ	मुख्य	28,382	68,559.5
	कुल (उत्तर प्रदेश)	मुख्य (2)	**43,570**	**1,40,199.4**
	उड़ीसा (1)			
1	दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर (मुख्य दावा)	मुख्य	6446	1,51,659.4
	कुल (उड़ीसा)	मुख्य (1)	**6,446**	**1,51,659.4**
	गुजरात (1)			
1	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक (1)	4	4.0
	कुल (गुजरात)	अनुपूरक (1)	**4**	**4.0**
	कुल (सभी राज्य)	मुख्य (6) ,अनुपूरक (21)	**57,287**	**400,474.7**

* शीघ्र दावा निपटान नीति के तहत दावों का निपटान किया गया।

संलग्नक - VII
आकस्मिक देयता के लिए किया गया प्रावधान (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ मिलियन में)
क	**> 10 वर्ष पुराने**		
1	दिसंबर 8, 1999	गुवाहाटी कोऑपरेटिव टाउन बैंक	82.4
2	मई 3, 2002	मधेपुरा अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक	0.5
3	अगस्त 16, 2000	फेडेरल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	13.7
4	मार्च 31, 2002	झारग्राम पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड	29.2
5	फरवरी 7, 2001	प्रनबानन्द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	225.7
6	अप्रैल 10, 2007	राहुता यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	145.7
कुल (क)		**(6 बैंक)**	**497.3**
ख	**5 से 10 वर्ष के मध्य के पुराने**		
1	नवम्बर 15, 2010	गाज़ियाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	198.2
2	जून 17, 2010	रामकृष्णापुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	750.2
3	फरवरी 9, 2012	पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक	3,591.4
कुल (ख)		**(3 बैंक)**	**4,539.9**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**		
1	जुलाई 7,2016	जीजामाता महिला सहकारी बैंक	1,066.3
2	दिसंबर 28,2016	श्री साई अर्बन कोऑपरेटि बैंक	20.9
3	अक्टूबर 16, 2014	बारीपाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	471.7
4	जनवरी 24,2015	यूनाईटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	465.2
5	जून 28, 2017	गोकुल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	13.6
6	अगस्त 30, 2017	हरदोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	67.8
7	अगस्त 22, 2017	महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	375.2
8	अप्रैल 1, 2017	मर्केन्टाईल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	32.3
कुल (ग)		**(8 बैंक)**	**2,513.0**
घ	**1 वर्ष से कम पुराने**		
1	अक्टूबर 04, 2018	नवोदय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	531.0
2	जनवरी 25, 2018	भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	87.1
3	जुलाई 03, 2018	अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	154.6
4	अगस्त 23, 2018	भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	409.7
5	जुलाई 03, 2018	ब्रह्मव्रत कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	334.6
कुल (घ)		**(5 बैंक)**	**1,516.9**
कुल योग (क+ख+ग+घ)		**(22 बैंक)**	**9,067.1**

संलग्नक - VIII
निपटाए गए बीमा दावे तथा वसूल की गई चुकौतियाँ -
31 मार्च 2019 तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I	**वाणिज्यिक बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (ए)				
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		11.51	11.51	-
	3 लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*		4,631.66	4,631.66	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		704.06	704.06	-
	5 बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970)*		208.50	208.50	-
	6 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		370,000.00	370,000.00	-
	7 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)		14,659.08	14,659.08	-
	कुल 'ए'		**391,139.79**	**391,139.81**	-
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (बी)				
	8 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई 1963)*		253.35	137.79	-
				(115.58)	-
	9 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07	-
				(9.53)	-
	10 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*		108.08	31.32	-
				(76.76)	-
	11 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55	-
				(438.53)	-
	12 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93	-
				(361.35)	-
	13 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00	-
				(47.40)	-
	14 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12	-
				(11.13)	-
	15 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55	-
				(3.74)	-
	16 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65	-
				(2,829.71)	-
	17 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
				(317,519.13)	-
	कुल "बी"		**380,018.32**	**58,605.49**	-
				(321,412.86)	-

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)				
	18 नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि.,दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	19 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985) *		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	20 बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	21 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23 बैंक ऑफ थण्जवूर लि., थण्जवूर, तमिलनाडु (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	कुल 'सी'		**2,187,371.62**	**1,062,725.62**	**1,124,646.00**
	कुल (ए+बी+सी)		**2,958,529.74**	**1,512,470.92 (321,412.86)**	**1,446,058.82**
II	**कोऑपरेटिव बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (डी)				
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'डी'		**17,137.55**	**17,137.55**	-

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ई)				
	9 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
	10 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
	11 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	-
	12 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
	13 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	-
	14 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	-
	कुल 'ई'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	-
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (एफ)				
	15 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.07
	20 आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
	21 कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	400.91	83.98
	22 गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	23 मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
	24 हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	25 येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	26 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
	27 कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28 मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29 सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.61
	30 बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31 भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
	32 सिटिज़ेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	33 चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34 बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)		2,413.42	1,474.44	938.98
	35 पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36 स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	37 कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38 धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^		915.79	915.79	0.00
	39 दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40 विंकार सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	41 त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि.,पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42 आवामी मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43 रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44 गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45 अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	46 इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		157,012.94	59,783.98	97,228.96
	47 नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49 शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	16,100.00	11,394.76
	50 दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51 अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी, कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
	52 नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53 इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54 नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
	55 इचालकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.17
	56 परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,797.83	148.78
	57 माधवपुर मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#)	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	-
	58 कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		232,429.22	73,116.30	159,312.92
	59 सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	60 जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत),मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61 श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		140,667.57	39,446.41	101,221.16
	62 मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	0.01	37,959.72
	63 लातूर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
	64 श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	5,538.62	2,282.62
	65 फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	66 भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67 अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
	68 दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	23,896.41	2,657.23
	69 श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
	70 श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	71 मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72 मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
	73 श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
	74 खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	75 जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
	76 निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77 दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78 कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	46,556.10	876.47
	79 यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	80 प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81 चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		1,432,344.30	933,695.03	498,649.27
	82 राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,660.00	8,685.12
	83 श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	29,200.33	4,833.15
	84 आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.49
	85 दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86 कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	87 अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	29,185.35	4,144.00
	88 थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	23,706.98	9,470.96
	89 दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90 मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	91 धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92 अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	10,087.68	27,256.20
	93 दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94 दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	35,874.52	5,407.10
	95 मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96 भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	97 नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.68
	98 पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99 श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	100 संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		115,872.42	23,818.21	92,054.21
	101 पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.62
	102 नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103 जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		715,200.69	425,756.90	289,443.79
	104 वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
	105 चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
	106 प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	24,748.87	9,443.46
	107 विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,गुजरात (2004)		3,846,162.46	739,836.93	3,106,325.53

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	108 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	109 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.11
	112 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	113 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	2,018.11	23,423.10
	114 विजया कोऑपरेटि वअर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	115 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	116 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	117 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	118 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
	119 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	120 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	121 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	122 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		584,048.60	373,306.96	210,741.64
	123 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	124 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	53,227.40	33,303.12
	125 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	4,774.86	951.00
	126 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		318,925.24	217,158.00	101,767.24
	127 मटर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93
	128 डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^		606,403.31	606,403.31	-
	129 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		74,035.72	61,370.29	12,665.43

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	130 नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		299,340.86	43,387.32	255,953.54
	131 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		223,150.28	61,781.19	161,369.09
	132 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.51
	133 प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	134 उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	15,349.33	357.04
	135 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	729.55	16,843.87
	136 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	137 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	138 दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	22.47	18,977.37
	139 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	140 श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	141 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		579,896.95	40,363.69	539,533.26
	142 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	190.09	10,708.64
	143 पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	24,088.97	652.51
	144 सोलापूर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	145 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2005)		120,659.85	103.13	120,556.72
	146 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.तेहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.70
	148 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	149 दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	150 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		181,637.44	25,312.45	156,324.99

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	151 मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		65,053.51	0.38	65,053.13
	152 नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		301,592.15	177,879.62	123,712.53
	153 सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		266,452.45	177,540.17	88,912.28
	154 महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2006)		304,703.46	287,369.36	17,334.10
	155 मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	79,428.12	66,233.39
	156 छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		82,529.98	3.29	82,526.69
	157 श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.51
	158 श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		434,251.94	313,993.29	120,258.65
	159 जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	160 नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		552,716.70	165,459.84	387,256.86
	161 मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		120,686.51	4,299.11	116,387.40
	162 दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत,गुजरात (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.27
	163 जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	164 मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		257,956.99	257,956.99	-
	165 कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	5,982.56	23,775.08
	166 आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		371,586.77	123,086.25	248,500.52
	167 कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,तमिलनाडु (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
	168 दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	3,717.09	7,897.81
	169 कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	5.79	4,840.91

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	170 बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	8,108.87	4,716.61
	171 दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		165,896.38	82,183.34	83,713.04
	172 धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	57,611.81	1,186.63
	173 समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	26,444.24	89,607.28
	174 प्रूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		755,959.06	755,959.06	-
	175 लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
	176 नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	21.68	20,371.82
	177 सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	178 श्रीराम सहकारी बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179 परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		367,807.52	110,393.79	257,413.73
	180 पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181 यशवंत सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182 दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183 महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184 करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		124,758.68	118,047.66	6,711.02
	185 भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.98
	186 लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
	187 वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
	188 बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
	189 दतिया नागरिक सहकारी बैंक .,मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	190 आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	3,446.71	9,528.10
	191 उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	2,162.98	19,915.95
	192 सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		160,286.13	33,549.79	126,736.34
	193 श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	78.08	2,398.44
	194 ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
	195 दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	1,877.84	8,384.52
	196 श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84
	197 आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
	198 राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	199 सेवालाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
	200 नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	201 सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202 चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203 बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	204 इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.68
	205 तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	2,059.37	22,463.54
	206 चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	207 डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	208 जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.92
	209 मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	185,521.69	141,403.83	44,117.86
	210 श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	15,120.87	32,396.97

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	211 परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
	212 इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
	213 इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25
	214 किट्टूर रानी च्न्नम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
	215 भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	48,722.95	50,945.78
	216 रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	38,081.19	131,144.59
	217 श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	220,271.10	47,982.92
	218 जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि.,दिल्ली (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	219 हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	220 वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	5,395.14	19,846.88
	221 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	112,933.28	54,842.49	58,090.79
	222 श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	75,092.93	3,915.33
	223 श्री कमलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	14,701.67	10,586.81
	224 दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	21,552.69	46,107.76
	225 प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर,महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	30,294.08	35,498.75
	226 श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
	227 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद,उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	228 फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
	229 सिद्धपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.08
	230 नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	128,916.02	53,376.93	75,539.09

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	231 भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	374,582.84	291,003.72	83,579.12
	232 संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	233 श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	234 श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	235 ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236 अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	23,028.40	30,099.58
	237 रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	370,674.45	53,841.14	316,833.31
	238 साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2009)*	56,817	359,787.81	82,648.78	277,139.03
	239 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	238,318.86	182,321.36	55,997.50
	240 अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	292,978.03	117,336.14	175,641.89
	241 श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242 हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	137,345.44	7,830.61	129,514.83
	243 श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,791	566,073.61	35,679.66	530,393.95
	244 चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	300,915.66	279,646.98	21,268.68
	245 दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246 सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247 वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	1,467,018.90	205,040.99
	248 दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.09
	249 मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	420,307.60	269,750.77	150,556.83

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	250 फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.45
	251 डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252 इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	11,584.87	113,853.39
	253 दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	144,067.26	69,944.96	74,122.30
	254 गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,934	436,184.64	99,422.59	336,762.05
	255 अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
	256 यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.26
	257 प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
	258 सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.13	287,336.37
	259 बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260 श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261 साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,386	15,629.02	4,840.87	10,788.15
	262 प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	3,710	64,921.83	7,681.14	57,240.69
	263 श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर, गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264 सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265 यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज, महाराष्ट्र, (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
	266 अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
	267 अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	448,117.96	317,989.76	130,128.20
	268 सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
	269 काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	39,912	146,202.60	43,267.47	102,935.13

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	270 श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	35,219	403,741.10	273,859.76	129,881.34
	271 नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	272 राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,424	25,845.79	7,793.61	18,052.18
	273 बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.40
	274 श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	275 विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	71,482.68	60,659.22	10,823.46
	276 अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	277 अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
	278 कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
	279 राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
	280 रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281 चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282 श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र, (2011)	9,208	84,041.98	68,922.84	15,119.14
	283 रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	26,422	133,960.02	44,799.93	89,160.09
	284 श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	179.27	-	179.27
	285 अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात,2011	71,262	591,664.24	284,181.07	307,483.17
	286 केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	86,764.47	6,683.40	80,081.07
	287 रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	44,388.02	23,005.36
	288 श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	289 श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	290 दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	403,178.78	188,258.37	214,920.41
	291 समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	422,834.49	44,267.79	378,566.70
	292 हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	293 श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	35,973.20	6,477.40	29,495.80
	294 दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	199,311.58	51,833.76	147,477.82
	295 विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	160,023.77	50,371.28	109,652.49
	296 इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	557,696.70	413,022.01	144,674.69
	297 सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298 आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299 श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	545.78	21,456.66
	300 रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	301 चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.56
	302 दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	303 श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
	304 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
	305 बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	306 मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)*	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	307 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	308 भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	309 भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	6,884.16	14,020.63
	310 इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57

संलग्नक - VIII *(आगे जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	311 श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंक लि.,गुजरात (2012)	6,599	45,780.63	28,485.15	17,295.48
	312 ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा 2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313 भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	4.97	4,097.09
	314 भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	12,203	101,677.80	74,538.14	27,139.66
	315 सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	459,890.08	229,890.08	230,000.00
	316 वासो कोऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	19,834.77	52,384.61
	317 कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
	318 अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
	319 अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320 स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
	321 अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	18,601.30	43,053.31
	322 विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
	323 वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	324 सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325 गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	130,229	2,867,408.05	141,030.03	2,726,378.02
	326 दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	327 श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	-
	328 दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)	28,759	301,759.34	301,759.34	-
	329 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
	330 मुंसीपाल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	156,382.66	156,382.66	-
	331 वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान (2015)	3,191	41,382.47	38,555.41	2,827.06
	332 श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2016)	14,159	77,271.98	37,791.40	39,480.58
	333 बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2015)	19,131	151,911.05	54,581.33	97,329.72
	334 तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2011)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
	335 मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)	11,822	55,921.12	55,921.12	-
	336 अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014) $		318,602.37	318,602.37	-
	337 धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (2017)	3,639	20,783.40	15,279.94	5,503.46
	338 राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड (2017)	4,009	12,879.52	7,134.41	5,745.11
	339 श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2017)	6,592	21,888.06	12,569.05	9,319.01

संलग्नक - VIII *(समाप्त)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	340 विट्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
	341 महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2017)	7,398	109,302.97	4,747.14	104,555.83
	342 कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2017)	20,381	218,435.50	167,801.58	50,633.92
	343 लमका अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2017)	317	261.65	-	261.65
	344 छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2017)	2,025	10,385.18	8,537.43	1,847.75
	345 गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
	346 जामखेड़ मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) (2018)	6,119	52,055.23	31,800.00	20,255.23
	347 राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) (2018)$	-	2,946.90	-	-
	348 श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) (2018)$	-	27,601.00	-	-
	349 मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) (2018)&	15,188	71,639.96	71,639.96	-
	350 दी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूवनेश्वर, उड़िसा (2018) &	6,446	151,659.37	151,659.37	-
	351 पायोनीर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
	कुल 'एफ'		**48,198,354.30**	**26,051,819.36**	**22,146,534.94**
	कुल (डी+ई+एफ)		**48,223,320.26**	**26,071,290.68 (5,494.65)**	**22,152,029.58**
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)		**51,181,850.00**	**27,583,761.60 (326,907.51)**	**23,598,088.40**

* समामेलन और पुनर्गठन की योजना।

पुनर्निर्माण की योजना।

@ परिसमापित बैंक के निपटाए गए दावे

$ तरल निधि समायोजन के आधार पर शीघ्र निपटान योजना के अंतर्गत निपटाए गए दावे।

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

नोट: 1. मूल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2019 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

Tel. : 2200 4465, 2206 7440
Fax : 91- 22-2200 0649
E-mail : mumbai@vsa.co.in
Website : www.vsa.co.in

V. Sankar Aiyar & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
2-C, Court Chambers
35, New Marine Lines
Mumbai - 400 020

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का निदेशक मण्डल

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उपरोक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तविक / वस्तुगत रूप से वित्तीय विवरणों के और लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तविक / वस्तुगत रूप से गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी वास्तविक / वस्तुगत रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों हेतु नियमन के प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक / वस्तुगत विकल्प न हो।

Delhi Office : 202-301, Satyam Cinema Complex, Ranjit Nagar Community Centre, New Delhi - 110 008 • Tel.: 2570 5233 / 2570 5232 • E-mail : newdelhi@vsa.co.in
Chennai Office : 41, Circular Road, United India Colony, Kodambakkam, Chennai - 600 024 • Tel.: 044-2372 5720 & 044-2372 5730 • E-mail : chennai@vsa.co.in

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख भी निदेशक मण्डल का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक / वस्तुगत रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक / वस्तुगत मानी जाती है यदि इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक / वस्तुगत गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक / वस्तुगत गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का दमन शामिल हो सकते हैं।
- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक / वस्तुगत अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक / वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्राकर दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

(ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 109208W

जी.शंकर
जी शंकर
भागीदार
सदस्यता सं. 46050

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 जून 2019

डीआई
(निक्षेप बीमा और प्रत्य गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष			
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
53,672.40	-	**1. निधि :** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में शेष)		57,556.00		
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष :				
6,45,572.48	4,406.23	वर्ष के प्रारंभ में शेष	7,60,642.58		4,599.44	
1,15,070.10	193.21	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	1,19,309.58		232.95	
7,60,642.58	4,599.44	वर्ष के अंत में शेष		8,79,952.16		4,832.39
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00		0.00	
0.00	0.00	जोड़ें : राजस्व खाता से अंतरित	0.00		0.00	
0.00	0.00	वर्ष के अंत में शेष		0.00		0.00
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
33,974.70	278.99	वर्ष के प्रारंभ में शेष	39,619.77		295.78	
5,645.07	16.79	जोड़ें : राजस्व खाता से अंतरित	5,253.20		10.29	
39,619.77	295.78	वर्ष के अंत में शेष		44,872.97		306.07
1,395.37		**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**		567.84		
42.79		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		0.00		
0.00		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		0.00		
1,897.97		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**		904.62		
		8. अन्य देयताएं				
26.81		(i) फुटकर लेनदार	10.61			
1,18,268.29	276.92	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	1,30,771.93		249.20	
735.29		(iii) रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ	2,839.77			
17.16		(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	17.16			
0.00		(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	4.10			
1,19,047.55	276.92			1,33,643.57		249.20
9,76,318.43	**5,172.14**	**कुल**		**11,17,497.16**		**5,387.66**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी.शंकर

जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीप्रक नारंग
उप महाप्रबंधक

सीजीसी
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आस्तियाँ	चालू वर्ष			
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
1,314.91	0.41	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**		1,389.87		0.07
		2. मार्गस्थ नकदी				
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां में निवेश (लागत पर)				
		खजाना बिल				
8,36,916.41	4,813.11	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	9,59,284.00		5,045.24	
8,36,916.41	4,813.11			959,284.00		5,045.24
8,13,438.31	4,831.04	अंकित मूल्य	9,39,479.49		4,952.69	
8,43,507.78	4,858.08	बाजार मूल्य	9,73,195.75		5,171.99	
15,940.01	88.84	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**		17,505.91		70.08
		5. अन्य आस्तियाँ				
1,18,303.71	269.78	(i) अग्रिम आयकर	1,31,401.83		272.27	
735.78		(ii) प्राप्त होने वाले रिवर्स रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज	2,841.33			
735.29		(iii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ	2,839.77			
486.35		(iv) वापसी योग्यसेवा कर	288.80			
1.89		(v) प्राप्य सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी	61.57			
1,884.08		(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	1,884.08			
1,22,147.10	269.78			1,39,317.38		272.27
9,76,318.43	**5,172.14**	**कुल**		**11,17,497.16**		**5,387.66**

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

डीआई
(फार्म
31 मार्च 2019 को समाप्त
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष		
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि
		1. दावे :			
434.65	-	(ए) वर्ष के दौरान प्रदत्त		369.93	
(89.92)	-	(बी)स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		(827.53)	
		(सी) सूचित परंतु स्वीकृत न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता			
42.79		वर्ष के अंत में	0.00		
(1,101.53)		घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(42.79)		
(1,058.74)				(42.79)	
		(डी) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ			
0.00	-	वर्ष के अंत में	0.00		
(1,113.83)	-	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	0.00		
(1,113.83)			0.00		
0.00		(ई) घटाएं प्रतिलेखित लापता जमाकर्ताओं के संबंध में प्रावधान		(1,019.00)	
(1,827.84)		**निवल दावे**		(1,519.39)	
53,672.40		**2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**		57,556.00	
1,84,570.80	342.62	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**		1,91,468.48	373.89
2,36,415.36	**342.62**	**कुल**		**2,47,505.09**	**373.89**
		कराधान के लिए प्रावधान			
63,865.19	118.55	वर्तमान वर्ष		66,906.75	130.65
(9.56)	14.07	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		(1.05)	0.00
0.00	0.00	आस्थगित कर		0.00	0.00
5,645.07	16.79	उच्चावचन रिज़र्व निवेश (आईएफआर)		5,253.20	10.29
1,15,070.10	193.21	**अधिशेष खाते में ले जाया गया शेष**		1,19,309.58	232.95
1,84,570.80	**342.62**			**1,91,468.48**	**373.89**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीप्रक नारंग
उप महाप्रबंधक

सीजीसी
'ख')
वर्ष के लिए राजस्व खाता
और ऋण गारंटी निधि

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
55,976.20	-	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	53,672.40	
1,11,280.56	-	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	120,430.83	
4,980.11	3.73	**3. दावों के भुगतान/ निपटान के संबंध में वसूलियों द्वारा (अतिदेय भुगतान पर ब्याज सहित)**	953.73	0.26
		4. निवेशों पर आय के द्वारा		
62,700.69	338.89	(ए) निवेशों पर ब्याज	73,543.61	373.63
1,195.14	0.00	(बी) प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	(1518.72)	0.00
282.66	0.00	(सी) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	423.24	0.00
64,178.49	338.89		72,448.13	373.63
		5. अन्य आय		
0.00	0.00	प्रतिलेखित निवेश का मूल्यह्रास	0.00	0.00
2,36,415.36	**342.62**	**कुल**	**247,505.09**	**373.89**
1,84,570.80	342.62	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	191,468.48	373.89
1,84,570.80	**342.62**		**191,468.48**	**373.89**

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

डीआई
(निक्षेप बीमा और प्रत्य गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

पिछला वर्ष		चालू वर्ष	
राशि	देयताएं	राशि	राशि
500.00	**1. पूँजी : निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)**		500.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
5,268.45	वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,426.69	
158.24	जोड़ें (घटाएँ) - राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष / (घाटा)	64.13	
5,426.69			**5,490.82**
	ख) निवेश रिज़र्व		
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	
0.00	राजस्व खाते से अंतरित	0.00	
0.00			**0.00**
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
356.02	वर्ष के प्रारंभ में शेष	366.82	
10.80	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.03	
366.82			**366.85**
	3. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
89.21	बकाया व्यय	67.03	
7.09	फुटकर लेनदार	8.48	
150.30	आयकर के लिए प्रावधान	134.09	
0.00	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	0.13	
246.60			**209.73**
6,540.11	**कुल**		**6,567.40**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी.शंकर
जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

सीजीसी
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		चालू वर्ष	
राशि	देयताएं	राशि	राशि
	1. नकद		
	(i) हाथ में		
8.07	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	7.89	
8.07			7.89
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
	खजाना बिल		
5,441.70	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	5,107.11	
521.15	सीसीआईएल में जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य 971.60)	933.02	
5,962.85			6,040.13
5,836.78	*अंकित मूल्य : 6225.65*		
6,044.45	*बाजार मूल्य : 6158.05*		
102.72	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**		106.76
	4. अन्य आस्तियाँ		
0.00	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	156.16	
1.78	फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	3.33	
0.00	लेखनसामग्री का स्टाक	0.09	
20.59	स्टाफ अग्रिम	19.11	
3.98	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	4.03	
6.02	फुटकर देनदार	11.09	
50.00	सीसीआईएल के साथ उपांत जमा	102.00	
175.47	अग्रिम आयकर / स्त्रोत पर कर की कटौती	105.90	
7.09	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	10.91	
201.54	परियोजना लागत	0.00	
466.47			**412.62**
6,540.11	**कुल**		**6,567.40**

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

डीआईसीजीसी
(फार्म 'ख')
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ मलियिन में)

पिछला वर्ष	व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	
राशि		राशि	राशि	राशि		राशि	राशि
89.78	**स्टाफ लागत का भुगतान / प्रतिपूर्ति**		122.08		**निवेशों से आय**		
0.02	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**		0.00	466.75	(क) निवेशों पर ब्याज	462.59	
0.02	**निदेशकों / समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते / व्यय**		0.00	(0.005)	(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ (हानि)	0.34	
12.93	**किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि**		25.60	**466.75**			**462.93**
36.32	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**		45.46	0.00			0.00
7.46	**मुद्रण, लेखनसामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**		1.49				
4.99	**डाक, तार और टेलीफोन**		5.98		**विविध प्राप्तियाँ**		
1.63	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**		1.67	0.98	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	1.35	
3.83	**विधि प्रभार**		4.96	0.06	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ /हानि (निवल)	0.03	
0.08	**विज्ञापन**		6.25	1.04		1.38	
0.00	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		0.00				
	विविध व्यय						
0.19	व्यावसायिक प्रभार	0.58					
6.50	सेवा करार / अनुरक्षण	58.59					
0.48	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	0.42					
0.47	पुस्तक अनुदान	0.60					
0.09	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.09					
4.17	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	6.36					
10.33	अन्य	7.53					
22.23			**74.17**				
0.76	मूल्यह्रास		0.47				
0.00	आईएएस पर मूल्यह्रास		78.07				
287.74	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया		98.11				
467.79	**कुल**		**464.31**	**467.79**	**कुल**		**464.31**
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया			287.74	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया**		98.11
	आयकर के लिए प्रावधान						
99.56	वर्तमान वर्ष		33.95				
19.14	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00				
10.80	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**		0.03				
158.24	**सामान्य रिज़र्व खाता**		64.13				
287.74	**कुल**		**98.11**	**287.74**	**कुल**		**98.11**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

डीआईसीजीसी
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछले वर्ष		विवरण		चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)			निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
राशि (₹)	राशि (₹)			राशि (₹)	राशि (₹)
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
1,84,570.80	**342.62**	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	**1,91,468.48**	**373.89**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(62,983.35)	(338.89)	निवेशों पर ब्याज		(73,966.85)	(373.63)
(1,195.14)	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		1,518.72	0.00
(2,303.80)	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		3,883.60	0.00
(66,482.29)	**(338.89)**		**(ख)**	**(68,564.53)**	**(373.63)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(63,436.09)	(44.15)	अग्रिम आयकर/स्त्रोत पर कर कटौती		(67,500.18)	(160.86)
7,728.00	0.00	प्राप्य सेवाकर		0.00	0.00
(1,436.86)	0.00	अन्य आस्तियाँ		(4,072.16)	0.00
552.00		स्वच्छ भारत/ कृषि कल्याण प्राप्तियाँ		0.00	
(1.89)		प्राप्य सीजीएसटी/ एसजीएसटी और आईजीएसटी		0.00	
(56,594.84)	**(44.15)**		**(ग)**	(71,572.34)	(160.86)
		देयताएं :			
		(कमी) वृद्धि			
(2,262.49)	0.00	**सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		(870.33)	0.00
4.35	0.00	अदावी जमाराशियाँ		(993.35)	0.00
22.44	0.00	फुटकर लेनदार		(16.20)	0.00
(3.68)	0.00	Service Tax Payable A/C		0.00	0.00
694.02	0.00	रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		2,104.48	0.00
17.16		बैंकों को वापसी योग्य राशि		0.00	
0.00		भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		4.11	
(1,528.20)	0.00		**(घ)**	228.71	**0.00**
59,965.47	**(40.42)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)**	**(ए)**	**51,560.32**	**(160.60)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
60,684.68	331.85	प्राप्त निवेशों पर ब्याज		72,400.95	392.39
1,195.14	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/(हानि)		(1,518.72)	0.00
		कमी (वृद्धि)			
(1,20,594.41)	(292.91)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(1,22,367.59)	(232.13)
(58,714.59)	**38.94**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**(51,485.36)**	**160.26**
0.00	0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(सी)**	0.00	0.00
1,250.88	(1.48)	**नकदी में निवल वृद्धि / कमी**	**(ए+बी+सी)**	74.96	(0.34)
64.03	1.89	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		1,314.91	0.41
1,314.91	**0.41**	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**1,389.87**	**0.07**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

डीआईसीजीसी
II. सामान्य निधि
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

पिछले वर्ष राशि			चालू वर्ष राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
287.74	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	**98.11**
	शुद्ध नकदी के परिचालन से आय से अधिक व्यय का सामंजस्य करने के लिए समायोजन		
0.76	मूल्यह्रास		0.47
0.00	आईएएसएस पर मूल्यह्रास		78.07
(466.75)	निवेशों पर ब्याज		(462.59)
0.01	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		(0.34)
(0.98)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(1.35)
0.06	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		(0.03)
(466.91)		**(ख)**	**(385.77)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
1.52	लेखन सामग्री का स्टॉक		(0.09)
(4.16)	प्राप्य सेवा कर		(3.82)
(6.92)	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		1.48
(89.86)	अग्रिम आयकर		18.88
50.00	सीसीआईएल के पास उपांत जमा		(52.00)
(0.82)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		(0.05)
(134.46)	परियोजना लागत		45.38
(2.15)	फुटकर देनदार		(5.07)
(186.85)		**(ग)**	4.71
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
59.38	बकाया व्यय		(22.18)
(6.81)	फुटकर लेनदार		1.52
0.00	अन्य जमा / स्त्रोत पर कर कटौती		0.53
52.57		**(घ)**	**(20.13)**
(313.45)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ए)**	**(303.08)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
464.07	निवेशों से प्राप्त ब्याज		458.55
(0.01)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		0.34
0.98	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		1.35
	कमी (वृद्धि)		
(0.41)	अचल आस्तियाँ		(80.06)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
(566.02)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		334.59
419.83	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(411.87)
318.45	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**302.90**
	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	**(सी)**	**0.00**
5.00	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(ए+बी+सी)**	**(0.18)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
	हाथ में		0.00
3.07	भारिबैं के पास		8.07
8.07	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**7.89**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स वी.शंकर अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन. 109208W

जी. शंकर
भागीदार (सदस्यता सं. 046050)
मुंबई
13 जून 2019

बी.पी. कानूनगो
अध्यक्ष

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मालविका सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दीपक नारंग
उप महाप्रबंधक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में लेखांकन अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण

जबतक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) आधिकारिक परिसमापक से दावा सूची प्राप्त होने पर दावों की देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता हैं।

(ग) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन जिस परिसमापित बैंक का निगम द्वारा निपटान किया जाना है, उसके लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार निगम द्वारा वास्तविक संपूर्णत: निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा दावे संबंधी देयताओं हेतु प्रावधान किया जाता है।

(घ) लापता या आसानी से न मिल पाने वाले जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार और भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों पर यथाप्रयोज्य बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन) ,यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

(iii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

(v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(vi) रेपो / रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन अनुषंगिक / उधार कार्य विधि जैसे कि पुन: खरीद के करार, के अनुसार किया जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। इसके साथ ही, जैसा कि मामला हो, लागत और राजस्व को व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी स्त्रोतजन्य लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों , माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफटवेयर आदि	33.33%
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20%

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियॉं (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टबल इलैक्टॉनिक आस्तियॉं जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोडकर) पर आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभार लगाया जाएगा।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

(i) कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आय पर कराधान

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आंकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर-योग्य आय में तथा एक ही समयावधि में शुरू लेखा आय/ व्यय में अंतर होने के कारण आस्थगित कर एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में पलटने में सक्षम हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता से मापी जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

i) लेखा मानक 29 आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. **निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :**

ए. सेवा कर:

(₹ मिलियन में)

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा कर	1,755.13	1,705.72

स्पष्टीकरण टिप्पणी:

I. 1 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹53,674.2 मिलियन) :

निक्षेप बीमा निगम की गतिविधियों को "सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹53,674.2 मिलियन (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में ₹53,674.2 मिलियन की मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है और निगम की गतिविधि को "साधारण बीमा कारोबार" की श्रेणी के अंतर्गत रखा है और निगम 20 सितंबर, 2011 से पहले की अवधि के लिए सेवा कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। निगम ने अतः गतिविधि के "साधारण बीमा कारोबार" की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण की पुष्टि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष 9 सितंबर 2015 को अपील दायर की है। विभाग ने सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकारने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को संपर्क किया है। निगम ने 20 जुलाई, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी शपथ-पत्र भी दर्ज किया है। मामले की सुनवाई अभी बाकी है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 की अवधि के लिए दंड संहिता की धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के कारण सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के अनुसार निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। [धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

II. 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 (₹1,186.42 मिलियन धन विलंब हेतु ब्याज ₹568.70 मिलियन) :

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर रहित" मानते हुए "अतिरिक्त कर देयता" के रूप में निगम से ₹1,186.42 मिलियन की मांग की है। निगम ने उक्त अवधि में प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर सहित" माना है। निगम ने "आपत्ति के अधीन" 8 जनवरी 2015 को ₹884.4 मिलियन तथा 30 जून 2015 को ₹302.02 मिलियन का भुगतान किया है। सेवा कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 31 मार्च और 6 अक्टूबर को प्रीमियम प्राप्त होने पर (अर्थात क्रमशः मई और नवंबर) अगले महीने की 6 तारीख (क्रमशः जून 6 और दिसंबर 6) को सेवा कर के भुगतान की तिथि मानते हुए निगम ने 21 जनवरी 2015 को ₹394.68 मिलियन के ब्याज का भी भुगतान किया है। विभाग ने ₹174.02 मिलियन के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था

(डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹394.68 मिलियन के भुगतान को छोड़कर)। कमिश्नर ने 16 अगस्त, 2018 को दिए गए आदेश द्वारा मांग की पुष्टि की है। निगम ने 26 नवंबर, 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की है।

आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। विभाग ने तदनुसार आयुक्त सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी तदनुसार आयुक्त (अपील) के निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित मानने के निगम के पक्ष में दिए गए फैसले के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है। (अपील) के निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित मानने निगम के पक्ष में दिए गए फैसले के विरुद्ध 18 अप्रैल 2016 को अपील दायर की है।

बी. दावे

(₹ मिलियन में)

निम्नलिखित से संबन्धित दावे	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2018
ए) विपंजीकृत बैंक	9,067(22)*	2,257(8)*
बी) लापता जमाकर्ता	1019	0
सी) अज्ञात जमाकर्ता	863	0

** बैंकों की संख्या का वर्णन*

2. निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व:

निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2019 को ₹45.5 बिलियन आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2018 को यह ₹40.28 बिलियन था)।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹25,000 मिलियन के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई आरटीजीएस के अंतर्गत एक दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

4. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ मिलियन में)

प्रकटीकरण :	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	19	62823	7308	2833
ख) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

श्री के.के.वोहरा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2018 तक निगम के कारोबार के प्रभारी रहे। श्रीमती मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 05 जून, 2018 से कार्यभार संभाल रही हैं। इसके लिए दोनों ने अपना वेतन और पारिश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया है।

6. खण्ड वार रिपोर्ट

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

7. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार / उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

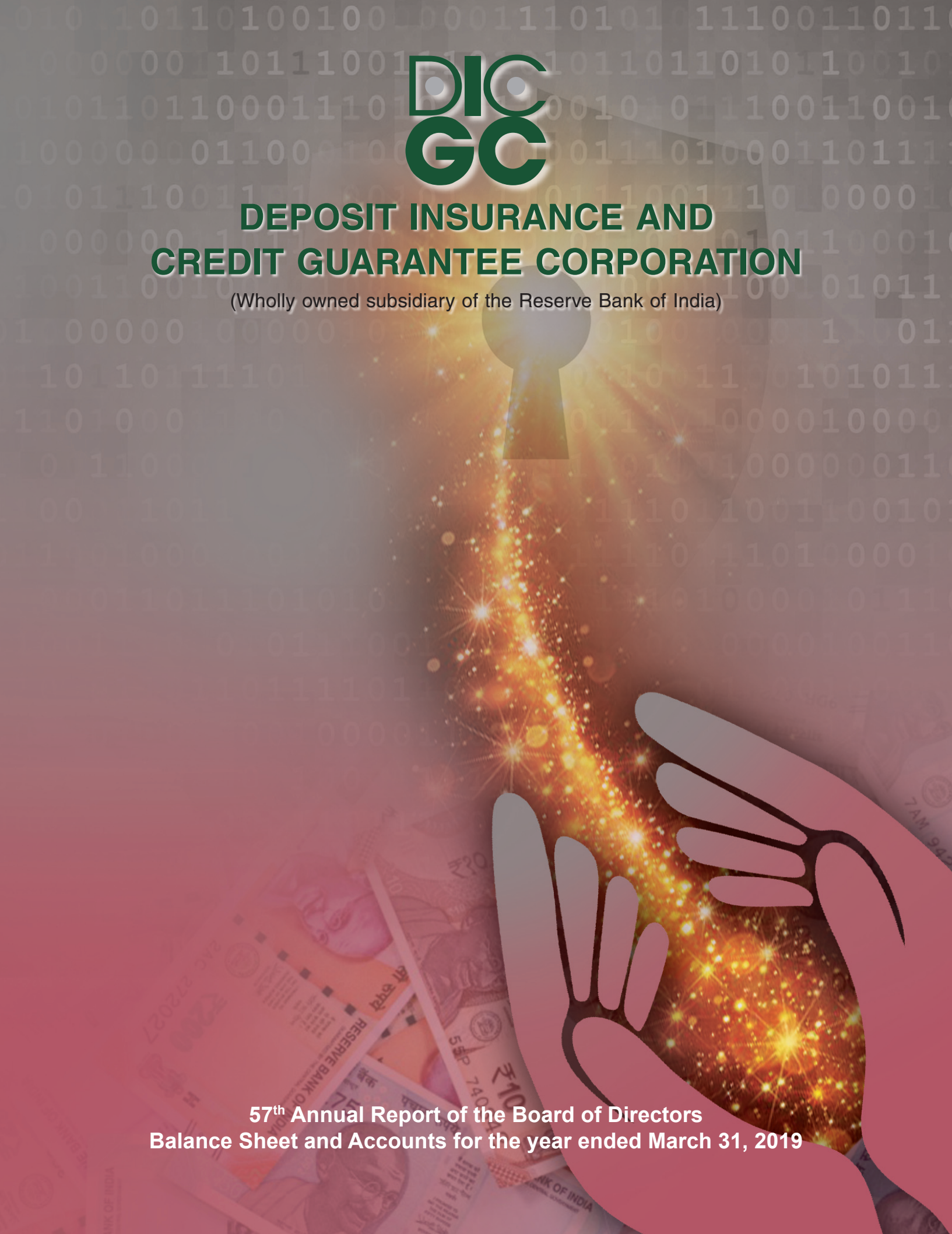

57th Annual Report of the Board of Directors
Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2019

MISSION

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

VISION

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

CONTENTS

1	Letters of Transmittal	i-ii
2	Board of Directors	iii
3	Organisation Structure	iv
4	Contact information of the Corporation	v
5	Principal Officers of the Corporation	vi
6	Abbreviations	vii
7	Highlights	viii-xi
8	An Overview of DICGC	1-5
9	Management Discussion and Analysis	6-11
10	Directors' Report	12-21
11	Annexes to Directors' Report	22-47
12	Auditors' Report	48-49
13	Balance Sheet and Accounts	50-64

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निदेशक
Director

DICGC/SD/514/01.01.016/2019-20 June 20, 2019

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2019

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2019 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31 , 2019.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

M. Ramaiah

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC/SD/513/01.01.016/2019-20 June 20, 2019

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2019

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2019 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2019.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz.,* the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid*. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

M. Ramaiah

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: as above

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंज़िल, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008.
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, (opp. Mumbai Central Railway Station) Byculla, Mumbai - 400 008.
Phone : (022) 2301 9792 Fax: (022) 2302 1131 E-mail: dicgc@rbi.org.in

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Shri B. P. Kanungo **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 08.12.2017)

DIRECTORS

Smt. Malvika Sinha **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.06.2018)
Dr. Shashank Saksena **Adviser** **Ministry of Finance** **Department of Economic Affairs** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)
Dr. Harsh Kumar Bhanwala **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 08.03.2019)

ORGANISATION STRUCTURE

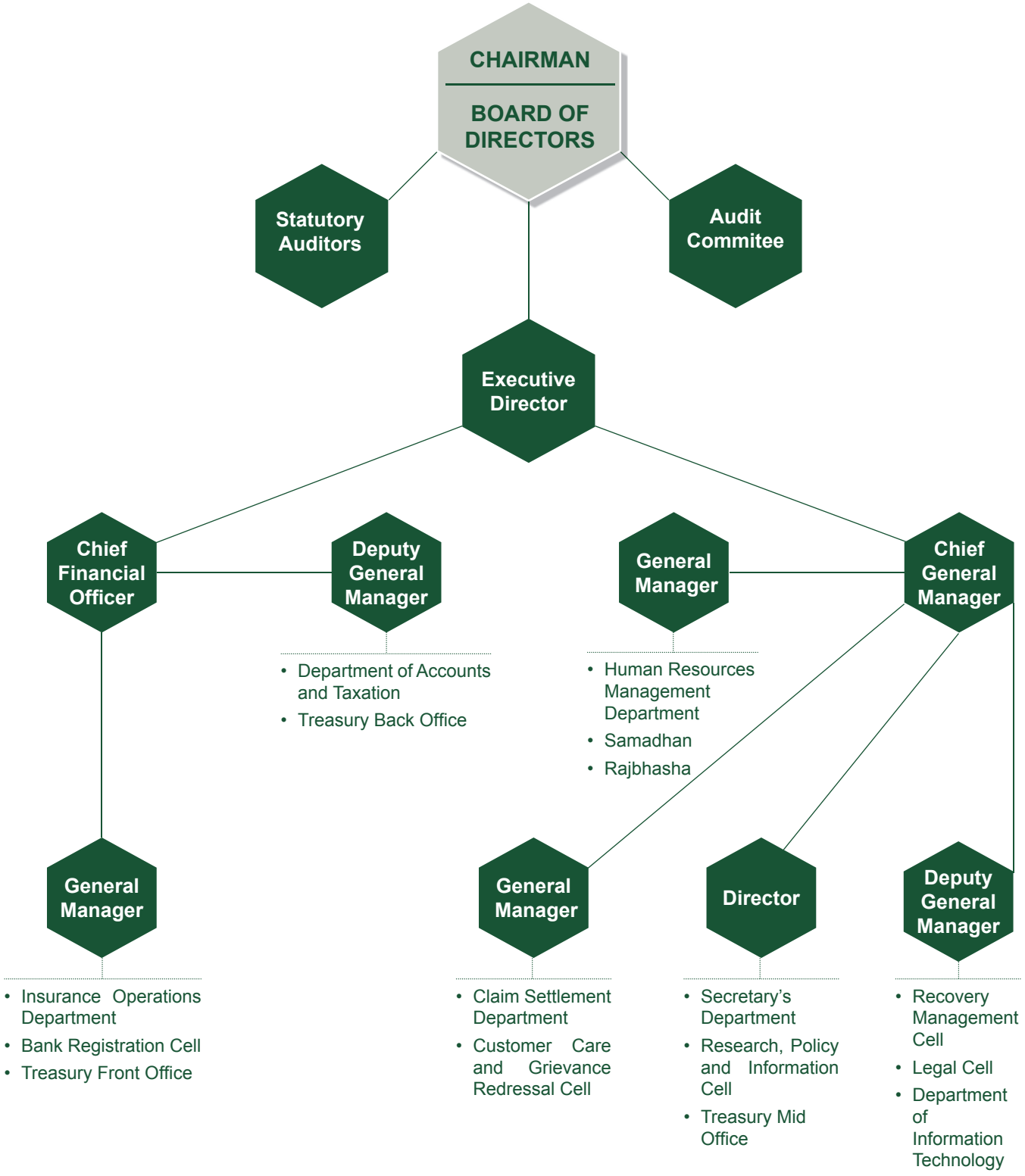

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

Tel. Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-2302 1624	Claims
022-2306 2162	RMC
022-2301 1991	RTI
022-2301 9570	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India Building,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Executive Director	malvikasinha@rbi.org.in	022-2261 1080
(ii)	Chief Financial Officer	sonjoysethee@rbi.org.in	022-2301 9603
(iii)	Chief General Manager	vchalapathy@rbi.org.in	022-2302 1150
(iv)	General Manager	mkrupanandam@rbi.org.in	022-2302 1146
(v)	General Manager	ritasarkar@rbi.org.in	022-2301 9633
(vi)	General Manager	latharadhakrishnan@rbi.org.in	022-2301 9645
(vii)	Director	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
(viii)	Deputy General Manager	dknalband@rbi.org.in	022-2302 8205
(ix)	Deputy General Manager	deepaknarang@rbi.org.in	022-2302 8204

Email : dicgc@rbi.org.in

Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

Smt. Malvika Sinha

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Sonjoy Sethee

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri V. G. V. Chalapathy

GENERAL MANAGERS

Shri M. Krupanandam

Smt Rita Sarkar Moria

Kum Latha Radhakrishnan

SECRETARY & DIRECTOR

Shri M. Ramaiah

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri D. K. Nalband

Shri Deepak Narang

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri M. Ramaiah

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s. V. Shankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
2-C, Court Chambers,
35, New Marine Lines,
Mumbai 400 020, India

* As on July 31, 2019

ABBREVIATIONS

AFS	:	Available for Sale
AGM	:	Annual General Meeting
AMC	:	Annual Maintenance Contract
ARCC	:	Assistant Registrar of Cooperative Societies
AS	:	Accounting Standards
BoJ	:	Bank of Japan
CA	:	Chartered Accountant
CDIC		Canada Deposit Insurance Corporation
CESTAT	:	Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal
CFO	:	Chief Financial Officer
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CPPY	:	Corresponding Period of Previous Year
DGS	:	Deposit Guarantee Scheme
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DICJ	:	Deposit Insurance Corporation of Japan
DIF	:	Deposit Insurance Fund
ED	:	Executive Director
EU	:	European Union
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association
FSB	:	Financial Stability Board
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GF	:	General Fund
GoI	:	Government of India
GST	:	Goods and Services Tax
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
IASS	:	Integrated Application Software Solution
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IDIC	:	Indonesia Deposit Insurance Corporation
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IMF	:	International Monetary Fund
IMG	:	Investment Management Guidelines
IOD	:	Insurance Operations Department
IRMC	:	Investment and Risk Management Committee
JRCS	:	Joint Registrar of Co-operative Societies
KDIC	:	Kenya Deposit Insurance Corporation
KDIC	:	Korea Deposit Insurance Corporation
LABs	:	Local Area Banks
PBs	:	Payment Banks
RBI	:	Reserve Bank of India
RCS	:	Registrar of Co-operative Societies
RMC	:	Recovery Management Cell
RMF	:	Risk Management Framework
RO	:	Regional Office
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTGS	:	Real Time Gross Settlement
RTI	:	Right to Information
SFBs	:	Small Finance Banks
SLGS	:	Small Loan Guarantee Scheme
TAFCUB	:	Task Force on Cooperative Urban Banks
UTs	:	Union Territories

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2016-17	2017-18	2018-19
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE								
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	701.5	814.3	937.5
(ii) Insured Banks (Nos. in actual)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,125	2,109	2,098
(iii) Assessable Deposits @	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,03,531	1,12,020	1,20,051
(iv) Insured Deposits @	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	30,509	32,753	33,700
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	649.5	1,884.8	1,940.9	2,174
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6	32.8	158.1	339.5	619.5	1,737.2	1,775	2,000
(vii) Claims paid since inception	–	0.01	0.03	1.8	14.9	50.3	50.8	51.2

* Under General Fund of the Corporation.

** Consists of actuarial fund and fund surplus.

@ Data are as per new reporting format since 2009-10.

$ As at end March from 1992 - 93 onwards.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)

PARTICULARS	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
REVENUE STATEMENTS						
Premium Income	120.43	111.28	101.22	91.99	82.29	73.12
Investment Income	72.45	64.18	56.19	47.83	40.32	33.90
Net Claims	(1.52)^	(1.83)	(0.27)	(0.05)	(0.34)	(0.93)
Revenue Surplus Before Tax	191.47	184.57	157.20	146.73	146.89	91.52
Revenue Surplus After Tax	119.31	115.07	97.15	95.96	96.96	60.72
BALANCE SHEET						
Fund Balance (Actuarial)	57.56	53.67	55.98	54.12	52.07	50.68
Fund Surplus	879.95	760.64	645.57	548.42	452.46	355.49
Outstanding Liability for Claims	Nil	0.04	2.22	2.52	3.14	3.92
PERFORMANCE METRICS						
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement@	11	12	23	28	25	15
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	1,425	2,075*	634	269	4,856	678
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.30	0.16	0.27	0.18	0.24	0.22
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.12	0.08	0.17	0.11	0.12	0.12

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

^ Comprises ₹ 0.37 billion on account of claims settled and ₹ 1.89 billion on account of reversal of provisions.

* Sharp increase was due to a bank deregistered in 2003, whose claim was settled in 2017.

HIGHLIGHTS - III

Chart I: Number of Insured and Fully Protected Accounts
(As on March 31, Each Year)

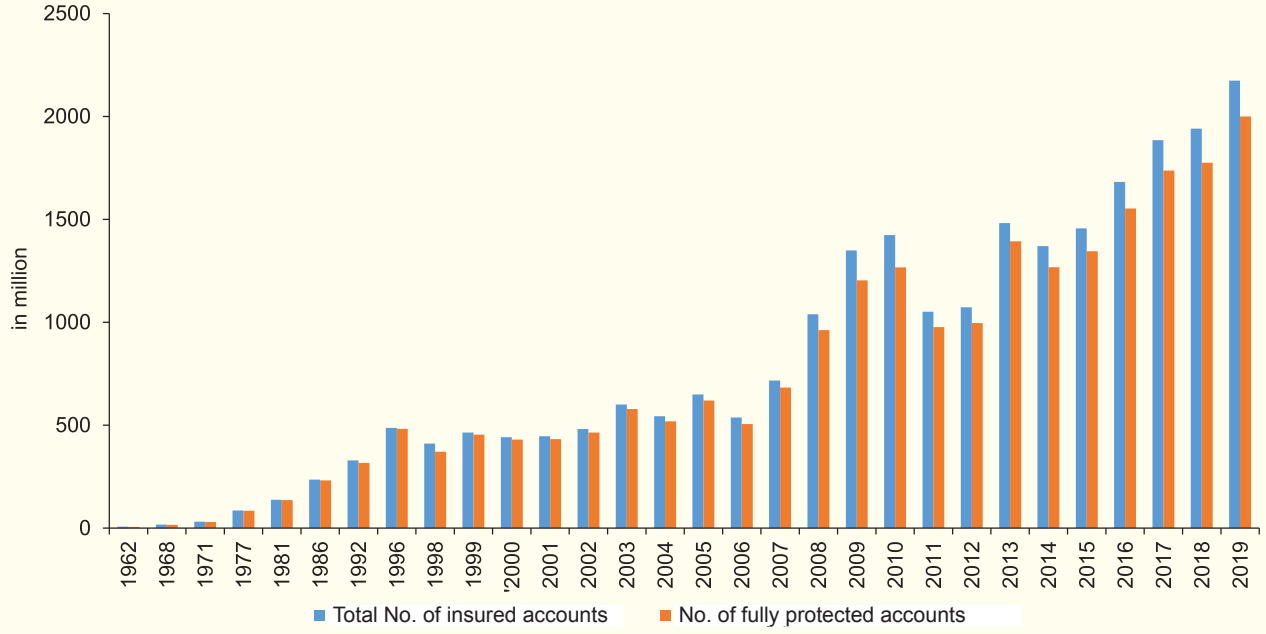

Note: Data for 2010-11 are as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - IV

Chart II: Amount of Assessable/Insured Deposits
(As on March 31, Each Year)

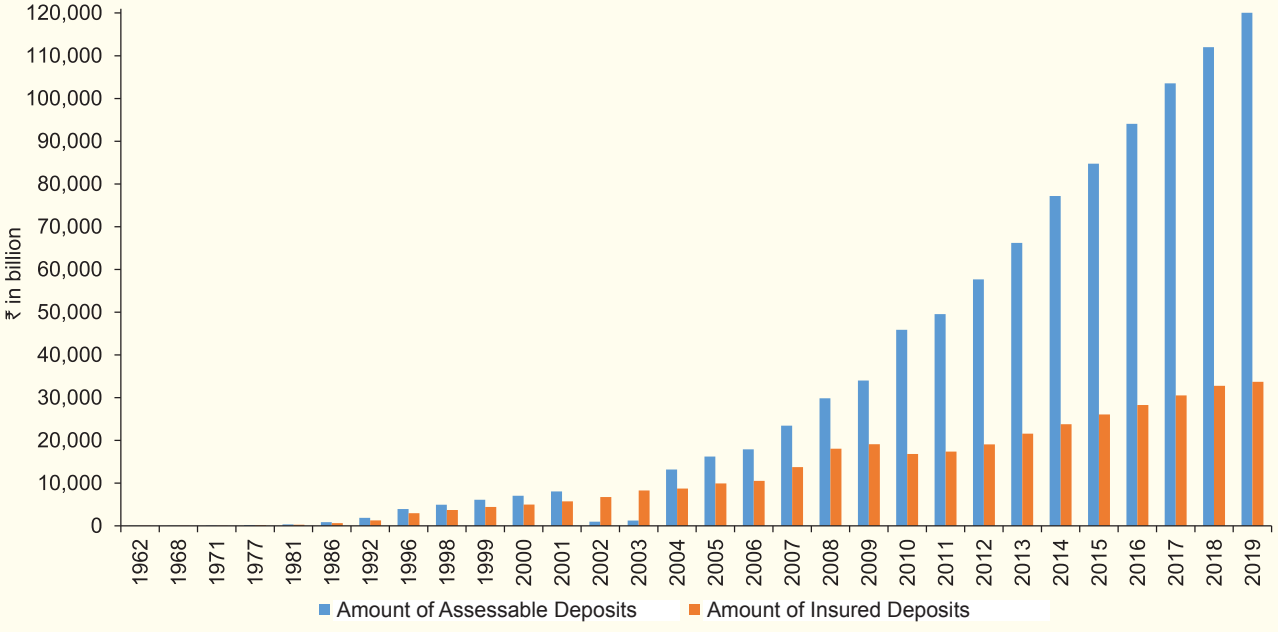

Note: Data since 2009-10 are as per new reporting format.

CHART III: EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS (MARCH 31, 2019)

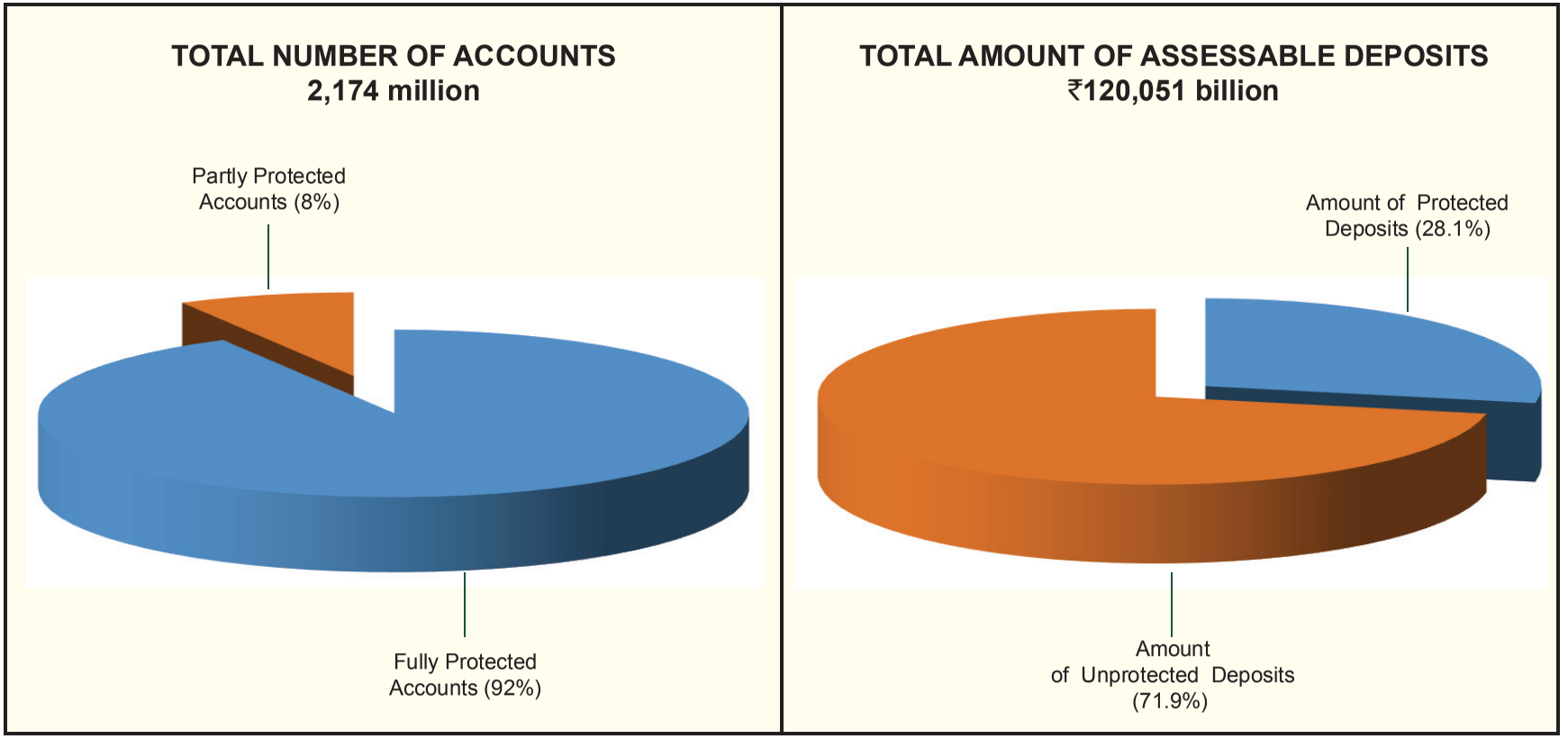

Note: Data as per new reporting format.

AN OVERVIEW OF DICGC

(1) INTRODUCTION

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, viz. the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All **commercial banks** including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks and Payment Banks are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible **co-operative banks** as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories (UTs), which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/ UTs to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli do not have any Co-operative Bank.

(4) REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) In terms of section 13A of DICGC Act 1961, the Corporation shall register a primary credit society becoming a primary co-operative bank after such commencement within three months of its having made an application for a licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz*., the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, *etc*.

(5) INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5000/-

(6) TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, *etc*. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/ State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of the Reserve Bank.

(7) INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

PREMIUM RATES PER DEPOSIT OF ₹100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

In terms of Section 35 of DICGC Act 1961, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

(10) SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (i.e., the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation/reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the Liquidator/ Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred.

(12) FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, viz., (i) Deposit Insurance Fund (DIF);

(ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹ 500 million which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter-Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation was also subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax *w.e.f.* July 1, 2017.

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

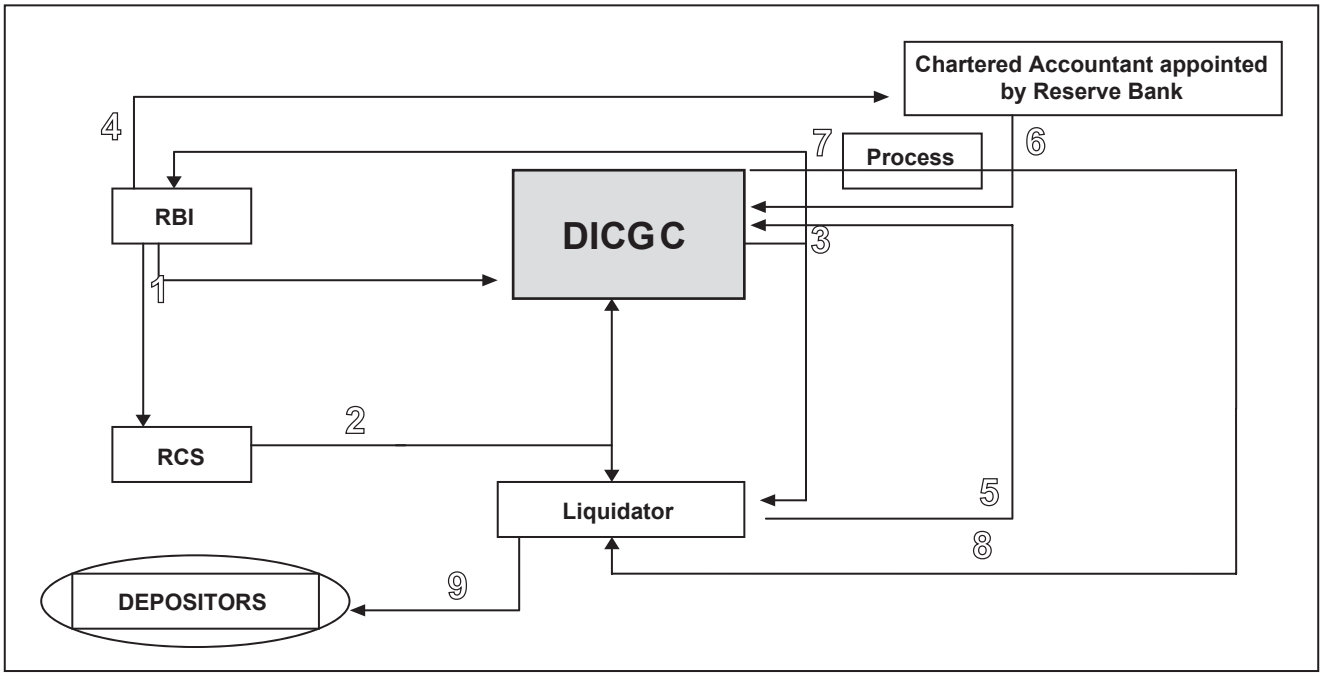

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a Liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines for submission of the claim list by the liquidator within 3 months and requests Reserve Bank to appoint an external auditor for on-site verification of the list.
4. The Reserve Bank appoints C.A. and the DICGC conducts briefing and orientation session for C.A. to check the claim list.
5. The Liquidator submits the claim list for payment to the depositors (both hard and soft forms).
6. The external auditors submit their report on the aspects of the claim list.
7. The claim list is computer-processed and payment list is generated.
8. Consolidated payment is released to the Liquidator and further information sought on incomplete/doubtful claims.
9. The liquidator releases the payment to the depositors.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

INVESTMENT POLICY OF DEPOSIT INSURANCE AGENCIES - SELECT COUNTRY PRACTICES

1. The investment policies of deposit insurance agencies are largely guided by safety and liquidity. The jurisdictions usually sets out in the legislation the broad parameters within which the assets of a deposit insurer may be invested. It is within this legal framework that the deposit insurer's governing body determines the investment strategy. The investment strategies essentially focus on risk selection and risk management. The investment policies of deposit insurance funds are generally characterized by an emphasis on capital preservation and liquidity. Generally, funds are held in low-risk, highly liquid assets. In most Financial Stability Board (FSB) member jurisdictions, investments are restricted to government or central bank instruments (Mirjami Kajander – Saarikoksi, 2017). As per IADI Core Principles, the deposit insurer has responsibility for sound investment and management of funds. The deposit insurer has a defined investment policy for its funds which aims at ensuring: the preservation of fund capital and maintenance of liquidity; and that adequate risk management policies and procedures, internal controls and disclosure and reporting systems are in place. The primary purposes of the Deposit Insurance Fund (DIF) among jurisdictions are: (1) to insure the deposits and protect the depositors of insured banks and (2) to resolve failed banks. Generally, the DIF is accumulated through premium income from insured banks and interest income on investment. The size of deposit insurance fund, investment pattern of fund, objectives of investment policy, instruments used in deployment of funds and valuation method adopted in select jurisdictions comprising of advanced economies as well as emerging market economies including India with primary focus on type of instruments used for deployment of funds is set to be covered in this Chapter. The comparative analysis may be useful for assessment of investment of deposit insurance fund in India.

Brazil

2. Deposit insurance in Brazil is provided by the Credit Guarantee Fund (FGC) and by the Cooperative Guarantee Fund (FGCoop). Regulated by the National Monetary Council (CMN) and Central Bank of Brazil (BCB), these are private non-profit entities established to manage protection mechanisms for investors and depositors of financial institutions (multiple, commercial, development and investment banks, saving bank, finance companies, mortgage companies, savings and loan associations in the case of the FGC; and credit unions and cooperative banks in the case of the FGCoop) (IMF, 2018).

3. ***FGCoop***: The size of deposit insurance fund stood at US $ 0.24 billion as at end December 2017. Funds of FGCoop are invested in public bonds (national treasury) through an exclusive fund, managed by Bancoob and under the custody of Bank Sicredi, both cooperative banks and in accordance with the internal regulations approved by the National Monetary Council. For the purpose of quantifying the liquidity of the FGCoop, the following items are taken into consideration viz., the balances available in cash, net financial investments and federal government securities.

4. ***FGC*****:** The size of the fund stood at US $ 13.9 billion as at end December 2017. The funds are invested in two forms viz., cash and equivalents and Government bonds. Cash and cash equivalents include cash and bank deposits and short-term repurchase agreements of government bonds with daily liquidity and highly-liquid short term investments, with maturities not exceeding 90 days from the acquisition date, which are readily convertible into known cash amounts.

With regard to valuation, financial assets acquired (held to maturity) when the Fund has the intention and financial capacity to hold them in portfolio until maturity, are valued at acquisition cost and any income earned on these instruments is recognised for the period. Financial assets that are not classified in any other category are included in the available for sale category and recorded at fair value.

Canada

5. The size of the deposit insurance fund stood at US $ 3.7 billion as on March 31, 2018. The CDIC's investment strategy is based on two key principles: limit credit and market risk to preserve capital; and use the investment portfolio as a funding source for intervention activities. The CDIC, is restricted by Board approved policies to invest in fixed income securities issued or guaranteed by the Government of Canada or a Canadian province in Canadian dollars. Investments are also restricted to securities having a minimum credit rating of A- with a term of five years. Securities with a term of more than five years are not permitted. The exposure to AAA rated securities was 93 per cent, while exposure to AA- and A+ securities was 3 per cent each and one per cent for AA securities as on March 31, 2018. CDIC's treasury activity follows the Financial Risk Management Guidelines for Crown Corporations issued by the Minister of Finance. CDIC's financial risk policies limit risk by setting a maximum amount and term that can be invested in each qualifying instrument. Investment securities are measured in the consolidated statement of financial position at amortised cost, plus accrued interest. The duration of the CDIC portfolio was 2.5 years as at March 31, 2018 while the weighted average yield to maturity was 1.28 per cent.

European Union

6. The European Union (EU), by way of the Directive on Deposit Insurance Schemes, has taken decisive steps to harmonise the permitted investment instruments for deposit insurers across its 28 Member States. The EU Deposit Insurance Directive 2014 calls for the assets to be invested "in a low-risk and sufficiently diversified manner". Investment instruments are expected to be of a liquid nature, in order to enable a liquidation thereof within the pay-out deadline of seven working days. Generally, creditworthiness corresponding to investment grade BBB- is required, while it is A- for corporate bonds. In terms of asset classes, it limits the permitted investment instruments to the items viz., cash and deposits, sovereign bonds and treasury bills, instruments issued by local and regional authorities, instruments issued by international organisations and development banks, highly-rated corporate bonds, highly-rated money-market instruments, covered bonds and any other assets which are considered to be 'similarly safe and liquid' by the authorities (Mirjami Kajander - Saarikoksi, 2017). The majority of deposit guarantee schemes (DGS) in the European Union invest in safe instruments, such as treasuries. These securities account for 79% of all securities. The predominance of investments in short-term and middle-term in the EU suggest that the majority of DGS are more concerned about liquidity (Zilinskas and Gaizauskas, 2015).

7. As per the available information based on IADI Annual Survey, 2018, the size of deposit insurance fund in Italy stood at US $ 1.14 billion and US $ 0.19 billion, respectively for banks and financial cooperatives as on December 31, 2017. In France, the size of deposit insurance fund stood at US $ 4.3 billion as at December 2017. In Germany, there are multiple deposit insurance agencies, the size of Statutory Deposit Guarantee Scheme of German Cooperative banks stood at US $ 2.1 billion as on December 31, 2017. The investment pattern in these countries are broadly as per the EU DGS Directive 2014.

India

8. The size of DIF stood at US $ 13.6 billion as on March 31, 2019, fourth largest in terms of value after the US, Japan and Brazil. The Corporation has an Investment and Risk Management Committee (IRMC) that is guided by Risk Management Framework and Investment Management Guidelines approved by the Board. The investment strategy is guided by safety, liquidity and optimisation of returns. As per the DICGC Act, the surplus funds shall be invested only in Central Government securities of varying maturities. The Corporation does not borrow from the market and any liquidity needs are met by sale of central government securities. The valuation of securities is done at mark to market basis. However, the depreciation is fully provided for while the appreciation is ignored. The duration of the portfolio stood 8.1 years while the yield to maturity was 7.5 per cent as on March 31, 2019.

Indonesia

9. The total value of investments of Indonesia Deposit Insurance Corporation as on December 30, 2018 stood at US $ 7.2 billion. Most of IDIC assets (88. 5 per cent) are Government securities. As per IDIC Law, the investment shall be made in the securities issued by the Government and Bank Indonesia. The main objectives of the investments are to maintain certain liquidity level and not merely aimed at capital gain. All Government securities were held-to-maturity securities and presented at cost after the amortisation of premium/discount. Amortisation of premium/discount on securities were calculated using the effective-interest method. The yield to maturity of the portfolio was 7.34 per cent. The fund is passively managed with an average weighted duration normally between 4 to 5 years below outstanding government duration at around 8 years.

Japan

10. The Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) was established in 1971 as a financial safety net provider in order to protect eligible deposits when financial institutions fail. Japan experienced the collapse of the economic bubble and Japan's financial crisis in the 1990s. The DICJ has played a role in maintaining the stability of Japan's financial system through the failure resolution of more than 180 financial institutions. The size of the deposit insurance fund (the "Liability reserves" in the case of the DICJ) was US $ 34.0 billion as at end March 2018. As per the Deposit Insurance Act 1971, the DICJ can invest in (i) national government bonds or other securities designated by the Prime Minister and the Minister of Finance; (ii) deposits in the financial institutions designated by the Prime Minister and the Minister of Finance; or (iii) other methods specified by a Cabinet Office Ordinance and an Ordinance of the Ministry of Finance. The deposit in the current account of the Bank of Japan (BOJ) is among the investable instruments in accordance with the Deposit Insurance Act of Japan. The entire amount of DIF was deposited in the current account of the BOJ as at end March 2018. The cost method (book value) is used for the evaluation of securities.

Kenya

11. The size of DIF stood at $ 1.05 billion as on June 30, 2019. As per the statute, KDIC can invest only in government securities. The composition and instruments of KDIC as on June 30, 2019 comprise Treasury Bills (46 per cent) and Treasury bonds (54 per cent). As per the Kenya Deposit Insurance Act, the funds may be invested by the Corporation only in (a) treasury bills, treasury bonds or other securities issued by the Government; or (b) any other securities as may be prescribed in the Gazette by the Minister from time to time. A financial asset or liability is initially measured at fair value plus (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.

Malaysia

12. The size of DIF stood at US $ 0.5 billion as at end December 2018. The investment securities of Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) comprise marketable Malaysian Government Securities and Investment Issues, Bank Negara Malaysia Monetary Notes and Private Debt Securities. PIDM invests in short-term and medium-term Ringgit Malaysia denominated securities which are held-to-maturity in order to collect contractual cash flows and are not traded. More than 93 per cent of the fund was invested in Malaysian Government Securities and Investment Issues and the remaining 7 per cent in private debt securities in 2018. The contractual cash flows of the investment securities represent solely payments of principal and interest or return on the principal amount outstanding. These investment securities are measured at amortised cost. These securities with fixed or determinable payments and fixed maturity are stated at cost adjusted for amortisation of premiums or accretion of discounts, calculated on an effective yield basis, from the date of purchase to the maturity date, less any impairment losses recognised. The weighted average yield rate on DIF was 3.24 per cent.

Philippines

13. The size of DIF stood at US $ 2.9 billion as on December 31, 2017. Philippines Deposit Insurance Corporation manages its Deposit Insurance Fund (DIF) through prudent investment management strategies. As per the Act, fund of the Corporation shall be invested in Government securities. The investment yield of the portfolio was 4.1 per cent as on December 31, 2017. The investments are valued at amortised cost and effective interest method.

Russia

14. As on December 31, 2018 the investments portfolio of mandatory deposit insurance fund was US $ 0.8 billion. The deposit insurance agency has invested temporary idle balances based on the principles of repayment, profitability and liquidity. Out of this, 3 per cent were invested in federal loan bonds of the Russian Federation, 3 per cent in bonds of constituent entities of the Russian Federation, 7 per cent in corporate bonds and 87 per cent were in deposits with the Bank of Russia.

South Korea

15. The Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC's) funds have separate accounts for banks, investment traders and brokers, life insurance companies, non-life insurance companies, merchant banks, mutual savings banks and credit unions (only in the case of the Deposit Insurance Fund Bond Redemption Fund). These accounts are managed separately. Though between-account transactions within the same fund are allowed, transactions between the Deposit Insurance Fund and the Deposit Insurance Fund Bond Redemption Fund are prohibited. Under the Public Fund Redemption Plan announced by the Government in 2002, it was decided that assets and liabilities related to financial restructuring would be separated from the Deposit Insurance Fund (DIF) on January 1, 2003 to set up a new fund called the DIF Bond Redemption Fund. The DIF Bond Redemption Fund is used for completing the financial restructuring process and recovering related public funds. The new DIF, which is funded by insurance premiums paid by KDIC-insured financial institutions, has been used to fund the resolution of financial institution failures that occurred in 2003 and afterwards.

16. The size of DIF stood at US $ 10.1 billion as at end-December 2018. The objectives of fund management are: ensuring stability, profitability and liquidity; and take into account public interest. The investable assets are strictly restricted by law and as per the Deposit Protection Act, the surplus funds can be invested only in: government bonds and public bonds, or other securities designated by the Deposit Insurance Committee; deposit in

insured financial institutions designated by the Committee; and other methods prescribed by the Financial Services Commission. With regard to valuation, the acquisition costs of securities are estimated by adding the purchase prices and incidental costs incurred in acquiring the securities. The KDIC classifies securities as available-for-sale (AFS) financial assets, held-to-maturity (HTM) financial assets, and investments in associates, according to their nature and ownership purpose. In 2017, only the DIF held securities, all of which were categorized as AFS financial assets.

United States

17. The outstanding balance under deposit insurance fund stood at US $ 103.8 billion as on December 31, 2018. The investments in US Treasury notes and bonds account for US $ 93.3 billion constituting 90.0 per cent of value of DIF. In terms of maturity, 28 per cent of DIF was invested within one year while 62 per cent of DIF was invested in Treasury securities with a maturity of 1-5 years. The FDI Act requires that the DIF funds be invested in obligations of the United States or in obligations guaranteed as to principal and interest by the United States. The Secretary of the Treasury must approve all such investments in excess of $100,000 and has granted the FDIC approval to invest the DIF funds only in U.S. Treasury obligations that are purchased or sold exclusively through the Treasury's Bureau of the Fiscal Service's Government Account Series program. The DIF's investments in U.S. Treasury securities are classified as available-for-sale (AFS). Securities designated as AFS are shown at fair value. Unrealised gains and losses are reported as other comprehensive income. Any realised gains and losses are included in the Statement of Income and Fund Balance as components of net income. Income on securities is calculated and recorded daily using the effective interest or straight-line method depending on the maturity of the security. The yield on Treasury securities up one year was 1.90 per cent while it was 2.08 per cent in respect of securities with maturity range of 1-5 years.

Conclusion

18. The select country practices regarding investment policies suggest that safety and liquidity are the prime considerations. With regard to the deployment of funds, majority of the jurisdictions invest significant portion of the portfolio in Government securities. Federal Deposit Insurance Corporation with largest quantum of deposit insurance fund at US $ 103.8 billion, invests approximately 90 per cent of fund in Treasury securities. Japan, second in terms of fund position with US $ 34 billion, is a notable exception among the jurisdictions examined, where the entire deposit insurance fund was deposited with the Central Bank despite its statute permitting investments in government securities. Although, European Union 2014 Directive on deposit guarantee schemes permitted wide array of instruments, it prescribes that investments should be made in 'low risk securities with significant diversification'. In South Korea, there are multiple entities such as banks, investment traders and brokers, life insurance companies, non-life insurance companies, merchant banks, mutual savings banks and credit unions form part of deposit insurance. The investment of funds are restricted by law to Government securities and public bonds, deposits with financial institutions and other methods prescribed by the supervisory authority. Another stylised fact emerged from the analysis indicates that the valuation of securities are done at mark to market basis and at amortised cost. In India, the investment pattern of DIF in terms of instruments, primarily in Government securities is broadly in line with the practices followed in majority of the jurisdictions.

References

Annual Reports and Websites of Deposit Insurance Agencies.

Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Deposit Guarantee Schemes.

IADI Annual Survey, 2018.

IMF (2018), Financial System Stability Assessment of Brazil, May.

Mirjami Kajander - Saarikoski (2017), Investing for the Bad Times: How to Achieve Balanced Investment Strategy for a Deposit Insurance Fund. In Jan P. Nalte and Isfandyar Z. Khan (Eds), '*Deposit Insurance Systems: Addressing Emerging Challenges in Funding, Investment, Risk Based Contributions and Stress Testing*' (pp.85-133). World Bank.

Raimundas Zilinskas and Lionius Gaizauskas (2015), The Investment Policy of Deposit Guarantee Funds under Conditions of Limited Domestic Securities Markets, Ekonomika, Vol 94 (1).

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

1.1 REGISTRATION / DE-REGISTRATION OF INSURED BANKS

The number of registered insured banks as on March 31, 2019 stood at 2,098 comprising 157 commercial banks [including seven Payment Banks (PBs), 10 Small Finance Banks (SFBs), 51 Regional Rural banks (RRBs) and three Local Area banks (LABs)] and 1,941 co-operative banks. Year-wise particulars showing the number of registered banks since inception of the deposit insurance scheme in 1962 are furnished in ***Annex I.*** Category-wise and state-wise particulars of co-operative banks as at March 31, 2019, are given in ***Annex II.*** During the year 2018-19, four commercial banks and four RRBs were registered as insured banks while eight co-operative banks, two commercial banks and nine RRBs were deregistered, the details of which are furnished in ***Annex III.***

1.2 EXTENSION OF DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all the States and Union Territories (UTs).

1.3 INSURED DEPOSITS

The information on the number of accounts and the amount of deposits insured as also the extent of protection accorded to depositors is provided in Table 1.

Table 1: Insured Deposits

Particulars		As at the end of	
		March 31, 2019[1]	March 31, 2018[1]
1	Total No. of Accounts (in million)	2,174.0	1,940.9
2	Fully Protected Accounts[2] (in million)	2,000.0	1,775.0
3	Percentage of 2 to 1	92.0	91.4
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	1,20,051	1,12,020
5	Insured Deposits[3] (₹ in billion)	33,700	32,753
6	Percentage of 5 to 4	28.1	29.2

1 Based on deposit base of September 2018 and September 2017 i.e. six months prior to the reference date.

2 Refers to accounts covered by the deposit insurance.

3 Deposits eligible for deposit insurance up to ₹1 lakh each.

The information on extent of protection accorded to depositors since the introduction of deposit insurance is furnished in ***Annex IV*** and Chart 1. Bank group-wise insured deposits break-up for last three years are furnished in ***Annex V.*** The current level of insurance cover at ₹ 100,000 works out to 0.8 times the per capita income as on March 31, 2019.

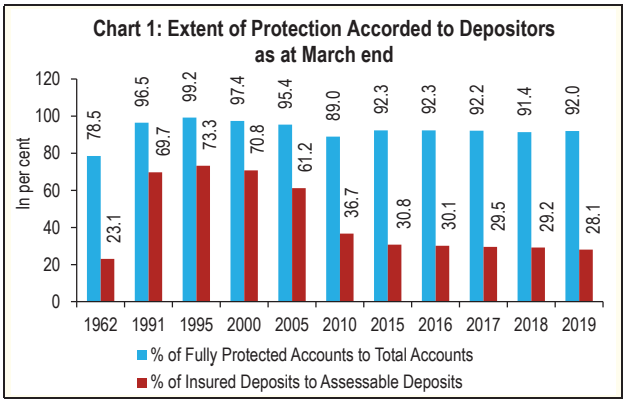

1.4 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

The bank category wise break up of premium collected from insured banks for year ended March 2019 and year ended March 2018 is presented in Table 2. Premium received from banks increased by 8.2 per cent during the year.

Table 2: Premium Received

(₹billion)

Year	Commercial Banks*	Co-operative Banks	Total
2018-19	111.9	8.5	120.4
2017-18	103.5	7.8	111.3

*Including PBs, SFBs, RRBs and LABs.

1.4.1 Interest Rate Payable by Defaulting Banks

In terms of Section 15(3) of DICGC Act,1961, if any insured bank makes default in payment of any amount of premium, it shall for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. During the year 2018-19, the penal rate of interest was revised three times as a result of revision in Bank Rate during the year under review. The movement of Bank rate and penal rate of interest during the period under review is furnished in Table 3.

Table No. 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(in per cent)

From	To	Bank Rate	Penal Interest Rate	Interest Rate payable by Defaulting Banks
01.04.2018	05.06.2018	6.25	8.00	14.25
06.06.2018	31.07.2018	6.50	8.00	14.50
01.08.2018	06.02.2019	6.75	8.00	14.75
07.02.2019	31.03.2019	6.50	8.00	14.50

1.5 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is sourced out of the premium paid by the insured banks and the coupon income received on the investments in Central Government securities. There is also an inflow of small amounts out of the recoveries made from the liquidators / administrators / transferee banks. Thus, the Corporation builds up its DIF through transfer of excess of income over expenditure (mainly pertaining to claims). This fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation etc. The size of DIF stood at ₹937.5 billion including a surplus of ₹879.9 billion as on March 31, 2019 (up from ₹814.3 billion as on March 31, 2018) yielding a Reserve Ratio (RR) (ratio of DIF to Insured Deposits) of 2.78 per cent. The trends in DIF and RR are presented in Chart 2.

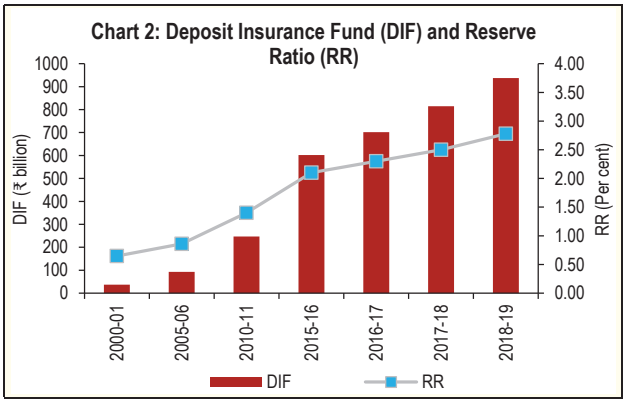

1.6 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year 2018-19, the Corporation settled aggregate claims[4] for ₹370 million in respect of 15 co-operative banks (Six main claims and 21 supplementary claims) as detailed in ***Annex VI***. There was no claim from commercial banks. State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2018-19 is furnished in Chart 3. The claimed amount was primarily for banks in Uttar Pradesh, Odisha and Maharashtra.

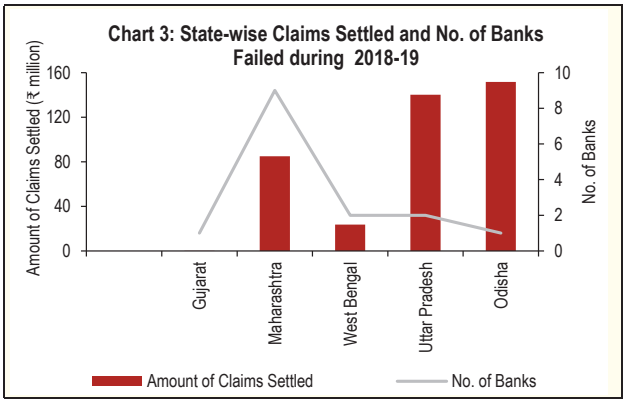

The Corporation continued to take up the pending issues in respect of claims with the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS) and the Regional Offices (ROs) of RBI for expeditious settlement. In addition, the Corporation is holding a provision of ₹904.5 million for the amount refunded by liquidators for untraceable depositors, for any future claims in this category. Further, provision has been made for an amount of ₹567.8 million for unidentifiable depositors. There were 22 banks where the contingent liability was created but claims had not yet been crystallised (***Annex VII***).

The average period for settlement of main claims by DICGC after receipt from the liquidators was reduced to 11 days during the year 2018-19 from 12 days during 2017-18 and has remained within 2 months, the period stipulated in the DICGC Act, 1961.

1.7 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)

Up to March 31, 2019 a cumulative amount of ₹2,959 million was paid towards claims in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance. Cumulative recoveries received from the liquidators/transferee of commercial banks aggregated to ₹1,512 million, including ₹21.3 million received during the year 2018-19.

The cumulative amount of claims paid/ provided for in respect of 351 co-operative banks since inception amounted to ₹48,223 million (including ₹370 million paid during the year under review) (Chart 4). In the case of co-operative banks, cumulative recoveries from the liquidators/ transferee banks aggregated to ₹26,071 million (including ₹953 million[5] received during the year 2018-19).

4 Adjusted for ₹ 30.5 million on account of claims sanctioned in respect of two banks under expeditious claims settlement policy to make it consistent with balance sheet data while data provided in Annex VI refers to total claims sanctioned during the year without adjustment.

5 Inclusive of ₹286 million reported under liquid fund adjustment.

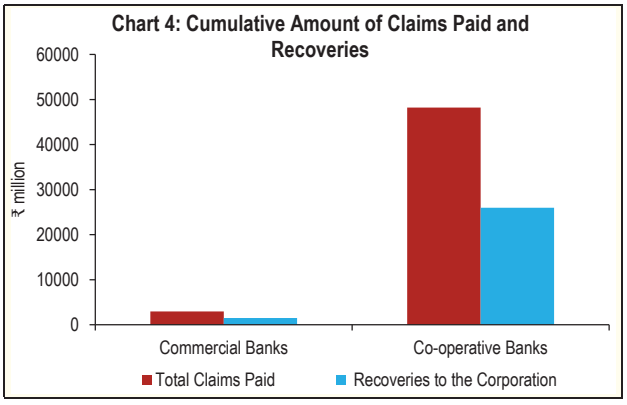

The details of banks for which claims have been settled and recoveries / written off till March 2019 are given in ***Annex VIII.*** Chart 5 presents the information on claims settled and the number of liquidated banks.

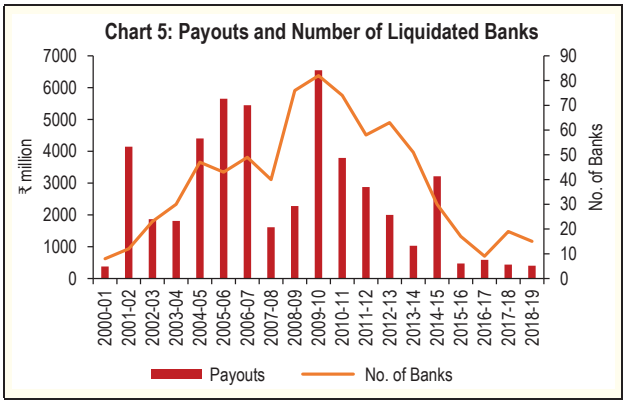

1.8 COURT CASES

As on March 31, 2019, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various Courts and other fora stood at 32 as compared to 35 as on March 31, 2018. During the year 8 cases (2 cases disposed off and 6 dormant cases treated as closed) were closed while 5 new cases were filed. Out of 32 pending cases, four cases were filed by the Corporation while 28 cases were filed against the Corporation. The court-wise break up is given in Chart 6.

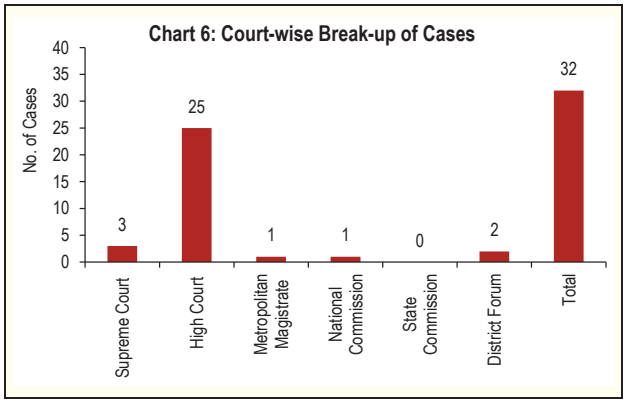

1.9 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid**.** By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2018-19 aggregated to ₹ 0.24 million as against ₹ 3.72 million received during the previous year. The recoveries under the SLGS, 1981 aggregated to ₹0.01 million as against NIL received during the previous year. As on March 31, 2019, the number of court cases relating to Credit Guarantee activity of the Corporation pending in various Courts were NIL.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

2.1 MEASURES TO FACILITATE EARLY SETTLEMENT OF CLAIMS

Workshops have been conducted on claim submission procedure under computerised IASS module to liquidators, bank officials, RCS officials and Chartered Accountants (CAs) of few deregistered banks. Further, DICGC provided

faculty support for workshops for liquidators about the IASS module arranged by Regional offices. The IASS guidelines have been issued to recently liquidated banks. Press Release was issued on March 7, 2019, for reversal of provisions held for unidentifiable / untraceable depositors for deposit insurance by DICGC, in respect of banks liquidated for more than 10 years (i.e. on or before December 31, 2008).The Corporation is now appointing CA for verification of claims list prepared by liquidator which was earlier being done by respective Regional Offices.

2.2 WORKSHOPS AND MEETINGS WITH LIQUIDATORS ON RECOVERY MANAGEMENT

In order to share information and awareness among the RCS officials / liquidators the following meetings/workshops were held:

- During the year, the various RO of RBI conducted 27 meetings of the Sub-Committee of TAFCUB out of which 13 meetings were attended by officials from DICGC.
- CGM visited the office of the RCS, Lucknow on April 4, 2018 to discuss issues related to non-submission of main claims.
- A meeting was conducted with the Assistant Registrar of Cooperative Societies (ARCS) and Liquidators of Andhra Pradesh on September 21, 2018.
- A meeting was held on October 8, 2018 at Ahmedabad RO, with the RCS, Joint Registrar of Co-operative Societies (JRCS), Liquidator to discuss the repayment of dues of Visnagar NSBL to DICGC.
- Hands-on training on IASS - RMC Module for Liquidators was provided to various liquidators at Belapur office on October 1, 2018.
- A workshop was arranged by Bhopal RO along with meeting of Sub-Committee of TAFCUB for the liquidators on January 29, 2019.
- Workshop for the liquidators of Maharashtra (Nagpur) was held at Nagpur Regional Office on March 12, 2019.

In addition to the workshops and trainings mentioned above, the following initiatives were taken to enhance the recoveries:

- A circular was issued on May 7, 2018 to all the RCS regarding repayment of dues to DICGC by way of sale of Government Securities held by the bank.
- Demand notices were sent to six commercial banks which got merged with nationalised banks. Recovery of ₹21.2 million was received from Benares State Bank (merged with Bank of Baroda) in October 2018.
- Guidelines on IASS - Recovery Management Cell (RMC) Module for Liquidators was shared with all the RCS offices and various liquidators.

2.3 INTEGRATED APPLICATION SOFTWARE SOLUTION (IASS) PROJECT

The IASS project went 'Live' in respect of all the modules of the Corporation from July 1, 2017 barring Insurance Operations Department (IOD). The IOD module along with GST functionality also became part of 'Go Live' from October 1, 2018. The earlier system i.e. Orion was discontinued after parallel run for six months and reconciliation of financial statements generated in the new IASS system with old Orion system for period ended September 2018. The financial statements under new system were also checked by Statutory Auditors. Further, financial statements viz., Balance Sheet, Revenue Account, Cash flow Statements are being generated from IASS now.

The portal of IASS for filing of statements by Banks / Liquidators was operationalised from April 1, 2019. The online submission of Deposit Insurance (DI) return in IASS module commenced on DICGC portal. Tutorial on the IASS module were recorded and made available on portal of DICGC and CDs were provided to banks.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

3.1 INSURANCE LIABILITIES

(a) During 2018-19, an amount of ₹370 million (₹435 million)[6] was paid towards claims.

(b) The Balance of Fund (i.e. actuarial liability) as at the end of the year stood at ₹57,556 million (₹53,672 million) registering an increase of 7.2 % over the CPPY.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

3.2 REVENUE DURING THE YEAR

(a) The surplus in the Deposit Insurance Fund (DIF) was ₹1,91,468 million (₹1,84,571 million) registering an increase of ₹6,897 million (3.7%) over the CPPY. The increase in the revenue surplus was primarily on account of rise in premium income (₹9,150 million) and income on investments (₹8,270 million), which is offset by decrease in net claim (₹308 million), decrease in recovery (₹4,026 million) and increase in actuarial liability (₹3,884 million) during the year vis-à-vis decrease in actuarial liability (₹2,304 million) in CPPY.

(b) Surplus in the CGF was ₹374 million (₹343 million). The higher revenue surplus was due to increase in income from investments by ₹35 million which was partly offset by decrease in recovery by ₹3 million.

(c) Surplus in General Fund (GF) stood at ₹98 million (₹288 million) on account of decrease in income from investment by ₹4 million and increase in expenditure by ₹186 million primarily due to depreciation on capitalisation of IASS Project, Annual Maintenance Contract (AMC) of IASS in the current year, provision on account of expected wage revision, rent towards use of RBI data centre and advertisement.

3.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2019, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹8,79,952 million (₹7,60,643 million), ₹4,832 million (₹4,599 million) and ₹5,490 million (₹5,427 million), respectively.

3.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, *viz*., DIF, CGF and GF as at the year end stood at ₹9,59,284 million (₹8,36,916 million), ₹5,045 million (₹4,813 million) and ₹6,040 million (₹5,963 million) respectively. All the funds are in appreciation at the year end and market value of investments in all the three funds viz. DIF, CGF and GF stood at ₹9,73,196 million, ₹5,172 million and ₹6,158 million respectively.

3.5 TAXATION

3.5.1 Income Tax

As on March 31, 2019, the accumulated balance in Advance Income Tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹1,31,402 million (₹1,18,304 million), ₹272 million (₹270 million) and ₹106 million (₹175 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation

6 The figures in bracket adjacent to current year data indicate the corresponding position in previous year except those given in per cent

account in the DIF, CGF and GF stood at ₹1,30,772 million (₹1,18,268 million), ₹249 million (₹277 million) and ₹134 million (₹150 million), respectively, as on that date.

3.5.2 Goods and Service Tax (GST)

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks and has discharged GST liability in compliance thereof.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

4.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹970.4 billion as on March 31, 2019 representing an increase of ₹122.7 billion (14.5 per cent) over the previous year (₹847.7 Billion). The Market Value of the portfolio stood at ₹984.5 billion as on March 31, 2019 as compared to ₹854.4 billion as on March 31, 2018, representing an increase of ₹130.3 billion (15.2 per cent). The Market Value was 1.01 times of Book Value as on March 31, 2019 vis-à-vis 1.04 times as on March 31, 2018. The portfolio return[7] during the year was 8.9 per cent as compared to 5.0 percent in 2018.

4.2 The Central Government Securities are valued at model prices published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India. In terms of accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised. The net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2018, all funds had net appreciation. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2019, IFR of ₹ 45.40 billion, calculated by Standardised Duration method was maintained, vis-a-vis ₹ 40.13 billion as on March 31, 2018.

4.3 The yield witnessed two way movement during the year amid high volatility. During the first half of the year, the yields hardened significantly (old BM 7.17GS2028 touched high of 8.02% at September end as compared to 7.40% as on March 18) on higher inflation expectations on account of sharp rise in crude oil prices. The continued foreign portfolio investment outflows due to stress in emerging market currencies also put upward pressure on the yields. The uncertainty on global growth due to ongoing US-China trade dispute also contributed to foreign portfolio investment outflows. However, during the second half of the year, the yields softened due to a set of factors viz., regular Open Market Operations (OMO) (purchase) conducted by RBI, revised lower Market Borrowing by the Central Government for second half year of FY 2018-19, stable rupee and crude oil prices and foreign portfolio investment inflows. The interest rate reduction of 25 bps in February 2019 and lower US treasury yields further softened the yields.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

5.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and does all acts and things which may be exercised or done by the Corporation.

7 TWR is calculated using the Dietz Method, viz. TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)] , where MVE/B = Market value at End/ Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows."

5.1.1 In terms of Regulation 6 of the DICGC General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. During the year ended March 31, 2019 four meetings of the Board were held.

5.1.2 Nomination/Retirement of Directors

Shri K.K. Vohra, Executive Director appointed under section 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 ceased to be a Director on the Board of the Corporation with effect from May 31, 2018 on account of superannuation. Smt Malvika Sinha has been nominated by the Reserve Bank of India under 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 as the Executive Director of the Corporation with effect from June 5, 2018.

Dr Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD, has been re-nominated as Director on the Board of DICGC under Section 6 (1) (d) read with Section 6 (2) (ii) of the DICGC Act, 1961, with effect from March 8, 2019 up to December 17, 2019.

5.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of Board as on March 31, 2019 was as under:

1.	Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Chairperson
2.	Dr. Shashank Saksena	GOI nominee Director
3.	Smt Malvika Sinha	Director

During the year ended March 31, 2019, four meetings of the Audit Committee of the Board were held.

5.2.1 IT Committee

A Committee to guide the Corporation on the information technology (IT) adoption and development was constituted in December 2011. The composition of the same as on March 31, 2019 was as under:

1.	Prof. G. Sivakumar	Chairperson
2.	Shri Kamlesh Vikamsey	Member
3.	Smt Malvika Sinha	Member
4.	Shri S. Ganesh Kumar	Invitee
5.	Shri Sonjoy Sethee	Member

The committee met once during the year ended March 31, 2019.

5.3 INTERNAL CONTROLS

5.3.1 Budgetary Control

The Corporation has devised a system of exercising control over revenue and expenditure under its three funds viz., DIF, CGF and GF. The yearly budget for the expenditure under DIF, CGF and GF is prepared by the Corporation, based on various parameters, viz., liquidation of insured banks, staff and establishment related payments etc. The budget is approved by the Board before commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income are also included in the budget. Mid-term review of the budgeted expenditure and receipts viz., actual expenditure / receipt based on position as at September 30 is placed before the Board.

5.3.2 Concurrent Audit

M/s M M Chitale & Co. were appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2018-19. The findings of monthly audit are placed before the Audit Committee of the Board.

5.3.3 Control & Self-Assessment Audit

Under Control and Self-Assessment Audit, a system has been in place whereby officers of the Corporation conduct audit of select areas on half year basis, with which they are not functionally associated and submit report to General Manager.

5.4 TRAINING & SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade the skills. These programmes are conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other Foreign Deposit Insurance Institutions. During 2018-19, 44 employees comprising 34 officers, 8 Class III and 2 Class IV staff were deputed. Apart from these, 6 nominations were made for participating in 5 programmes in trainings/conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions.

5.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation except the Chief Financial Officer (CFO) is on deputation from RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2019 stands at 55 as against 61 as on March 31, 2018. Category wise position of staff is given in table 5.

Table 5 : Category wise position of staff as on March 31, 2019

Category	Number	Of which		Percentage (%)	
		SC	ST	SC	ST
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Class I	36*	6	1	17	3
Class III	13	4	0	31	0
Class IV	6	1	0	17	0
Total	**55**	**11**	**1**	**20**	**2**

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes.

* Excluding ED & CFO

Of the total Staff, 65 per cent were in Class I, 24 per cent in Class III and the remaining 11 per cent in Class IV. Of the total staff 20 per cent belonged to Scheduled Caste and 2 percent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2019.

5.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Corporation, as a public authority, is obliged to provide information to the members of public under the Right to Information Act. During the year 2018-19, a total of 72 RTI requests and 5 appeals were addressed by the Corporation. The queries pertained to Corporation's role in protecting depositors, guarantee given on deposits of failed banks, information on failed banks and amount disbursed.

5.7 PROGRESSIVE USE OF HINDI

The Corporation is making efforts for complying with the provisions of Official Languages Implementation Act. The Corporation prepares quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee meets regularly once a quarter to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. The position of Hindi correspondence for the year ended March 31, 2019 stood at 96.7 percent as against 97.5 percent for the year ended March 31, 2018. The Corporation also organises 'Hindi Fortnight' every year. The Corporation organised Hindi Day along with the Regulation and Risk Management Cluster of Central Office Departments, RBI on September 14, 2018.

5.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation is a public institution and its main function is to settle the claims of depositors of failed insured banks. The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of

complaints from the members of public against the Corporation.

5.9 PUBLIC AWARENESSS

The Corporation disseminates information about deposit insurance to the public through insured banks, website, brochures and booklets on deposit insurance. The Corporation forwards printed materials on deposit insurance to ROs of RBI for circulating the same among insured banks in their jurisdiction. The ROs are also advised to distribute the same to the public whenever any literacy camps are conducted in the State. As compliance to principle 10 of the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems i.e. Public Awareness, the Corporation sends letters to depositors whose claims were settled. During the year, stickers were sent to bank branches in the states of Jharkhand and Uttarakhand during the year regarding the availability of deposit insurance cover. The information on appointment of liquidators and settlement of claims was also published in the newspapers.

The DICGC website is also updated on a real time basis, compiling names of liquidators and details of banks for whom claims are settled. The information related to newly registered banks, deregistered banks, change of name/details of registered banks etc. was uploaded on the website. Data on Premium Due, new Deposit Insurance Format for banks, circulars on Extension of Period for Recovery of Assets to liquidators, premium payment and related instructions were uploaded in the website for use of banks.

5.10 ROLE IN IADI

5.10.1 Executive Director of the Corporation attended the 17th AGM and IADI Annual Conference held during October 15-19, 2018 at Basel, titled "Deposit Insurance and Financial Stability: Recent Financial Topics". The Conference was also attended by a senior officer of the Corporation. ED and CFO attended the 57th IADI EXCO Meeting and International Conference at Almaty, Kazakhstan during February 25 - March 01, 2019. ED also participated in the 11th DICJ Roundtable in Tokyo, Japan during March 12-13, 2019 and made a presentation on "Analytics of Deposit Insurance Fund". CFO participated in the Asia Pacific Regional Committee CEO Dialogue organised in Taipei during April 1-2, 2019 and made a presentation on 'Economic Outlook and Challenges to Deposit Insurers'.

5.10.2 Material related to the Member Relations Council Committee activities during the year 2017-18 was provided to the IADI Secretariat for incorporation in the IADI Annual Report, 2017-18. Comments and inputs were provided regarding the IADI Annual Report, 2017-18, IADI Business Plan 2018-21 and IADI Annual Budget.

5.10.3 The Corporation has provided information for the IADI Annual Survey 2018 and also participated in surveys conducted by other Deposit Insurance Agencies under the aegis of IADI.

5.11 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s V. Sankar Aiyar & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2018-19 with the approval of the Reserve Bank.

The Board appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

(B. P. Kanungo)

Dated: June 13, 2019 Chairman

ANNEX - I

BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE: PROGRESS SINCE INCEPTION

Year/Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

ANNEX - II

A. INSURED BANKS: CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109
2016-17	100	56	3	1,966	2,125
2015-16	93	56	4	1,974	2,127

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

B. INSURED CO-OPERATIVE BANKS: STATE-WISE
(as at end March 2019)

Sr. No.	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	21	47	69
2.	Assam	1	0	8	9
3.	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4.	Bihar	1	22	4	27
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	0	6	7
7.	Gujarat	1	18	219	238
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
11.	Jharkhand	1	1	1	3
12.	Karnataka	1	21	263	285
13.	Kerala	1	14	60	75
14.	Madhya Pradesh	1	38	49	88
15.	Maharashtra	1	31	496	528
16.	Manipur	1	0	3	4
17.	Meghalaya	1	0	3	4
18.	Mizoram	1	0	1	2
19.	Nagaland	1	0	0	1
20.	Odisha	1	17	9	27
21.	Punjab	1	20	4	25
22.	Rajasthan	1	29	35	65
23.	Sikkim	1	0	1	2
24.	Tamil Nadu	1	24	129	154
25.	Telangana	1	1	51	53
26.	Tripura	1	0	1	2
27.	Uttar Pradesh	1	50	62	113
28.	Uttarakhand	1	10	5	16
29.	West Bengal	1	17	43	61
Union Territories					
1	NCT Delhi	1	0	15	16
2	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
3	Puducherry	1	0	1	2
4	Chandigarh	1	0	0	1
TOTAL		**33**	**364**	**1,544**	**1,941**

ANNEX - III

BANKS REGISTERED/DE-REGISTERED DURING THE YEAR 2018-19

A. REGISTERED (8)

Bank Type	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Banks (4)	1.	Jana Small Finance Bank Limited
	2.	Jio Payments Bank Limited
	3.	NSDL Payment Bank Ltd.
	4.	Kookmin Bank
Regional Rural Banks (4)	1.	Dakshin Bihar Gramin Bank
	2.	Punjab Gramin Bank
	3.	Karnataka Gramin Bank
	4.	Baroda Gujarat Gramin Bank

B. DE-REGISTERED (19)

Bank Type	State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Banks (2)		1.	Dena Bank (Merged with Bank of Baroda)
		2.	Vijaya Bank (Merged with Bank of Baroda)
Regional Rural Banks (9)	Bihar	1.	Uttara Bihar Gramin Bank (Amalgamated with Dakshin Bihar Gramin Bank)
		2.	Madhya Bihar Gramin Bank (Amalgamated with Dakshin Bihar Gramin Bank)
	Gujarat	1.	Baroda Gujarat Gramin Bank (Amalgamated with Baroda Gujarat Gramin Bank)
		2.	Dena Gujarat Gramin Bank (Amalgamated with Baroda Gujarat Gramin Bank)
	Karnataka	1	Pragati Krishna Gramin Bank (Amalgamated with Karnataka Gramin Bank)
		2.	Kaveri Grameena Bank (Amalgamated with Karnataka Gramin Bank)
	Punjab	1	Punjab Gramin Bank (Amalgamated with Punjab Gramin Bank)
		2	Malwa Gramin Bank (Amalgamated with Punjab Gramin Bank)
		3	Sutlej Gramin Bank (Amalgamated with Punjab Gramin Bank)
Cooperative Banks (8)	Andhra Pradesh	1	Ramkrishna Mutually Aided Coop Bank (Merged with Kanaka Mahalakshmi Co-Operative Bank Ltd.)
	Gujarat	1.	Shri Lathi Vibhagiya Nagrik Sahakari Bank (Merged with Junagadh Commercial Co-op Bank Ltd.)
	Karnataka	1.	Hungal Coop Bank (Merged with Sanmati Sahakari Bank Ltd.)
	Maharashtra	1.	Sanmitra Sahkari Bank (Merged with Surat Peoples Co-op Bank Ltd.)
		2.	Navodaya Urban Co-op Bank
	Rajasthan	1.	Alwar Urban Co-op Bank
		2.	Bhilwara Mahila Urban Co-op Bank
	Uttar Pradesh	1.	Brahmavrat Commercial Co-op Bank

ANNEX - IV

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE SINCE INCEPTION

Year	Fully Protected Accounts (number in million)*	Total Accounts (number in million)	% of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (₹ billion)	Assessable Deposits (Total ₹ billion)	% of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2018-19	2,000	2,174	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	1,775	1,941	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	1,737	1,885	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	1,553	1,681	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards and ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards.

Note: Data from 2009-10 are as per new reporting format.

ANNEX - V

BANK WISE CATEGORY - INSURED DEPOSITS

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹ billion)	Assessable Deposits (₹ billion)	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2018-19	I. Commercial Banks (i to vii)	106	27,674	1,07,776	25.7
	i SBI	1	8,130	25,074	32.4
	ii Public Sector Banks	18	14,114	46,937	30.1
	iii Foreign Banks	46	166	5,586	3.0
	iv Private Banks	21	5,209	29,888	17.4
	v Payment Banks	7	9	9	100.0
	vi Small Finance Banks	10	42	275	15.2
	vii Local Area Banks	3	4	7	57.1
	II. RRBs	51	2,251	3,783	59.5
	III. Co-operative Banks	1941	3,775	8,492	44.5
	TOTAL (I+II+III)	**2,098**	**33,700**	**1,20,051**	**28.1**
2017-18	I. Commercial Banks (i to v)	104	26,894	1,00,600	26.7
	i SBI	1	7,267	23,140	31.4
	ii Public Sector Banks	20	14,792	46,987	31.4
	iii Foreign Banks	45	146	4,661	3.1
	iv Private Banks	35	4,686	25,806	18.1
	v Local Area Banks	3	3	6	50.0
	II. RRBs	56	2,112	3,440	61.4
	III. Co-operative Banks	1,949	3,747	7,980	46.9
	TOTAL (I+II+III)	**2,109**	**32,753**	**1,12,020**	**29.2**
2016-17	I. Commercial Banks (i to v)	103	25,015	92,994	26.9
	i SBI Group	6	7,169	21,224	33.8
	ii Public Sector Banks	21	13,509	44,500	30.4
	iii Foreign Banks	44	136	5,062	2.7
	iv Private Banks	29	4,198	22,202	18.9
	v Local Area Banks	3	3	6	50.0
	II. RRBs	56	1,885	3,041	62.0
	III. Co-operative Banks	1,966	3,608	7,496	48.1
	TOTAL (I+II+III)	**2,125**	**30,508**	**103,531**	**29.5**

ANNEX-VI
DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2018-19

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ in thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Maharashtra (9)			
1	Jamkhed Merchants CBL (Main Claim)	Main	6,119	52,055.2
2	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd. (Main Claim)*	Main	-	2,946.9
3	Shri Chhatrapati UCBL (Main Claim)*	Main	-	27,601.0
4	The Merchants CBL, Dhule	Supplementary (1)	109	1,396.0
5	Indira Shramik Mahila Nagari SBL, Solapur	Supplementary (2)	3	13.2
6	The Nagpur Mahila Nagari CBL	Supplementary (1)	2	8.6
7	Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Gadhinglaj	Supplementary (5)	94	843.4
8	The Miraj Urban Co op Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	41.4
9	Bhusawal Peoples SBL	Supplementary (1)	1	5.9
	Total (Maharashtra)	Main (3), Supplementary (11)	**6,329**	**84,911.6**
	West Bengal (2)			
1	Baranagar Co-op Bank Ltd.	Supplementary (5)	124	954.2
2	Kasundia Co-op Bank Ltd.	Supplementary (4)	814	22,746.1
	Total (West Bengal)	Main (0), Supplementary (9)	**938**	**23,700.3**
	Uttar Pradesh (2)			
1	Mirzapur UCBL, Mirzapur (Main Claim)	Main	15,188	71,640.0
2	Pioneer Urban CBL, Lucknow	Main	28,382	68,559.5
	Total (Uttar Pradesh)	Main (2)	**43,570**	**1,40,199.4**
	Odisha (1)			
1	The Urban CBL Bhubaneshwar (Main Claim)	Main	6446	1,51,659.4
	Total (Odisha)	Main (1)	**6,446**	**1,51,659.4**
	Gujarat (1)			
1	Ankaleshwar Nagrik SBL	Supplementary (1)	4	4.0
	Total (Gujarat)	Supplementary (1)	**4**	**4.0**
	Total (All States)	Main (6), Supplementary (21)	**57,287**	**400,474.7**

* Claims settled under expeditious claim settlement policy.

ANNEX-VII

PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY (As on March 31, 2019)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (₹ million)
A	**> 10 years old**		
1	December 8, 1999	Guwahati Co-operative Town Bank Ltd.	82.4
2	May 3, 2002	Madhepura Urban Development Co-op Bank Ltd.	0.5
3	August 16, 2000	Federal Co-op Bank Ltd.	13.7
4	March 31, 2002	Jhargram People's Cooperative Society Ltd.	29.2
5	February 7, 2001	Pranabananda Co-op Bank Ltd.	225.7
6	April 10, 2007	Rahuta Union Co-op Bank Ltd.	145.7
Total (A)		**(6 Banks)**	**497.3**
B	**Between 5 and 10 years old**		
1	November 15, 2012	Ghaziabad Union Co-op Bank Ltd.	198.2
2	June 17, 2010	Ramkrishnapur Co-op Bank Ltd.	750.2
3	February 9, 2012	Pen Co-op Urban Bank Ltd.	3,591.4
Total (B)		**(3 Banks)**	**4,539.9**
C	**Between 1 and 5 years old**		
1	July 7, 2016	Jijamata Mahila Sahkari Bank Ltd.	1,066.3
2	December 28, 2016	Shri Sai Urban Co-op Bank Ltd.	20.9
3	October 16, 2014	Baripada Urban Co-op Bank Ltd.	471.7
4	January 24, 2015	United Commercial Co-op Bank Ltd.	465.2
5	June 28, 2017	Gokul Co-op Urban Bank Ltd.	13.6
6	August 30, 2017	Hardoi Urban Co-op Bank Ltd.	67.8
7	August 22, 2017	Mahamedha Urban Co-op Bank Ltd.	375.2
8	April 1, 2017	Merchantile Urban Co-op Bank Ltd.	32.3
Total (C)		**(8 Banks)**	**2,513.0**
D	**Less than 1 year old**		
1	October 4, 2018	Navodaya Urban Co-op Bank Ltd.	531.0
2	January 25, 2018	Bhopal Nagrik Sahkari Bank Ltd.	87.1
3	July 3, 2018	Alwar Urban Co-op Bank Ltd.	154.6
4	August 23, 2018	Bhilwara Mahila Urban Co-op Bank Ltd.	409.7
5	July 3, 2018	Brahmawart Commercial Co-op Bank Ltd.	334.6
Total (D)		**(5 Banks)**	**1,516.9**
Grand Total (A+B+C+D)		**(22 Banks)**	**9,067.1**

ANNEX - VIII

INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2019

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1 Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
	2 Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		11.51	11.51	-
	3 Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		4,631.66	4,631.66	-
	4 Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		704.06	704.06	-
	5 Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		208.50	208.50	-
	6 Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		370,000.00	370,000.00	-
	7 Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		14,659.08	14,659.08	-
	TOTAL 'A'		**391,139.79**	**391,139.81**	-
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8 Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.79	-
				(115.58)	-
	9 Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07	-
				(9.53)	-
	10 Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32	-
				(76.76)	-
	11 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55	-
				(438.53)	-
	12 Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93	-
				(361.35)	-
	13 Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00	-
				(47.40)	-
	14 National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12	-
				(11.13)	-
	15 Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55	-
				(3.74)	-
	16 Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65	-
				(2,829.71)	-
	17 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
				(317,519.13)	-
	TOTAL 'B"		**380,018.32**	**58,605.49**	-
				(321,412.86)	-

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) Part repayment received (C)				
	18 National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	19 Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	20 Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.37)
	21 Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22 Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23 Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24 Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25 Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26 Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27 Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	545,849.11	510,592.97
	TOTAL 'C'		**2,187,371.62**	**1,062,725.62**	**1,124,646.00**
	TOTAL (A+B+C)		**2,958,529.74**	**1,512,470.92 (321,412.86)**	**1,446,058.82**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1 Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
	2 Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	-
	3 Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	218.99	-
	5 Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
	8 Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)		629.80	629.80	-
	TOTAL 'D'		**17,137.55**	**17,137.55**	-

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	9 Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
	10 Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
	11 Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	-
	12 Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
	13 Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	-
	14 The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	-
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.77**	-
				(5,494.65)	
	iii) Part repayment received (F)				
	15 Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16 Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17 Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18 Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19 Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.07
	20 Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	21 Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	400.91	83.98
	22 Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	23 Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
	24 Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P. (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	25 Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	26 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	27 Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28 Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29 Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.61
	30 Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31 Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
	32 Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	33 Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34 Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.98
	35 Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36 Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	37 Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38 Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^		915.79	915.79	0.00
	39 Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40 Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	41 Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42 Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43 Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44 Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45 Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	46 Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		157,012.94	59,783.98	97,228.96
	47 Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48 Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49 Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	16,100.00	11,394.76
	50 The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51 Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
	52 Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53 Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54 Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P. (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
	55 Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.17
	56 Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,797.83	148.78
	57 Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	4,015,185.54	4,015,185.54	-
	58 Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)		232,429.22	73,116.30	159,312.92
	59 Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	60 Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61 Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		140,667.57	39,446.41	101,221.16
	62 Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	0.01	37,959.72
	63 Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
	64 Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	5,538.62	2,282.62
	65 Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	66 Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67 Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
	68 The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	23,896.41	2,657.23
	69 Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
	70 Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	71 Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72 Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
	73 Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
	74 Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	75 Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
	76 Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77 The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78 Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)		47,432.57	46,556.10	876.47
	79 Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	80 Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81 Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		1,432,344.30	933,695.03	498,649.27
	82 Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,660.00	8,685.12
	83 Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	29,200.33	4,833.15
	84 Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.49
	85 The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86 Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	87 Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	29,185.35	4,144.00
	88 Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	23,706.98	9,470.96
	89 The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90 Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	91 Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92 Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	10,087.68	27,256.20
	93 The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94 The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	35,874.52	5,407.10
	95 Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96 Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	97 Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.68
	98 Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99 Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	100 Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		115,872.42	23,818.21	92,054.21
	101 Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.62
	102 Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103 General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		715,200.69	425,756.90	289,443.79
	104 Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
	105 Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		2,065,143.58	1,821,299.37	243,844.21
	106 Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	24,748.87	9,443.46
	107 Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)		3,846,162.46	739,836.93	3,106,325.53

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	108 Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	109 Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110 The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111 The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.11
	112 Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	113 Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	2,018.11	23,423.10
	114 Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	115 Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	116 Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	117 Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	118 Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74
	119 Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	120 Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	121 Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	24,465.92	83,095.99
	122 Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,048.60	373,306.96	210,741.64
	123 The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	19,619.38	29,818.50
	124 Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	53,227.40	33,303.12
	125 Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	4,774.86	951.00
	126 Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	217,158.00	101,767.24
	127 Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	30,397.48	494.93
	128 Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^		606,403.31	606,403.31	-
	129 Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	61,370.29	12,665.43

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	130 Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		299,340.86	43,387.32	255,953.54
	131 Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	61,781.19	161,369.09
	132 Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.51
	133 Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	128,609.45	1,827.58
	134 Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	15,349.33	357.04
	135 Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	729.55	16,843.87
	136 Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	137 Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	138 Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	22.47	18,977.37
	139 Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	140 Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	141 Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	40,363.69	539,533.26
	142 Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	190.09	10,708.64
	143 Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	24,088.97	652.51
	144 Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	145 Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	103.13	120,556.72
	146 Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147 Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.70
	148 Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	5,038.93	35,789.25
	149 The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	20,433.43	47,306.20
	150 Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		181,637.44	25,312.45	156,324.99

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	151 Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	0.38	65,053.13
	152 Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,592.15	177,879.62	123,712.53
	153 Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	177,540.17	88,912.28
	154 Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		304,703.46	287,369.36	17,334.10
	155 Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		145,661.51	79,428.12	66,233.39
	156 Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	3.29	82,526.69
	157 Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.51
	158 Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,251.94	313,993.29	120,258.65
	159 Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,292.67	195,629.70	127,662.97
	160 Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		552,716.70	165,459.84	387,256.86
	161 Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,686.51	4,299.11	116,387.40
	162 The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.27
	163 Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	164 Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		257,956.99	257,956.99	-
	165 Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	5,982.56	23,775.08
	166 Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	123,086.25	248,500.52
	167 Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54
	168 The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	3,717.09	7,897.81
	169 Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	5.79	4,840.91

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	170 Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	8,108.87	4,716.61
	171 Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	82,183.34	83,713.04
	172 Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	57,611.81	1,186.63
	173 Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	26,444.24	89,607.28
	174 Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		755,959.06	755,959.06	-
	175 Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
	176 Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	21.68	20,371.82
	177 Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	23,949.78	79,953.95
	178 Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179 Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	110,393.79	257,413.73
	180 Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182 The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183 Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184 Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	118,047.66	6,711.02
	185 Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.98
	186 Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
	187 Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
	188 Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01
	189 Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	190 Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	3,446.71	9,528.10
	191 Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	2,162.98	19,915.95
	192 Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		160,286.13	33,549.79	126,736.34
	193 Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		2,476.52	78.08	2,398.44
	194 Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
	195 The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	1,877.84	8,384.52
	196 Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84
	197 Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	184,558.65	177,221.65	7,337.00
	198 Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	199 Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32
	200 Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	201 Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202 Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203 Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	204 Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.68
	205 Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	2,059.37	22,463.54
	206 Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	207 Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	208 Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	454,367.84	3,255.92	451,111.92
	209 Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	185,521.69	141,403.83	44,117.86
	210 Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	15,120.87	32,396.97

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	211 Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	184,735.21	41,653.68	143,081.53
	212 Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	164,573.59	34,173.51	130,400.08
	213 Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25
	214 Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
	215 Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	48,722.95	50,945.78
	216 Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	169,225.78	38,081.19	131,144.59
	217 Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	268,254.02	220,271.10	47,982.92
	218 Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	219 Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	220 Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	5,395.14	19,846.88
	221 Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	112,933.28	54,842.49	58,090.79
	222 Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	75,092.93	3,915.33
	223 Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	14,701.67	10,586.81
	224 The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	21,552.69	46,107.76
	225 Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	30,294.08	35,498.75
	226 Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
	227 Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	228 Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
	229 Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.08
	230 Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	128,916.02	53,376.93	75,539.09

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	231 Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	374,582.84	291,003.72	83,579.12
	232 Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	233 Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	234 Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	44,231.99	7,590.00
	235 Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236 Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	23,028.40	30,099.58
	237 Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	53,841.14	316,833.31
	238 South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	359,787.81	82,648.78	277,139.03
	239 Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	238,318.86	182,321.36	55,997.50
	240 Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	117,336.14	175,641.89
	241 Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242 Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	7,830.61	129,514.83
	243 Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	566,073.61	35,679.66	530,393.95
	244 Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	279,646.98	21,268.68
	245 Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246 Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247 Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	1,467,018.90	205,040.99
	248 The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	40,362.16	3,013.09
	249 Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	420,307.60	269,750.77	150,556.83

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	250 Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	32,524.19	939.45
	251 Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252 Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	11,584.87	113,853.39
	253 The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	144,067.26	69,944.96	74,122.30
	254 Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	436,184.64	99,422.59	336,762.05
	255 Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25
	256 Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	56,224.93	60,583.26
	257 Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	70,000.85	182.00
	258 Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	487,115.50	199,779.13	287,336.37
	259 Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260 Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261 Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	4,840.87	10,788.15
	262 Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,681.14	57,240.69
	263 Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264 Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	102,628.91	12,557.99
	266 Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
	267 Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	448,117.96	317,989.76	130,128.20
	268 Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,147.10	158,223.76
	269 Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	43,267.47	102,935.13

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
270	Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	273,859.76	129,881.34
271	Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	476,606.19	309,031.48	167,574.71
272	Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	7,793.61	18,052.18
273	Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	9,552.04	39,760.40
274	Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
275	Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	71,482.68	60,659.22	10,823.46
276	Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
277	Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50
278	Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	114,105.44	110,416.57	3,688.87
279	Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
280	Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
281	Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
282	Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	68,922.84	15,119.14
283	Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	133,960.02	44,799.93	89,160.09
284	Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	-	179.27
285	Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	591,664.24	284,181.07	307,483.17
286	Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	6,683.40	80,081.07
287	Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	44,388.02	23,005.36
288	Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
289	The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	290 The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	403,178.78	188,258.37	214,920.41
	291 Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	422,834.49	44,267.79	378,566.70
	292 Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	293 Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	6,477.40	29,495.80
	294 Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	51,833.76	147,477.82
	295 Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	160,023.77	50,371.28	109,652.49
	296 Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	557,696.70	413,022.01	144,674.69
	297 Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298 Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299 Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	545.78	21,456.66
	300 Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	301 Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	65,622.27	5,647.56
	302 The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	303 Shri Balaji Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
	304 Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (2012)	18,516	243,635.93	2,140.89	241,495.04
	305 Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	42,860.70	2,633.41
	306 Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	237,520.12	-
	307 National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
	308 Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	336,187.57	212,740.05
	309 Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	6,884.16	14,020.63
	310 Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	32,042.29	16,837.72	15,204.57

ANNEX - VIII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	311 Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	28,485.15	17,295.48
	312 Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313 Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	4.97	4,097.09
	314 Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,203	101,677.80	74,538.14	27,139.66
	315 Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	459,890.08	229,890.08	230,000.00
	316 Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	19,834.77	52,384.61
	317 Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
	318 Abhinav Sahakari Bank Ltd. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
	319 Agrasen Co-op. Bank Ltd. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320 Swami Samarth Sahakari Bank Ltd. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
	321 Arjun Urban Co-op.Bank Ltd. (2014)	3,530	61,654.61	18,601.30	43,053.31
	322 Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
	323 Veershaiva Co-op. Bank Ltd. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	324 Silchar Urban Co-operative Bank Ltd. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325 Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd. (2014)	130,229	2,867,408.05	141,030.03	2,726,378.02
	326 The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	327 Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	20,401	157,616.06	157,616.06	-
	328 The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd. (2015)&	28,759	301,759.34	301,759.34	-
	329 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	119,188.84	119,188.84	-
	330 Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad (2015)&	29,343	156,382.66	156,382.66	-
	331 Vaishali Urban Co-operative Bank , Rajasthan (2015)	3,191	41,382.47	38,555.41	2,827.06
	332 Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,159	77,271.98	37,791.40	39,480.58
	333 Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,131	151,911.05	54,581.33	97,329.72
	334 Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
	335 The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	55,921.12	55,921.12	-

ANNEX - VIII *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	336 Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)$		318,602.37	318,602.37	-
	337 Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	20,783.40	15,279.94	5,503.46
	338 Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	12,879.52	7,134.41	5,745.11
	339 Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	21,888.06	12,569.05	9,319.01
	340 Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
	341 Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	109,302.97	4,747.14	104,555.83
	342 Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	20,381	218,435.50	167,801.58	50,633.92
	343 Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	261.65	-	261.65
	344 Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	10,385.18	8,537.43	1,847.75
	345 Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
	346 Jamkhed Merchants CBL, Maharshtra (2018)	6,119	52,055.23	31,800.00	20,255.23
	347 Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)$	-	2,946.90	-	-
	348 Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)$	-	27,601.00	-	-
	349 Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	71,639.96	71,639.96	-
	350 The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018) &	6,446	151,659.37	151,659.37	-
	351 Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
	TOTAL 'F'		**48,198,354.30**	**26,051,819.36**	**22,146,534.94**
	TOTAL (D+E+F)		**48,223,320.26**	**26,071,290.68 (5,494.65)**	**22,152,029.58**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)		**51,181,850.00**	**27,583,761.60 (326,907.51)**	**23,598,088.40**

*Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

$ Claims Settled under expeditious settlement scheme based on liquid fund adjustment.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

Notes:1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2019.
3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims
4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.
5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

Tel. : 2200 4465, 2206 7440
Fax : 91- 22- 2200 0649
E-mail : mumbai@vsa.co.in
Website : www.vsa.co.in

V. Sankar Aiyar & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
2-C, Court Chambers
35, New Marine Lines
Mumbai - 400 020

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2019 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2019, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Delhi Office : 202-301, Satyam Cinema Complex, Ranjit Nagar Community Centre, New Delhi - 110 008 • Tel.: 2570 5233 / 2570 5232 • E-mail : newdelhi@vsa.co.in
Chennai Office : 41, Circular Road, United India Colony, Kodambakkam, Chennai - 600 024 • Tel.: 044-2372 5720 & 044-2372 5730 • E-mail : chennai@vsa.co.in

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.
- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Revenue account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the preparation of the financial statements.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

For V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg No: 109208W

G Sankar

G Sankar
Partner
Membership No. 46050

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

Place : Mumbai
Date : June 13, 2019

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year			Current Year			
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
53,672.40	-	**1. Fund** (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		57,556.00		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
6,45,572.48	4,406.23	Balance at the begining of year	7,60,642.58		4,599.44	
1,15,070.10	193.21	Add: Transferred from Revenue Account	1,19,309.58		232.95	
7,60,642.58	4,599.44	Balance at the end of year		8,79,952.16		4,832.39
		3. (a) Investment Reserve				
0.00	0.00	Balance at the begining of year	0.00		0.00	
0.00	0.00	Add:Transferred from Revenue Account	0.00		0.00	
0.00	0.00	Balance at the end of the year		0.00		0.00
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
33,974.70	278.99	Balance at the begining of year	39,619.77		295.78	
5,645.07	16.79	Transferred from Revenue Account	5,253.20		10.29	
39,619.77	295.78	Balance at the end of the year		44,872.97		306.07
1,395.37		**4. Claims intimated and Admitted but Not paid**		567.84		
42.79		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		0.00		
0.00		**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**		0.00		
1,897.97		**7. Insured Deposits remaining unclaimed**		904.62		
		8. Other Liabilities				
26.81		(i) Sundry Creditors	10.61			
1,18,268.29	276.92	(ii) Provision for Income Tax	1,30,771.93		249.20	
735.29		(iii) Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	2,839.77			
17.16		(iv) Amount refundable to Banks	17.16			
0.00		(v) Service Tax Payable	4.10			
1,19,047.55	276.92			1,33,643.57		249.20
9,76,318.43	**5,172.14**	**Total**		**11,17,497.16**		**5,387.66**

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
Form 'A')
of business on March 31, 2019
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year		ASSETS	Current Year			
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
1,314.91	0.41	**1. Balance with the Reserve Bank of India**		1,389.87		0.07
		2. Cash in Transit				
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)				
		Treasury Bills				
8,36,916.41	4,813.11	Dated Securities	9,59,284.00		5,045.24	
8,36,916.41	4,813.11			959,284.00		5,045.24
8,13,438.31	4,831.04	Face Value	9,39,479.49		4,952.69	
8,43,507.78	4,858.08	Market Value	9,73,195.75		5,171.99	
15,940.01	88.84	**4. Interest accrued on investments**		17,505.91		70.08
		5. Other Assets				
1,18,303.71	269.78	(i) Advance Income Tax	1,31,401.83		272.27	
735.78		(ii) Reverse Repo/Reverse Repo interest receivable	2,841.33			
735.29		(iii) Securities purchased under Reverse Repo	2,839.77			
486.35		(iv) Service Tax Refundable	288.80			
1.89		(v) CGST/SGST/IGST receivable	61.57			
1,884.08		(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	1,884.08			
1,22,147.10	269.78			1,39,317.38		272.27
9,76,318.43	**5,172.14**	**Total**		**11,17,497.16**		**5,387.66**

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		EXPENDITURE	Current Year		
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount
		1. To Claims:			
434.65	-	(a) Paid during the year		369.93	
(89.92)	-	(b) Admitted but not paid		(827.53)	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
42.79		At the end of the year	0.00		
(1,101.53)		Less: at the end of the previous year	(42.79)		
(1,058.74)				(42.79)	
		(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered			
0.00	-	At the end of the year	0.00		
(1,113.83)	-	Less: at the end of the previous year	0.00		
(1,113.83)			0.00		
0.00		(e) Less provision in r/o untracebale depositors written back		(1,019.00)	
(1,827.84)		**Net Claims**		(1,519.39)	
53,672.40		**2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)**		57,556.00	
1,84,570.80	342.62	**To Net Surplus Carried Down**		1,91,468.48	373.89
2,36,415.36	**342.62**	**TOTAL**		**2,47,505.09**	**373.89**
		To Provision for Taxation			
63,865.19	118.55	Current Year		66,906.75	130.65
(9.56)	14.07	Earlier Years - Short (Excess)		(1.05)	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax		0.00	0.00
5,645.07	16.79	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		5,253.20	10.29
1,15,070.10	193.21	**To Balance Carried to Surplus Account**		1,19,309.58	232.95
1,84,570.80	**342.62**			**1,91,468.48**	**373.89**

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31st March 2019
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
55,976.20	-	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	53,672.40	
1,11,280.56	-	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	120,430.83	
4,980.11	3.73	**3. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	953.73	0.26
		4. By income from Investments		
62,700.69	338.89	(a) Interest on Investments	73,543.61	373.63
1,195.14	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	(1518.72)	0.00
282.66	0.00	(c) By Reverse Repo interest income A/c	423.24	0.00
64,178.49	338.89		72,448.13	373.63
		5. Other Incomes		
0.00	0.00	Depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00
2,36,415.36	**342.62**	**TOTAL**	**247,505.09**	**373.89**
1,84,570.80	342.62	By Net Surplus Brought Down	191,468.48	373.89
1,84,570.80	**342.62**		**191,468.48**	**373.89**

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year		Current Year	
Amount	LIABILITIES	Amount	Amount
500.00	**1. Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		500.00
	2. Reserves		
	A) General Reserve		
5,268.45	Balance at the beginning of the year	5,426.69	
158.24	Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	64.13	
5,426.69			**5,490.82**
	B) Investment Reserve		
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	
0.00	Transferred from Revenue account	0.00	
0.00			**0.00**
	C) Investment Fluctuation Reserve		
356.02	Balance at the beginning of the year	366.82	
10.80	Transferred from Revenue Surplus	0.03	
366.82			**366.85**
	3. Current Liabilities and Provisions		
89.21	Outstanding Expenses	67.03	
7.09	Sundry Creditors	8.48	
150.30	Provision for Income Tax	134.09	
0.00	CGST & SGST Payable	0.13	
246.60			**209.73**
6,540.11	**Total**		**6,567.40**

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
Form 'A')
of business on March 31, 2019
FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year		ASSETS	Current Year	
Amount			Amount	Amount
	1.	**CASH**		
		(i) In hand		
8.07		(ii) With Reserve Bank of India	7.89	
8.07				7.89
	2.	**Investments in Central Government Securities (At Cost)**		
		Treasury Bills		
5,441.70		Dated Securities	5,107.11	
521.15		Dated Securities deposited with CCIL(Face Value 971.60)	933.02	
5,962.85				6,040.13
5,836.78		*Face Value : 6225.65*		
6,044.45		*Market Value : 6158.05*		
102.72	**3.**	**Interest accrued on Investments**		106.76
	4.	**Other Assets**		
0.00		Project IASS Capitalised	156.16	
1.78		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	3.33	
0.00		Stock of Stationery	0.09	
20.59		Staff Advances	19.11	
3.98		Interest Accrued on Staff Advances	4.03	
6.02		Sundry Debtors	11.09	
50.00		Margin Deposit with CCIL	102.00	
175.47		Advance Income Tax / TDS	105.90	
7.09		CGST, SGST & IGST receivable	10.91	
201.54		Project Cost	0.00	
466.47				**412.62**
6,540.11		**Total**		**6,567.40**

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended March 31, 2019
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount	EXPENDITURE	Current Year Amount	Current Year Amount	Previous Year Amount	INCOME	Current Year Amount	Current Year Amount
89.78	**To Payment / Reimbursement of staff cost**		122.08		**By Income from Investments**		
0.02	**To Directors' and Committee Members' Fees**		0.00	466.75	(a) Interest on Investments	462.59	
0.02	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses**		0.00	(0.005)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	0.34	
				466.75			**462.93**
12.93	**To Rents,Taxes, Insurance, Lightings etc.**		25.60				
36.32	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**		45.46	0.00	By Depreciation on investment written back		0.00
7.46	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**		1.49				
4.99	**To Postage, telegrams and Telephones**		5.98		**By Miscellaneous Receipt**		
1.63	**To Auditors' Fees**		1.67	0.98	Interest on advances to staff	1.35	
3.83	**To Legal Charges**		4.96	0.06	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	0.03	
0.08	**To Advertisements**		6.25	1.04		1.38	
0.00	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**		0.00				
	To Miscellaneous Expenses						
0.19	Professional Charges	0.58					
6.50	Service Contract / Maintenance	58.59					
0.48	Books, News Papers, Periodicals	0.42					
0.47	Book Grants	0.60					
0.09	Repair of Office Property-Dead Stock	0.09					
4.17	Transaction Charges-CCIL	6.36					
10.33	Others	7.53					
22.23			**74.17**				
0.76	Depreciation		0.47				
0.00	Depreciation on IASS		78.07				
287.74	**To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down**		98.11				
467.79	**Total**		**464.31**	**467.79**	**Total**		**464.31**
	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down			287.74	**By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down**		98.11
	To Provision for Income Tax						
99.56	Current Year		33.95				
19.14	Earlier Years - Short (Excess)		0.00				
10.80	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**		0.03				
158.24	**To General Reserve Account**		64.13				
287.74	**Total**		**98.11**	**287.74**	**Total**		**98.11**

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. Deposit Insurance Fund (DIF) & Credit Guarantee Fund (CGF)
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2019

(₹ in Million)

Previous Year		Particulars		Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund			Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount			Amount	Amount
		Cash Flow from Operating Activities			
1,84,570.80	**342.62**	Excess of Income over Expenditure	(a)	**1,91,468.48**	**373.89**
		Adjustments to reconcile excess of Income over Adjustments to reconcile excess of Income over			
(62,983.35)	(338.89)	Interest on Investments		(73,966.85)	(373.63)
(1,195.14)	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		1,518.72	0.00
(2,303.80)	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		3,883.60	0.00
(66,482.29)	**(338.89)**		**(b)**	**(68,564.53)**	**(373.63)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease (Increase) in			
(63,436.09)	(44.15)	Advance Income Tax /TDS		(67,500.18)	(160.86)
7,728.00	0.00	Service Tax receivable		0.00	0.00
(1,436.86)	0.00	Other Assets		(4,072.16)	0.00
552.00		Swachh Bharat/Krishi kalyan receivable		0.00	
(1.89)		CGST,SGST & IGST receivable		0.00	
(56,594.84)	**(44.15)**		**(c)**	(71,572.34)	(160.86)
		LIABILITIES :			
		(Decrease) / Increase in			
(2,262.49)	0.00	Estimated Liability in respect of claims intimated but not admitted		(870.33)	0.00
4.35	0.00	Unclaimed Deposits		(993.35)	0.00
22.44	0.00	Sundry Creditors		(16.20)	0.00
(3.68)	0.00	Service Tax Payable A/C		0.00	0.00
694.02	0.00	Securities deliverable under Reverse Repo A/C		2,104.48	0.00
17.16		Amount refundable to bank		0.00	
0.00		CGST,SGST & IGST payable		4.11	
(1,528.20)	0.00		**(d)**	228.71	**0.00**
59,965.47	**(40.42)**	**Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)**	**(A)**	**51,560.32**	**(160.60)**
		Cash Flow from Investment Activities			
60,684.68	331.85	Interest on Investments Received		72,400.95	392.39
1,195.14	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(1,518.72)	0.00
		Decrease / (Increase) in			
(1,20,594.41)	(292.91)	Increase in Investments in Central Government Securities		(1,22,367.59)	(232.13)
(58,714.59)	**38.94**	**Net Cash Flow from Investing Activites**	**(B)**	**(51,485.36)**	**160.26**
0.00	0.00	**Cash Flow from Financing Activites**	**(C)**	0.00	0.00
1,250.88	(1.48)	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	74.96	(0.34)
64.03	1.89	Cash Balance at the beginning of the year		1,314.91	0.41
1,314.91	**0.41**	**Cash Balance at the end of the year**		**1,389.87**	**0.07**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. General Fund
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

Previous Year Amount			Current Year Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
287.74	Excess of Income over Expenditure	(a)	**98.11**
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
0.76	Depreciation		0.47
0.00	Depreciationon IASS		78.07
(466.75)	Interest on Investments		(462.59)
0.01	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(0.34)
(0.98)	Interest on Advances to Staff		(1.35)
0.06	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		(0.03)
(466.91)		**(b)**	**(385.77)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
1.52	Stock of Stationery		(0.09)
(4.16)	Service Tax receivable		(3.82)
(6.92)	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		1.48
(89.86)	Advance Income Tax		18.88
50.00	Margin Deposit with CCIL		(52.00)
(0.82)	Interest accured on Staff Advances		(0.05)
(134.46)	Project Cost		45.38
(2.15)	Sundry Debtors		(5.07)
(186.85)		**(c)**	4.71
	LIABILITIES :		
	(Decrease) / Increase in		
59.38	Outstanding Expenses		(22.18)
(6.81)	Sundry Creditors		1.52
0.00	Other Deposits/ TDS		0.53
52.57		**(d)**	**(20.13)**
(313.45)	**Net Cash Flow from Operating Activities**	**(A)**	**(303.08)**
	Cash Flow from Investing Activities		
464.07	Interest on Investments Received		458.55
(0.01)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.34
0.98	Interest on Advances to Staff		1.35
	Decrease / (Increase) in		
(0.41)	Fixed assets		(80.06)
	Investments in Central Government Securities :		
(566.02)	Dated Securities		334.59
419.83	Dated Securities deposited with CCIL		(411.87)
318.45	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**302.90**
	Cash Flow from Financing Activities	**(C)**	**0.00**
5.00	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**(0.18)**
	Cash Balance at the beginning of the year		
	In Hand		0.00
3.07	With RBI		8.07
8.07	**Cash Balance at the end of the year**		**7.89**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For M/s V Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109208W

G Sankar
Partner (M No. 046050)

Mumbai
June 13, 2019

B P Kanungo
Chairman

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Malvika Sinha
Executive Director

Deepak Narang
Deputy General Manager

Dr Shashank Saksena
Director

Dr Harsh Kumar Bhanwala
Director

V. SANKAR AIYAR & CO. FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium:

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Provision for claims liability is made on receipt of claim list from the Official Liquidator.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the provisions for deposit insurance claim liabilities are made and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process, whichever is earlier.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is

confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/ adjusted.

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. INVESTMENTS

i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.

ii) Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.

iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. FIXED ASSETS

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.

(ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹0.1 million and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%
Motor vehicles, furniture, etc.	20%

(b) Depreciation on additions during the period up to 180 days is provided for full year, otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

(iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. LEASES

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. EMPLOYEES' BENEFITS / COST

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. TAXATION ON INCOME

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, being difference in taxable income and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. IMPAIRMENT OF ASSETS

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realisable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognised and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realisable value of the asset.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

(v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES NOT PROVIDED

A. Service Tax

(₹ in million))

Nature of Contingent Liability	Current year	Previous year
Service Tax	1,755.13	1,705.72

Explanatory Notes:

I. October 1, 2006 to September 30, 2011 (₹53,674.2 million):

Service Tax Department (Department) vide order dated January 10, 2013 raised service tax demand of ₹53,674.2 million for the period October 2006 to Sept 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance Corporation under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an appeal on April 8, 2013 in the CESTAT challenging the order. CESTAT vide order dated March 11, 2015 while granting relief to the Corporation by setting aside demand of ₹53,674.2 million, held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and Corporation is not liable to Service Tax for the period prior to Sept 20, 2011. Corporation, therefore, filed an appeal on September 9, 2015 before Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business". The Department has also approached the Hon'ble Supreme Court for admission of appeal against CESTAT order. The Corporation has also filed counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016. Matter is yet to come up for hearing.

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Sec 78 for the period April 01, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 cr which was also dismissed vide order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favor of the Corporation on merit vide order dated March 11, 2015. [Sec 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Sec 78 provides for levy of penalty when the Service Tax has not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court has tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 1, 2011 to March 31, 2013 (₹1,186.42 million plus interest for delay ₹568.70 million)

Service Tax Department based on Computer Aided Audit Programme (CAAP), vide letter dated. June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹1,186.42 million as 'additional service tax liability' for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by Corporation as 'exclusive of Service Tax'. Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. Corporation paid ₹884.4 million on January 8, 2015 and ₹302.02 million on June 30, 2015 'under protest'. Corporation also paid interest of ₹394.68 million on January 21, 2015, considering the dates of Service tax payment as 6th of following month (June 6 and Dec 6 respectively) on receipt of premium (i.e. May and Nov respectively) against March 31st and October 6th determined by Service Tax authorities.

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for interest payment of ₹174.02 million (excluding ₹394.68 million paid by DICGC). Commissioner vide order dated August 16, 2018 has confirmed the demand raised. Corporation has filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018.

Commissioner (Appeals) vide order dated January 11, 2016 has held that treatment of premium by Corporation as 'inclusive of service tax' is as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. Corporation accordingly filed an Appeal before CESTAT against order on April 18, 2016. Department has also filed Appeal before CESTAT against order of Commissioner (Appeals).

B. Claims:

(₹ in million)

Claims pertaining to	March 31, 2019	March 31, 2018
a) Deregistered Banks	9,067(22)*	2,257(8)*
b) Untraceable depositors	1019	0
c) Unidentifiable depositors	863	0

** Represents number of banks*

2. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2019, IFR of ₹45.5 billon was maintained (₹40.28 billon as on March 31, 2018).

3. INTRA DAY LIQUIDITY ARRANGEMENT WITH RBI

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹25,000 million earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

4. REPO TRANSACTIONS (AS PER RBI PRESCRIBED FORMAT)

In Face Value Terms

(₹ in million)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2019
I. Securities Sold under Repo				
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	19	62823	7308	2833
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil

5. RELATED PARTY DISCLOSURE

Key Management Personnel:

Shri. K.K.Vohra, Executive Director, Reserve Bank of India held the charge of the affairs of the Corporation up to May 31, 2018. Smt. Malvika Sinha, Executive Director, Reserve Bank of India has been holding charge from June 05, 2018. Both drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India.

6. SEGMENT REPORTING

Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

7. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.